लोक-सभा

वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/23

द्वितीय माला

खण्ड ५९, १९६१/१८८३ (शक)

[२० से ३० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

पन्द्रहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५९ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

[द्वितीय माला, खण्ड ५६--अंक १ से १०--२० नवम्बर से १ दिसम्बर, १६६१/२६ कार्तिक से १० अग्रहायण, १८८३ (शक)]

अंक १--सोमवार, २० नवम्बर, १६६१/२६ कार्तिक, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ४, ६ से ११, २१, १२ और १३	१–२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १४ से २० और २२ से ५७ . .	२६–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७४, ७६ और ७७ . .	५१–८६
दिनांक १३-३-१६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१६ के उत्तर में शुद्धि .	८६
निधन सम्बन्धी उल्लेख	
स्थगन प्रस्ताव---	
(१) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले और उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे	८७–६०
(२) राजनैतिक दलों को मान्यता देने के बारे में चुनाव आयोग का निर्णय	६०–६२
(३) पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण के द्वारा कर्नल भट्टाचार्य को दोषसिद्धि	६२–६५
(४) लद्दाख क्षेत्र में चीनियों के घुस आने की घटनायें	६५–६६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६७–१००
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१०१
तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के उत्तर में शुद्धि . .	१०१–०२
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	१०२–०८
पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के बारे में वक्तव्य . . .	१०८–०६
प्रत्यर्पण विधेयक	१०६
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापित करने के समय का बढ़ाया जाना .	१०६
चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पुरस्थापित . .	१०६
चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य . .	११०
प्रसूति लाभ विधेयक	११०–२४
विचार करने का प्रस्ताव	११०–२४
खंड २ से ३० तथा १	११४–२२
पारित करने का प्रस्ताव	१२२–२४
शिशिक्षु विधेयक	१२५–२८
विचार करने का प्रस्ताव	१२५–२८
दैनिक संक्षेपिका	१२६–३८

विषय	पृष्ठ
अंक २--मंगलवार, २१ नवम्बर, १९६१/३० कार्तिक, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५९, ९३, ६०, ६२, ६४, ६६ से ६९, ७१, ७२, ७६, ७८, ८०, ८१, ८२, ८५, ८७, ९१ तथा ८९ . .	१३९–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या* ५८, ६१, ६३, ६५, ७०, ७३ से ७५, ७७, ७९, ८३, ८४, ८६, ८८, ९०, ९२, ९४ से ११५ .	१६५–८४
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ से २०१ . . .	१८४–२३९
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	२४०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४०–४४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति-- . .	
नव्वेवां प्रतिवेदन	२४४
तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर में शुद्धि .	२४४–४५
समिति के लिये निर्वाचन	
पशु कल्याण बोर्ड . .	२४५
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक--पुरस्थापित . .	२४५–४६
शिशिक्षु विधेयक	२४६–६६
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२४६–६२
खंड २ से ३८ और १	२६३–६४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	२६४–६६
वेतन से स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक १९६१ .	२६६–६८
पारित करने का प्रस्ताव	२६६–६७
खंड २ से ५ और १	२६७
पारित करने का प्रस्ताव	२६७–६८
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक . . .	२६८–६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
खंड २ और १	२६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक . .	२६९–७३
पारित करने का प्रस्ताव	२६९–७२
खंड २ से ४ और १	२७३
पारित करने का प्रस्ताव	२७३
कॉफी (संशोधन) विधेयक	२७३–७६
खंड २ से १४ और १	२७५–७६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	२७६
दैनिक संक्षेपिका	२७७–८९

अंक ३—गुरुवार, २३ नवम्बर, १९६१/२ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ११६, ११८ से १२४, १३१, २०१, १२५, १६७ और १३० . . . . . २९२-३१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७, १२६ से १२९, १३२ से १६६, १६८ से २०० और २०२ से २०७ . . . . . ३१६—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ से २२२, २२४ से ३३५ और ३३७ से ३६२ ३५४—४२४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४२४—२८

विधेयक पर समिति के बारे में . . . . . ४२८—२९

आगामी सामान्य निर्वाचन के कार्य क्रम के बारे में वक्तव्य . . . ४२९—३१

असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक . . . ४३१—३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ४३१—३३

खंड २ से ७ तथा १ . . . . ४३४

पारित करने का प्रस्ताव ४३४

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक . . ४३४—३९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४३४—३८

खंड १ से ७ . . . . . ४३९

पारित करने का प्रस्ताव ४३९

विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक . ४३९—४०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४३९—४०

खंड १ से ११ . . . . . ४४०

पारित करने का प्रस्ताव ४४०

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४४०—४८

दैनिक संक्षेपिक . . . . . ४४९—६३

अंक ४—शुक्रवार, २४ नवम्बर, १९६१/३ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९ से २१६ . . . ४६५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८ और २१७ से २४७ ४८७—५०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४६० ५०३—४४

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा एक यात्री स्टीमर पर कथित गोलीबारी ५४४-४५

विवरण में शुद्धि . . ५४५-४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ५४६-४७

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	५४८
राज्य उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . .	५४८–५९
प्राद्योगिकीय संस्थायें विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	५६०–६१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
नव्वेवां प्रतिवेदन	५६१
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा राश बिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प	५६१—७१
गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटने के बारे में संकल्प . .	४७१—८३
दैनिक संक्षेपिका	५८४—९१
अंक ५—शनिवार, २५ नवम्बर, १९६१/४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४८ से २५१, २५३ से २६०, २६२ से २६४, २६८, २६९ और २७० . . .	५९३—६१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २५२, २६१, २६५ से २६७ और २७१ से ३०३ .	६१८—३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ५९७	६३६—७००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	७००
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
कच्चे पटसन के मूल्य . . .	७०१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	७०१–०२
सभा का कार्य . . .	७०२–०३
समिति के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय गरम मसाले और काजू समिति	७०३–०४
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक .	७०४—११
विचार करने का प्रस्ताव . .	७०४—०९
खंड २ से ३९ और १	७०९—११
पारित करने का प्रस्ताव .	७११
श्री हुमायूं कबिर .	७११
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव	७११—३१
दैनिक संक्षेपिका	७३२—४०
अंक ६—सोमवार, २७ नवम्बर, १९६१/६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ से ३०७ और ३०९ से ३१६ . .	७४१—६३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ और ३१७ से ३६५ . . .	७६३–८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ७०२ और ७०४ से ७०६ . .	७८६–८३५
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पुर्तगालियों द्वारा मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों पर गोली चलाना	८३५–३६
(२) गाड़ियों का देर से चलना	८३६–३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८३७–३८
विधेयक पर रायें	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
तारांकित प्रश्न संख्या १२७९ के उत्तर में शुद्धि	८३९
तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर में शुद्धि . .	८३९–४२
वित्त मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य	८३९–४२
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव . . .	८४२–६१
चीनी (उत्पादन का विनियमन) संविहित अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	८६२–७९
विचार करने का प्रस्ताव	८६२–७९
सभा का कार्य	८७९–८०
दैनिक संक्षेपिका	८८१–९०
अंक ७—मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१/७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ से ३७५, ३७७ और ३७८ . .	८९१–९१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ और ३७९ से ३९७ . .	९१४–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१० से ७७९ और ७८१ से ७८८ .	९२५–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कोयला खनन उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण . . .	९६४–६५
भारत और चीन के सम्बन्धों के बारे में श्वेत पत्र संख्या ५ के सम्बन्ध में वक्तव्य	९६५–६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९६९
तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर में शुद्धि . . .	९६९–७०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक . .	९७०

विषय	पृष्ठ
(२) लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक .	९७०
(३) टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन विधेयक	९७०–७१
चीनी (उत्पादन का अधिनियमन) अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	९७१–९१
विचार करने का प्रस्ताव . . .	९७१–८९
खंड १ से ८	९८९–९०
पारित करने का प्रस्ताव	९९०–९१
इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में संकल्प .	९९१–१०००
दैनिक संक्षेपिका	१००१–०६
अंक ८—बुधवार, २९ नवम्बर, १९६१/८ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ३९९, ४०२, ४०५ से ४०८, ४११, ४१४ से ४१९	१००७–२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४००, ४०१, ४०४, ४०९, ४१०, ४१२, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ से ४३१	१०२९–३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८९ से ९०६ . . .	१०३६–८९
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारतीय अधिकारियों को परेशान किया जाना	१०८९–९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०९२–९३
राज्य सभा से संदेश	१०९३
तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०९४–९५
कर्नल भट्टाचार्य की दोषसिद्धि और कारावास के बारे में चर्चा . .	१०९५–११०८
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११०८–१८
दैनिक संक्षेपिका	१११९–२६
अंक ९—गुरुवार, ३० नवम्बर, १९६१/९ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ से ४३४, ४३६ से ४४० . .	११२७–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ और ४४१ से ४९० . . .	११४९–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०७ से ९१८, ९२० से ९४६ और ९४८ से १०००	११७१–१२११

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) कांगो की परिस्थिति और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान में रहने वाली भारतीय सेना के लिए असुरक्षा .	१२११–१४
(२) गोआ सीमा पर पुर्तगाली सेना का कथित जमाव . .	१२१४–१५
(३) पुर्तगालियों की यातना से गोआ के देश भक्त की हवालात में कथित मृत्यु	१२१५–१६
(४) उड़ीसा में भारत के गलत नक्शों का प्रकाशन, जिनमें काश्मीर को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया . . .	१२१६–१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
फरक्का बांध को बनाने में कथित विलम्ब . . .	१२१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१२१७–१९
सदस्य की दोष सिद्धि	१२२०
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१२२०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०
(२) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०–२१
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११२१–३२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . .	१२३२–४२
डाक्टरों की कमी के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . .	१२४३–४५
दैनिक संक्षेपिका	१२४६–५५
अंक १०—शुक्रवार, १ दिसम्बर, १९६१/१० अग्रहायण, १८८३ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१२५७
सभा की कार्यवाही	१२५७
दैनिक संक्षेपिका	१२५८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS-III—1627LS—4-1-62—125

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० कों० (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अजित राम, लाला (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (तिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री बिल्लीपुतुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर (उन्नाव)

क

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वर दत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोड़ी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

क—(क्रमशः)

काशीराम, श्री व० (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)

कृष्णप्पा, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्टु कप्पल्ली, श्री जार्ज़ थामस (मवात्तु पुजा)

ख

खां, श्री उस्मान, अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारंगल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति सहाय, श्री (सुल्तानपुर)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भू चरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड़)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्त राव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (करा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्रकुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)

च—(क्रमशः)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि, कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातिया)

चावल, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा),

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सुं० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जमीर, श्री चुबातोशी (नागा पहाड़ियां—तुएनसांग प्रदेश)

जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर--मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ---रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद---रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री अली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किसनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़---खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (आसनसोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बंगलौर)

दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित ---जातियां)

दिनेश सिंह, श्री (बांदा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)

द—(क्रमशः)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देब, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देब ,श्री प्र० गं० देब (अंगुल)

देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)

द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)

धर्मलिंगम्, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरी)

नथवानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)

नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरी)

नरेन्द्र कुमार, श्री (नागौर)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवास राव (उस्मानावाद)

नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवो द्वीप)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नादर, श्री थानुलिंगम्, (नागरकोईल)

नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)

नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कड्डलूर)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)

नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

न—(क्रमशः)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री बासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (परियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़—दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पल्लकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री तु० शं० (अकोला)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढो० (मीरं)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

प—(क्रमशः)

पांडेय, श्री सरजू (रसरा)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास–उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जाति)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जतियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बसुम्तारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिडरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)
बीरबलसिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ब—(क्रमशः)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)

भगवती, श्री बि० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जतियां)

भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)

भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)

भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)

भवानी प्रसाद, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)

भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)

भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मधोक, श्री बलराज (नई दिल्ली)

मनायन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म—(क्रमशः)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची—पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (अफूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)
महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगु सराय)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तूकृष्णन्, श्री म० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झूंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद इमाम, श्री (चितलदुर्ग)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

म—(क्रमशः)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्णन् (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सैं० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहनस्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)
रंगारेड्डि, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजा राम बाल कृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (राय बरेली)

र—(क्रमश:)

राजेन्द्र सिह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)

राधा मोहन सिह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुलरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राव, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

राव, श्रीमती सहोदराबाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

र---(क्रमशः)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमहेट)

ल

लक्ष्मणसिंह, श्री (नामनिर्देशित---अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्र नाथ (श्री रामपुर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्यलाल (उदयपुर)
वर्मा, श्रीरामजी (देवरिया)
वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० कि० (त्रिचूर)
बाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम्)
विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)

व—(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री (रायपुर)

वकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकांति (अडोनी)

वेद कुमारी, मोते (एलूरू)

वैरावन, श्री अ० (तंजौर)

वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकर पांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन वजूभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलोदा बाजार)

शोभाराम, श्री (अलवर)

श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सवंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बनलाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिट्टिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत, श्री (नामक्कल)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमरसिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)

साहू, श्री भगवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शाहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद, (मुंगेर)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज—बिहार)

सिंह, श्री रमेश प्रसाद (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आंतरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिद्दय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

स---(क्रमशः)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री मु० सु० (बीजापुर---उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० प० (तिरूवेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सोनुल, श्री हरिहर राव (नांदेड़)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालन्धर)

स्वामी, श्री (चान्दा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

हाल्दर, श्री अन्सारी (डायमन्ड हार्बर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हुवर (स्वायत जिले---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)

हेडा, श्री ह० च० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

डा० सुशीला नायर

श्री मूलचन्द दुबे

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री जगन्नाथ राव

श्री ह० चं० हेडा

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ाकुर दास भार्गव

श्री प्र० क० देव

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री राजेश्वर पटेल

श्री शिवराम रंगो राने

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री लैस राम अचौ सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री मिसुला सूर्यनारायण मूर्ति

श्री तंगामणि

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री हेम बरुआ

श्री च० द० गौतम

श्री फतहसिंहजी घोडासार

श्री मी० रु० मसानी

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री च० द० पांडे

श्री शिव राम रंगो राने

श्री अशोक कु० सेन

श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री सत्यनारायण सिंह

डा० प० सुब्बारायन

श्री श्रद्धाकर सूपकार

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी सामान्य

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्री मानकभाई अग्रवाल

श्री अय्याकणु

श्री इगनेस बेक

श्री बी० ला० चांडक

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री नं० रं० घोष

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री गुलाबराव केशवराव जेधे

श्री बै० च० मलिक

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री राजेश्वर पटेल

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री शिवनंजप्पा

श्री रुंगसंग सुइसी

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—**सभापति**

श्री प्रेमथनाथ बनर्जी

श्री चन्द्र शंकर

श्री वें० ईयाचरण

श्री अन्सार हरवानो

श्री हेडा

श्री मं० रं० कृष्ण

रानी मंजुला देवी

श्री विभूति मिश्र

श्री गोरे

श्री गु० सिं० मुसाफिर

श्री पद्म देव

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री पन्ना लाल

श्री करसन दास परमार

श्री थानु पिल्ले

श्री पुन्नूस

श्री राजेन्द्र सिंह

श्री रामस्वामो

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

श्री विद्या चरण शुक्ल

श्री कैलाशपति सिन्हा

श्री सुगन्धि

श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह ठाकुर

श्री महावीर त्यागी

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

श्री रामसिंह भाई वर्मा

श्री बालकृष्ण वासनिक

श्री वोडयार

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अय्याकणु

श्री बासप्पा

श्री भोलानाथ विश्वास

श्री दलजीत सिंह

श्री विभूति भूषण दास गुप्त

श्री गणपति राम

श्री मूलचन्द जैन

श्री कमल सिंह

श्री कोडियान

श्री बलराज मधोक

श्री मोती लाल मालवीय

डा० पशुपति मंडल

श्री विश्वनाथ राय

श्री रामजी वर्मा

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री अब्दुल सलाम

श्री अंजनप्पा

श्री जगदीश अवस्थी

श्री फतहसिंह घोड़ासर

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामचन्द्र माझी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री मथुरा प्रसाद मिश्र

श्री मुहम्मद इमाम

श्री वासुदेवन नायर

श्रीमती उमा नेहरू

श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल

श्री शिवनंजप्पा

श्री शिवराज

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह--सभापति

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री अकबर भाई चावदा

श्री देवी सोरेन

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री यादव नारायण जाधव

श्री भानुसाहेब रावसाहेब महागांवकर

श्री सुरेन्द्र महन्ती

श्री नि० बि० माईति

श्री थानुलिंगम् नादर

श्री त० ब० विट्ठल राव

श्री रूप नारायण

श्री अमर सिंह सहगल

श्री झूलन सिंह

श्री सुन्दर लाल

लोक लेखा समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन--सभापति

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री हेमराज

श्री र० सि० किलेदार

श्री माने

डा० पशुपति मंडल

श्री मतीन

डा० मेलकोटे

श्री पु० र० पटेल

डा० सामन्त सिंहार

पंडित द्वा० ना० तिवारी

कुमारी मोत्ते वेदकुमारी

श्री रामजी वर्मा

श्री वारियर

राज्य-सभा

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

श्री लालजी पेंडसे

श्री बी० सी० केशव राव

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

श्रीमती सावित्री देवी निगम

श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

श्री जयनारायण व्यास

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

श्री बहादुर सिंह

श्री अरविन्द घोषाल

श्री न० रे० घोष

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

डा० कृष्णस्वामी

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री मोहम्मद इमाम

श्री पु० र० पटेल

श्री करसनदास परमार

श्री रघुबीर सहाय

श्री क० स० रामस्वामी

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री झूलन सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री ब्रजराज सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री० श्री० अ० डांगे

श्री दासप्पा

श्री प्र० के० देव

श्री मूल चंद दूबे

श्री ह० चं० हेडा

श्री रंगा

श्री जयपाल सिंह

डा० कृष्णस्वामी

श्री उ० श्री० मल्लय्या

श्री अशोक मेहता

डा० सुशीला नायर

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिव राज

श्री याज्ञिक

श्री जगन्नाथ राव

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या—सभापति

श्री बैरो

श्री माणिकलाल मगन लाल गांधी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री खुशवक्त राय

श्रीमती पार्वती कृष्णन

श्रीमती मफीदा अहमद

श्री राजेश्वर पटेल

श्री जगन्नाथ राव

श्री स० चं० सामन्त

श्री सिंहासन सिंह

लाभपद संबंधी संयुक्त समिति

लोक–सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन––सभापति

डा० मा० श्री० अणे

श्री आसार

श्री क० ब० मेनन

श्री मुरारका

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री रामेश्वर साहू

श्री राधा चरण शर्मा

श्री सिद्धनंजप्पा

राज्य–सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चेट्टियार

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति

लोक–सभा

श्री सत्य नारयण सिंह ––सभापति

श्री बैरो

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य

श्री रेशम लाल जांगड़े

श्री प्रभात कार

श्री मोहन स्व

श्री च० रा० नरसिंह

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिंहासन सिंह

श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम

राज्य-सभा

श्री जगन्नाथ कौशल

श्री अवधेश्वर प्रताप सिंह

श्री रोहित एम० दव

श्रीमती यशोदा रेड्डी

डा० डब्ल्यू ० एस० बालिगें

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री अमजद अली

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री नौशीर भरूचा

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मु० सु० सुगन्धी

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री मोती लाल मालवीय

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री पु० र० पटेल

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शंकरय्या

श्री राधा मोहन सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भार-साधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मन्त्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री —श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सेन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री —सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री —हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री —श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री —श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्ण मेनन

निर्माण , आवास और संभरण मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री —डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री —श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीटिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरमैय्या

असैनिक उड्डयन उपमंत्री— श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पु० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री —श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव —श्री जो० ना० हजारिका

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव —श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव—श्री श्याम धर मिश्र

लोक-सभा

शनिवार, २५ नवम्बर, १९६१
४ अग्रहायण, १८८३ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बेरोजगार असैनिक विमान-चालक

†*२४८. { श्री तंगामणि :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ और बेरोजगार विमान-चालकों को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में और सेना में रोजगार दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो १ अक्तूबर, १९६१ तक काम पर लगाये गये ऐसे व्यक्तियों की क्या संख्या है ; और

(ग) अभी कितने व्यक्तियों को और रोजगार दिया जाना है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९ ।]

†श्री तंगामणि : विवरण से पता चलता है कि ३० सितम्बर, १९६१ को चालू लाइसेन्स वाले २८ विमान-चालक अभी भी बेरोजगार हैं । क्या सितम्बर के बाद इन विमान-चालकों को काम पर लगाने के लिये कोई पग उठाये गये हैं ?

†श्री मुहीउद्दीन : जी, हां । हम ने इण्डियन एयरलाइन्स और भारतीय वायु बल से अपनी सेवाओं में इनमें से कुछ और को रखने की संभावना की जांच करने के लिये पुनः कहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमने योजना आयोग से भी आयु सम्बन्धी नियमों में ढील देने के लिये अनुरोध किया है। वह इस बात पर राजी हो गये हैं। वे मामले भी विचाराधीन हैं। मुझे आशा है कि लोक सेवा आयोग के जरिये कुछ को काम पर लगा दिया जायेगा ।

†**श्री तंगामणि:** क्या सरकार को पता है कि श्रीलंका सरकार ने विमान-चालकों और अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों के रोजगार के लिये विदेशों में जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है और क्या उनको यथासंभव शीघ्र भारत में नौकरी पर लगाने का विचार है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** हमारे यहां कोई प्रतिबन्ध नहीं है । यदि किसी विमान-चालक को विदेश में रोजगार मिलता है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** कुल बेरोजगार विमान-चालकों की संख्या ७४ थी जब कि विवरण में कहा गया है कि १७ को काम पर लगा लिया गया है और २८ अभी बेरोजगार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी ठीक संख्या क्या है जो आज भी बेरोजगार हैं।

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस प्रश्न पर एक पूर्व अवसर पर भी चर्चा की गयी थी और तब मैं ने सदन में बताया था कि असैनिक उड्डयन के महानिदेशालय द्वारा उन व्यक्तियों को, जो इलाहाबाद प्रशिक्षण केन्द्र से आये हैं, पत्र लिखने के बावजूद भी, कि वे उनको बतायें कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, केवल कुछ ही ने उनका उत्तर दिया है और अधिकांश ने उत्तर नहीं दिया । अब हम केवल चालू लाइसेंसों के आधार पर ही ठीक पता लगा सकते हैं कि बेरोजगार हैं या नहीं । केवल इसी आधार पर हम संख्या का पता लगा सकते हैं।

जहां तक उन विमान-चालकों का सम्बन्ध है, जिन्होंने अपने लाइसेंसों का पुनर्नवीकरण नहीं कराया है, मैं सभा में बता चुका हूं कि हमने उनको यह रियायत दी है कि अगर वे अपने लाइसेंस नये कराना चाहते हैं, उनको उड़ान के लिये आवश्यक शुल्क दिये बगैर ही ऐसा करने दिया जायेगा ।

†**श्री अजराज सिंह :** क्या मंत्रालय द्वारा भारतीय वायु बल में असैनिक विमान चालकों को रोजगार देने के बारे में अनुरोध का भारतीय वायु बल से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैं विवरण में बता चुका हूं कि वहां पर इस लिये गये थे ; नौ काम पर आये । हमने फिर वायुबल से अनुरोध किया है।

†**श्री वाजपेयी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी प्रशिक्षित विमान-चालकों को रोजगार पर लगाना संभव नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने नये विमान-चालकों के प्रशिक्षण के बारे में अपनी नीति पर पुनर्विचार किया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** हम इस वर्ष प्रशिक्षण के लिये कोई नया बैच नहीं ले रहे हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** विवरण से पता चलता है कि वर्ष १९६१ में भारतीय वायु बल द्वारा रोजगार पर लगाये गये दस विमान-चालकों में से ७ पहले से ही उड्डयन क्लबों और अनुसूचित विमान संचालकों के यहां रोजगार पर लगे हुए थे । क्या मैं जान सकता हूं कि बेरोजगार विमान-चालकों की अपेक्षा जो उन के समान ही प्रशिक्षित हैं, इन विमान-चालकों को प्राथमिकता क्यों दी गयी जो उड्डयन क्लबों और अननुसूचित संचालकों के यहां नौकरी कर रहे थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन :** इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को अच्छे से अच्छे अभ्यर्थी नियोजित करने होते हैं। हम उन्हें सर्वोत्तम के अतिरिक्त किसी अन्य को रखने के बारे में नहीं कह सकते। जब क्लबों में पद खाली होते हैं तो अन्यों को रोजगार का अवसर मिलेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि इंडोनेशिया की सरकार को कुछ विमान-चालकों की जरूरत थी और इन में से कई ने वहां आवेदन-पत्र दिये थे। यदि हां, तो क्या इन प्रशिक्षित बेरोजगार विमान-चालकों में से कुछ को इन्डोनेशिया भेजा जायेगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मुझे उन के इन्डोनेशिया में आवेदन-पत्र भेजने का पता नहीं है। प्रश्न से यह स्पष्ट है कि यदि इन्डोनेशिया को विमान-चालकों की जरूरत है तो वे अनुभवी विमान-चालक चाहेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** उपमंत्री महोदय ने यह बताया कि असैनिक विमान उड्डयन केन्द्र, इलाहाबाद में नये विमान-चालकों को प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है। इस समय असैनिक उड्डयन केन्द्र, इलाहाबाद में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस समय, जहां तक मुझे याद है, १७ व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं। यह संख्या ठीक भी नहीं हो सकती है।

†**श्री नाथ पाई** : इनमें से अधिकांश कितने समय तक बेरोजगार रहे हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे प्रत्येक विमान चालक के बेरोजगार रहने की अवधि के आंकड़ों का पता नहीं है। परन्तु जहां तक अधिकांश विमान चालकों का सम्बन्ध है, लगभग सभी ने असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र से १९५९–६० में पास किया था।

†**श्री नाथ पाई** : क्या मंत्रालय ने उन अभ्यार्थियों की, जिन्होंने इस केन्द्र से पास किया, एक सूची बनाई और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और भारतीय वायुबल को उचित सूचना दी। एक विमान-चालक को प्रशिक्षित करने में काफी खर्च आता है। हम इस बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी चाहते हैं।

†**श्री मुहीउद्दीन** : असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र और महानिदेशालय में पास करने वाले सभी अभ्यार्थियों की सूची रहती है। जैसा मैं अपने पहले उत्तर में बता चुका हूं, असैनिक उड्डयन महानिदेशालय ने यह जानने के लिये क्या वे रोजगार पर हैं, उनको पत्र लिखे थे। यदि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं।

डाक विभाग को धोखा देना

†***२४९. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ऐसे गिरोह का पता लगाया है जिसने अप्रैल, १९६१ से विभिन्न अवसरों पर डाक विभाग को १,६०,००० रुपये से ठगा था ;

(ख) यदि हां, तो गिरोह ने क्या तरीके अपनाये थे ; और

(ग) उन बड़े शहरों के क्या नाम हैं जहां धोखा देही के ऐसे मामले हुये हैं ?

---

†*मूल अंग्रेजी में*

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) अगस्त, १९६० से जुलाई, १९६१ तक की अवधि में ९४,१०० रुपये के गबन के मामले में एक विभागीय पदाधिकारी और छः बाहर के व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

(ख) इलाहाबाद हैड आफिस से भारत के अन्य हैड पोस्ट आफिसों को सेविंग बैंक अकाउन्ट्स के स्थानान्तरण के बारे में जारी एडवाइस भेजी गयी और दूसरी ओर रुपया निकाला गया ।

(ग) कलकत्ता जी० पी० ओ०, बड़ा बाजार (कलकत्ता) हैड आफिस, पटना, गया हैड आफिस, जबलपुर हैडआफिस, वाराणसी हैड आफिस और अलीगढ़ हैड आफिस ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : मंत्री महोदय ने बताया कि इस मामले में एक विभागीय पदाधिकारी का हाथ है । अन्य स्थानों पर स्थिति क्या है ? क्या यह सच है कि अधिकांश विभागीय कर्मचारी इस दल के सदस्य हैं ?

†डा०प० सुब्बरायन : जी, नहीं । ऐसा नहीं है । इसमे कुछ पदाधिकारी ग्रस्त थे । उनमें से एक को गिरफ्तार किया गया है । और कुछ बाहर के लोग भी शमिल हैं । उनकी एक योजना थी जिसके अनुसार वे कार्य करते थे । जैसा मैंने बताया, कार्यवाही की जा रही है ।

†श्री सूपकार : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्य प्रणाली को गुप्त क्यों रखा जाता ताकि कुछ समझदार लोग इससे कोई सुराग न पा सकें और ऐसा कार्य न करें ?

†डा० प० सुब्बरायन : हम इस बात के लिये कदम उठा रहे हैं कि ऐसे कार्य भविष्य में न हों ।

†उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु इस बारे में माननीय सदस्य को बताना होगा ।

चीनी का लाना ले जाना

\+

†*२५०. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री डी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० गं० देब :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री सूपकार :
श्री विभूति मिश्र :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री न० म० देब :
श्री चुनी लाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राज्य से दूसरे राज्य को चीनी लाने ले जाने पर से सभी प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो चीनी के वितरण के लिये अब क्या तरीका अपनाया गया है ; और

(ग) देश में चीनी के विक्रय और मूल्य पर प्रतिबन्धों को हटाये जाने का क्या असर पड़ा है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क). जी, हां, २८ सितम्बर, १९६१ से ।

(ख) अब चीनी कारखाने समय समय पर उनको दी गयी चीनी बाजार भाव पर किसी भी खरीदार को बेच सकते हैं और भारत में कहीं भी भेज सकते हैं ।

(ग) अब चीनी अधिक मात्रा में उपलब्ध है और मूल्यों में भी कुछ गिरावट आयी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने बताया कि चीनी के मूल्यों में कुछ गिरावट आयी है। चीनी के बाजार भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई है और इस की विनियंत्रण से पूर्व के मूल्य से क्या तुलना है ?

†**श्री अ० म० थामस** : सम्मानीय मित्र कानपुर में मूल्यों को जानना चाहेंगे । चीनी का भाव १.२८ पये प्रतिमन गिर गया है । इन प्रतिबन्धों के हटाने के समय मूल्य ४०.०४ रुपये था और अब यह ३८.७६ रुपये है। कलकत्ता में ५७ नये पैसे, बम्बई में १.३१ रुपये और मद्रास में ८८ नये पैसे के हिसाब से मूल्य कम हुये हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार अपने चीनी मूल्य, उत्पादन लागत पर पुनर्विचार कर उचित नियंत्रण करेगी और क्या इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गयी है ?

†**श्री अ० म० थामस** : अब भी उद्योग की ओर से यह विचार व्यक्त किया जाता है कि मूल्य और कम हों। हम परिस्थिति का अवलोकन कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वर्तमान स्थिति में सरकार कोई कदम उठायेगी ।

†**श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही** : मंत्री महोदय ने बताया है कि चीनी के मूल्य गिर गये हैं। परन्तु सत्य यह है कि उड़ीसा में इस विनियंत्रण के बाद चीनी का खुदरा मूल्य एक रुपया बारह आने प्रति सेर से २ रुपये प्रति सेर तक है। अतः यह कैसे कहते हैं कि मूल्य गिर गये हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : ऐसा नहीं है । कुछ पृथक स्थान हो सकते हैं। परन्तु यदि उड़ीसा में ऐसी कोई कठिनाई है तो हम वहां किसी भी मात्रा में चीनी भेजने को तैयार हैं। माननीय मित्र इस कार्य के लिये किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मंत्री महोदय ने बताया है कि कलकत्ता में चीनी के मूल्य गिर गये हैं। खुदरा मूल्य नहीं गिरे हैं। मैं नहीं जानती कि क्या वह थोक बाजार में मूल्यों के बारे में बता रहे हैं परन्तु खुदरा मूल्य कम नहीं हुये हैं। और अधिकतम मांग के समय में, अर्थात् पूजा के पहिले, चीनी के भाव बढ़ गये थे और चीनी उपलब्ध नहीं थी। जहां तक कलकत्ता में मूल्यों का सम्बन्ध है, स्थिति में किस प्रकार का सुधार हुआ है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मूल्य प्रति मन है । थोक और खुदरा मूल्यों के बीच कुछ तो अन्तर रहेगा । अब स्थिति सामान्य हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणुका राय** : पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को पता होगा कि त्योहारों और पूजा के समय, कलकत्ता जैसे स्थानों में, जैसा हमें बताया गया है वहां शहर में संभरण होते हुये भी, मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। ऐसी स्थिति को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : वितरण बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। यदि अधिक मूल्य को देखते हुये ज्यादा से ज्यादा आदमी चीनी का व्यापार करने लगेंगे, यदि कोई व्यक्ति चीनी का व्यापार करने को तैयार है तो उस व्यक्ति को किसी भी मात्रा में चीनी दी जायेगी। मैं पश्चिम बंगाल के उन सदस्यों को जिन्होंने यह प्रश्न उठाया है, आश्वासन देता हूं कि किसी भी मात्रा में चीनी के संभरण के बारे में कोई कठिनाई नहीं है। वास्तव में, उद्योग के अनुसार, कारखाने चीनी का भंडार समाप्त कर रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री विभूति मिश्र।

†**श्रीमती रेणुका राय** : मेरा प्रश्न है .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि मेरी अनुज्ञा चाहिये तो मेरी बात भी सुनी जानी चाहिये।

†**श्री विभूति मिश्र** : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि मूल्य गिर गये हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक सदस्य के लिये यह बात सामान्य हो गयी है कि वह उस बात को दोहराये जो मंत्री महोदय ने कही है। मंत्री महोदय को पता है, जो कुछ उन्होंने कहा है। माननीय सदस्य सीधे अपना प्रश्न पूछें।

†**श्री विभूति मिश्र** : राजधानी में जहां सब लोग रह रहे हैं, चीनी के खुदरा मूल्य में कितने प्रतिशत गिरावट आई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : दिल्ली में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। यह आठ नये पैसे हैं। परन्तु दिल्ली में कभी भी मूल्य असामान्य रूप से नहीं बढ़े थे। आप केवल उन्हीं केन्द्रों में अधिक कमी की आशा कर सकते हैं जहां मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई थी।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या सरकार को यह पता है कि प्रतिबन्ध हटाये जाने से पूर्व रेल द्वारा चीनी के लाने ले जाने को प्राथमिकता सूची 'ग' में रखा गया था और नियंत्रण के बाद इसको प्राथमिकता सूची 'ङ' में रखा गया है—जिसका मतलब है कि काई प्राथमिकता नहीं—जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों के पास काफी स्टाक जमा हो गया है और बाजार में खुदरा मूल्यों में बृद्धि हो गई है ? अतः म यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चीनी के तेजी से परिवहन के लिये काई कदम उठायेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : हमें परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों का पता है, और मुझे खुशी है कि रेलवे मंत्री महोदय इस प्रश्न को सुन रहे हैं।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : म नहीं समझता कि चीनी के परिवहन के लिये कोई आर्डर लम्बित हैं। काई मांग नहीं है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : चीनी के परिवहन पर से प्रतिबन्धों को हटाये जाने के फलस्वरूप, क्या निकासी में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इसमें कुछ वृद्धि हुई है परन्तु अभी यह नहीं बताया जा सकता कि कितनी वृद्धि हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : मन्त्री महोदय ने बताया है मिल मालिकों का यह विचार है कि चीनी के मूल्य और गिरेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गन्ने के मूल्य बनाये रखे जायेंगे, बनाये रखे ही नहीं अपितु बढ़ाये जायेंगे और कभी भी कम नहीं किये जायेंगे।

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : यह एक बड़ा अजीब प्रश्न है। जबकि हमारे कारखाने चीनी का भण्डार समाप्त कर रहे हैं, एक सदस्य यह कह रहे हैं कि गन्ने के मूल्य बढ़ने चाहियें। यदि कोई ऐसा दावा करता है तो यह किसानों के हित में नहीं है।

श्री सूपकार उठे—

†उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

†श्री सूपकार : प्रश्न की सूचना देने वालों में मेरा नाम भी है।

†उपाध्यक्ष महोदय : सत्य है। परन्तु मैं उन सब को मौका नहीं दे पाया हूं। जिन्होंने सूचना दी है। बाज दफा ऐसा होता है।

दिल्ली में बिजली की सप्लाई का बन्द हो जाना

+

*२५१. श्री भक्त दर्शन :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री दिल्ली में बिजली पहुंचाने वाले प्रेषण स्तम्भ (ट्रांसमिशन पिल्लर्स) गिर जाने तथा उसके फलस्वरूप १९६१ के आरम्भ में दिल्ली में बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने के बारे में जांच के सम्बन्ध में १ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति ने कार्य समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ग) उस कमेटी की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इतनी देरी का कारण क्या है; और

(ङ) कब तक रिपोर्ट मिल जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) ये प्रतियां ज्यूंही पंजाब सरकार से प्राप्त होंगी, संसद् के पुस्तकालय में रख दी जायेंगी।

(ग) यह रिपोर्ट पंजाब सरकार के विचाराधीन है।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या इसका मतलब यह है कि अभी तक केन्द्रीय सरकार को इस रिपोर्ट की कोई प्रतिलिपि नहीं मिली है और क्या केन्द्रीय सरकार इस पर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है ?

श्री हाथी : नहीं मिली है, क्योंकि वह कमेटी पंजाब सरकार ने एपायन्ट की थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या पंजाब सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि चूंकि राजधानी में यदि कोई गड़बड़ होती है, तो सारे देश पर उस का बुरा असर पड़ता है, इसलिये ऐसी व्यवस्था की जाये कि कम से कम भविष्य में ऐसी गड़बड़ न हो ?

श्री हाथी : जब कमेटी की रिपोर्ट आयेंगी, तब देखेंगे कि क्या बात हुई है ।

हार्ट फाउन्डेशन

+

†*२५३. { श्री श्री नारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय रोगों के बारे में अनुसन्धान करने के लिये 'हार्ट फाउन्डेशन' की स्थापना कर दी गयी है ;

(ख) क्या इस कार्य में सरकार ने किसी प्रकार की कोई सहायता दी है ;

(ग) क्या फाउन्डेशन ने कोई सहायता अथवा अनुदान मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). भारत सरकार से इस बारे में कोई सहायता नहीं मांगी गयी है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री श्री नारायण दास : क्या ऐसे फाउन्डेशन का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का क्या स्वरूप है ?

†श्री करमरकर : जैसा मैंने बताया हमसे कुछ नहीं कहा गया है । परन्तु यदि हम से कहा जाता है तो इसके गुणों के आधार पर इस पर विचार करेंगे ।

†श्री श्रीनारायण दास : मेरा प्रश्न यह था कि क्या भारत सरकार स्वयं सरकारी स्तर पर ऐसा फाउन्डेशन बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

†श्री करमरकर : जी, नहीं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि हृदय रोग के मामले वृद्धि पर हैं और वास्तव में इनमें वृद्धि हुई है और यदि हां, तो हृदय रोग के मामलों को रोकने के लिये व्यापक रूप से अनुसन्धान-कार्य करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†श्री करमरकर : व्यापक रूप से अनुसन्धान किया जा रहा है । परन्तु हृदय रोग दूर करने के लिये स्पष्ट उपचार यह है कि लोग उन मामलों के बारे में अधिक चिन्ता करते हैं जिनके बारे में उन्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये और उन्हें प्रतिदिन अधिक सैर करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिलीगुड़ी रेल दुर्घटना

†*२५४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलवे मन्त्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न स ३७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुडी रेल दुर्घटना के कारण किये गये दावों को अब निबटा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने दावे मिले हैं, वे कुल कितनी रकम के हैं और उन पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या तोड़-फोड़ किये जाने की सम्भावनाओं की जांच पूरी हो चुकी है और उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी, नहीं। इस दुर्घटना से होने वाले दावे इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा निपटाये जा रहे हैं। उन को २,३७,४२८ २५ रुपये के मूल्य के ६७ दावे प्राप्त हुए हैं और वे न्याय-निर्णयाधीन हैं।

(ग) सरकारी रेलवे निरीक्षक ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी उपपत्तियां दी हैं कि दुर्घटना अन्तर्ध्वस्तता के कारण हुई। पुलिस जांच जारी है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इन दावों को निपटाने में कितना समय लगेगा और इन मांगों को नई उच्चप्दावा दरों पर विचार किया जायेगा या पुरानी दावा दरों पर।

†**श्री शाहनवाज खां** : दावा आयुक्त अपना समय लेते हैं। वह रेलवे मन्त्रालय के नियन्त्रण में नहीं हैं। उन्हें प्रत्येक दावे का सत्यापन करना होता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में क्या बात है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उन्हें वर्तमान नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जावेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मन्त्री महोदय मे बताया कि सरकारी रेलवे निरीक्षक क जांच पूरी करलो है। केवल दो दिन पूर्व हो मैं पुस्तकालय गया था और रिपोर्ट को एक प्रति मांगी थी। मुझ को बताया गया कि रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। सभा में होने वालो चर्चा को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखो जायेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : सरकारी रेलवे निरीक्षक परिवहन तथा संचार मन्त्रालय के एक अधिकारी हैं और वहो मन्त्रालय यह बता सकता है कि वह ऐसा करेंगे या नहीं।

†**श्री अजराज सिंह** : अब आपके पास रिपोर्ट है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे निरीक्षक को उपपत्तियों पर पुलिस द्वारा जांच की जायेगी। मन्त्री महोदय न बताया कि अभी पुलिस जांच कर रहो है। क्या अन्तिम रिपोर्ट पुलिस की उपपत्तियों पर आधारित होगो या रेलवे निरोक्षक को उपपत्तियों पर आधारित होगो ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : नहीं, नहीं। पुलिस जांच का मतलब है उन अज्ञात व्यक्तियों से पूछताछ जो फिश प्लेट, बोल्ट आदि हटाने के लिये जिम्मेवार हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ?

†**श्री जगजीवन राम** : जी, अभी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिलेरू परियोजना

†*२२५. { श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री ई० चं० मल्लिक :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के चीफ इंजीनियरों ने गुन्टावड़ा में सिलेरू के आर-पार पन-बिजली परियोजना सम्बन्धी बांध की ऊंचाई पर बातचीत कर ली है और अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो समझौते का व्यौरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस परियोजना तथा बांध की ऊंचाई के बारे में भी योजना आयोग और सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय ने मुख्य मन्त्रियों के साथ कोई बातचीत की थी और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

†श्री हाथी : पिछले महीने इस परियोजना के सम्बन्ध में निश्चय हुआ था जबकि मुख्य मन्त्री इस बात से सहमत हो गये थे कि यह मामला योजना आयोग के सदस्य श्री त्रिवेदी के पास अन्तिम निर्णय के लिये भेज दिया जाये कि उसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिये। लेकिन आखिर में यही उचित समझा गया कि सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय तथा योजना आयोग के पदाधिकारियों का एक दल अनुमान ऊंचाई आदि के बारे में छानबीन करे और बाद में हम कोई अन्तिम निर्णय करें।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इंजीनियरों का यह दल संभवतः कब राज्यों का दौरा करेगा और अपना अन्तिम निश्चय करेगा ?

†श्री हाथी : पदाधिकारियों का यह दल संभवतः अगले महीने राज्यों में जायेगा।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मैंने अखबारों में पढ़ा था कि जगह चुनने का काम भी योजना आयोग के सदस्य, श्री त्रिवेदी पर छोड़ दिया गया है। क्या वह बांध को ऊंचाई के सम्बन्ध में है या जगह के सम्बन्ध में है या दोनों के बारे में ?

†श्री हाथी : जैसा कि मैंने बताया, दोनों ही मुख्य मंत्रियों ने सुझाव दिया था कि श्री त्रिवेदी को ही स्थान आदि के सम्बन्ध में निश्चय करना चाहिये क्योंकि यह सोचा गया कि यदि सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के कोई पदाधिकारी ऊंचाई के सवाल को छानबीन करते तो अधिक अच्छा होता और जो भी आर्थिक दृष्टि से अधिक अच्छा स्थान हो वही चुना जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या यह भी स्पष्ट है कि बांध का निर्माण कार्य तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि बांध को जगह अन्तिम रूप से चुन ली नहीं जाती अथवा यह कि स्थान चुने जाने या न चुने जाने के बावजूद बांध का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : बांध का निर्माण स्वतंत्र रूप से भी शुरू हो सकेगा उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन यदि बांध के लिए जगह उड़ीसा के बजाय आन्ध्र प्रदेश में चुनी जाती है तो संभव है कि बांध की ऊंचाई तदनुसार करनी पड़ेगी, लेकिन किसी भी हालत में बांध का निर्माण कार्य वहीं होगा।

†**श्री त० ब०विट्ठल राव** : एक साल पहले केन्द्रीय पानी बिजली आयोग के अध्यक्ष ने उड़ीसा सरकार को सुझाव दिया था कि परियोजना आरम्भ की जा सकती है और साथ ही आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ बातचीत भी चल सकती है लेकिन उड़ीसा के मुख्य मंत्री इससे सहमत नहीं हुए। अब यदि मंत्रालय के तथा योजना आयोग के कर्मचारी जाकर सुझाव देते हैं तो क्या वह मुख्य मंत्री को स्वीकार होगा ?

†**श्री हाथी** : मैं प्रश्न नहीं समझा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह स्वीकार होगा या नहीं यह काल्पनिक बात होगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जी नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह कैसे बता सकते हैं कि वह स्वीकार होगा या नहीं। वह तो उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर होगा।

†**श्री त० ब० विटठल राव** : उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने यह सुझाव अस्वीकार कर दिया था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यहां मंत्री महोदय के लिए यह कल्पना करना कठिन होगा कि उस समय मुख्य मंत्री की क्या राय होगी ?

राजस्थान में घग्घर नदी में बाढ़

†*२५६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में घग्घर नदी में बाढ़ आने से क्या नुकसान हुआ है ;

(ख) क्या इस संकट से बचा जा सकता था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के क्या विचार हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्ष १९६०–६१ में घग्घर-बाढ़ के कारण हुआ नुकसान, जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है, इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

(१) भूमिगत सम्पत्ति, मकान और झोपड़ियां . .	१२.००

†मूल अंग्रेजी में

(लाख रुपयों में)

(२) रेलवे लाइनों में टूट फूट ठीक करना . . . (इसमें वह हानि शामिल नहीं है जो १ महीने से अधिक यातायात बन्द रहने से राजस्व की हानि के कारण हुई)।	३.००
(३) खरीफ की फसलों की बरबादी . .	१५.००
(४) सड़कों को नुकसान	०.५०
(५) सर्दी में बाढ़ से फसलों और मकानों को नुकसान	९१.००
	१२१.५०

(ख) और (ग). यह एक अनिवार्य विपत्ति थी। राजस्थान सरकार की यही राय है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि घग्घर की बाढ़ केवल अभी हाल की है और पिछले ४० सालों में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आयी; यदि हां, तो इस घटना का क्या कारण है?

†**श्री हाथी** : माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में घग्घर में ऐसी बाढ़ नहीं आयी। पिछले कागज पत्रों से यह दिखाई पड़ता है कि १८९३ से १९५८ तक, लगभग ६६ साल तक इस नदी में कोई बाढ़ नहीं आयी और यह एक मृत नदी समझी जाती थी। उसके स्पष्ट कारण यह हैं कि, मैं अभी फिलहाल ब्यौरे बताने की स्थिति में नहीं हूं, पंजाब क्षेत्र में घनी सिंचाई के कारण, जहां सामान्यतः पानी फैला करता था, जमीन अब फैलते हुए पानी को सोख नहीं सकती। दूसरी बात यह कि उस क्षेत्र में पानी का स्तर भी बढ़ गया है और इसलिये पानी उधर बह जाता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जिस समय सिंचाई परियोजनायें न केवल पंजाब के लिए बल्कि राजस्थान के लिए भी तैयार की गयी थीं, क्या इन स्पष्ट बातों पर विचार किया गया था और क्या इस ओर ध्यान देने की सरकार की कोई योजना है कि ये बाढ़ न आयें?

†**श्री हाथी** : हां, कुछ योजनाएं हैं। मिट्टी आदि सम्बन्धी कारणों पर विचार किया जा रहा है। अभी हाल के अनुभव को देखते हुए, पंजाब और राजस्थान की सरकारें कुछ योजनाओं को आरम्भ करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण की कुछ योजनाएं वास्तव में तैयार कर ली हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वे योजनाएं कौन कौन सी हैं, वे कब आरम्भ की जा रही हैं और उनकी लागत क्या होगी?

†**श्री हाथी** : पंजाब और राजस्थान की सरकारें कई योजनाओं पर विचार कर रही हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस संक्षिप्त उत्तर में वह सारा कुछ नहीं बताया जा सकता।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या यह सच है कि पंजाब में अभी भी सूखी जमीन के बड़े बड़े भूखंड पड़े हुए हैं; यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के लिए इस पानी का उपयोग करने की कोई योजना है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : यह पानी दूसरी ओर ले जाने की एक योजना है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या ऐसी अल्पकालीन कोई योजनाएं हैं जो तुरन्त कार्यान्वित की जा सकती हैं ताकि इस क्षेत्र के बाढ़-पीड़ित भागों को राहत दी जा सके ?

†श्री हाथी : दूसरी ओर पानी ले जाने वाली नहरें तैयार करने की अल्पकालीन योजना है और उससे शायद कुछ राहत मिले।

उपभोक्ता सहकारी समिति

+

*२५७. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ता सहकारी समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि वह गोदामों के निर्माण के लिए अंश पूंजी सहायता (शेयर कैपीटल सबसिडीज) तथा ऋण दे और प्रबन्ध व्यय में भी हिस्सा बटाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५०।]

†श्री सुबोध हंसदा : विवरण में बताया गया है कि सरकार ने समिति की सभी सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। यदि ऐसा हो तो क्या इन सहकारी समितियों को राज सहायता तथा ऋण के भुगतान के कारण होने वाला खर्च राज्य निधि से या केन्द्रीय कोष से किया जायेगा ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : केन्द्रीय तथा राज्य की, दोनों की निधि से।

†श्री स० चं० सामन्त : ऋण तथा राज सहायता के लिए किन किन राज्यों ने योजनाएं प्रस्तुत की हैं ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : यह समिति केवल नवम्बर, १९६० में नियुक्त की गयी थी और रिपोर्ट इस साल मई के करीब पेश की गयी थी। अभी हाल में उसकी काट छांट की गयी है। मंत्रियों के सम्मेलन में भी उस पर चर्चा हुई थी। अभी ही यह नहीं बताया जा सकता कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी सुविधा से लाभ उठाने के लिए किन्हीं राज्यों ने योजनाएं तैयार की हैं या नहीं।

श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह के गोदाम कुछ विशेष राज्यों में ही बनाये जायेंगे या हर एक राज्य में, और इनमें राज्य सरकार कितना हिस्सा लेगी और केन्द्रीय सरकार कितना हिस्सा लेगी ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : सभी राज्य प्राथमिक उपभोक्ता समितियों तथा शीर्ष और अन्य समितियों के लिए गोदाम देना चाहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता समिति के लिए २,५०० रुपये और शीर्ष समिति के लिए ५०,००० रुपये की अंश पूंजी की सहायता होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा :** माननीय मंत्री ने बताया कि ऋण केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों द्वारा दिया जायगा । इसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों का कितना कितना हिस्सा होगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** केन्द्रीय सरकार ७५ प्रतिशत देगी और राज्य सरकार २५ प्रतिशत देगी जिसमें से १२½ प्रतिशत ऋण और शेष १२½ प्रतिशत राज सहायता होगी ।

†**श्री तंगामणि :** समिति ने उन मामलों में भी राज सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया है, जहां उनके किराये के गोदाम हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि गोदाम बनाये जाने की प्रतीक्षा करने के बजाय क्या राज्य सरकार को राज सहायता दी जा रही है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** गोदाम बनाने तथा गैर-सरकारी मकान किराये पर लेने के लिए राज सहायता के सम्बन्ध में समिति की सिफारिश थोक व्यापारियों के लिए मंजूर कर ली गयी है ।

राष्ट्रीय हैजा उन्मूलन योजना

\+

†*२५८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भिक काल में राष्ट्रीय हैजा उन्मूलन योजना बनायी जायेगी और कार्यान्वित की जायेगी ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि भारत में सब से अधिक और स्थानिक रोग के रूप में हैजा बृहत्तर कलकत्ते में फैलता है ;

(ग) यदि हां, तो वहां पर इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और निकट भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता तथा अन्य क्षेत्रों के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). पश्चिम बंगाल सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कलकत्ता राजधानी क्षेत्र में जिसमें कलकत्ता निगम तथा ३१ नगरपालिकाएं शामिल हैं, हैजे के नियंत्रण के लिए एक योजना बनायी है और मंजूर की है । इस योजना की मुख्य मुख्य बातें सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी हैं ।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता राजधानी क्षेत्र में जिसमें कलकत्ता निगम तथा ३१ नगरपालिकाएं तथा चन्दरनगर निगम और सीमावर्ती क्षेत्रों की सीमा पर और उनके बीच के ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं, हैजा, चेचक और मियादी बुखार (टाइफाइड) के लिए टीके लगा कर नियंत्रण की एक योजना मंजूर की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना के लिए कर्मचारीवर्ग के अन्तर्गत एक मुख्यालय एकक होगा जिसमें व्यापक रोग सम्बन्धी अनुभाग और छै क्षेत्रीय एकक होंगे और प्रत्येक एकक औसतन दस लाख लोगों की जरूरत पूरी करेगा। मुख्यालय एकक और व्यापक रोग सम्बन्धी अनुभाग कलकत्ते में स्थापित होगा। क्षेत्रीय एककों के मुख्यालय क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर रहेंगे।

निगम तथा नगरपालिकाओं के लोक स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवाएं भी इस योजना के लिए काम में लायी जाएंगी।

इस योजना पर किया जाने वाला खर्च इस प्रकार होगा :—

	रुपये
१. अनावर्तक	६१,०००
२. आवर्तक (प्रतिवर्ष)	१४,१०,०००

†**श्री स० चं० सामन्त :** विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि केवल कलकत्ता और आसपास के क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया था जब कि मेरा प्रश्न २४ परगना, हावड़ा और मिदनापुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र के बारे में था। क्या उन क्षेत्रों में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री करमरकर :** वहां सामान्य कार्यवाही की गयी है, ये समन्वित कार्यवाहियां हैं। इस बात को देखते हुए कि कलकत्ता राजधानी वाला एक क्षेत्र है जिसकी ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, यह योजना शुरू की गयी है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वेक्षण किया था और यह बताया था कि दूसरे क्षेत्रों में भी यह अधिक प्रचलित है ?

†**श्री करमरकर :** जी हां। बंगाल में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां यह प्रचलित हैं। लेकिन मुख्य क्षेत्र में पूर्व पाकिस्तान के पास गंगा-ब्रह्मपुत्र क्षेत्र तथा आस पास कई दूसरे क्षेत्र शामिल हैं। यह समस्या एकाएक सुलझायी नहीं जा सकती। इसलिए हम कलकत्ते पर ही अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ते में हैजा कम करने या मिटाने के लिए** एक महत्वपूर्ण योजना जो शुरू की जानी चाहिये, यह है कि पंपिंग स्टेशन शहर से बाहर रखने के लिए करीब १७ मील की दूरी तक पानी का एक नया मेन पाइप डाला जाये ? क्या सरकार जानती है कि यह मेन पाइप डालने का काम आगे नहीं बढ़ रहा है और रुका पड़ा है जिसका एक कारण यह है कि भारत सरकार ने बैरकपुर छावनी क्षेत्र से होकर पानी का पाइप डालने की मंजूरी अभी तक नहीं दी है ?

†**श्री करमरकर :** जैसा कि प्रश्न से ही स्पष्ट है, यह एक पेचीदा सवाल है और इस जल-संभरण के पहलू के संबंध में मुझे सूचना चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि उस क्षेत्र में हैजे के नियंत्रण के लिए अच्छा जल-संभरण एक अत्यावश्यक बात है। मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि इस संबंध में भी योजनाओं पर विचार हो रहा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** विवरण की इस बात को देखते हुए कि इस योजना के अधीन छै क्षेत्रीय एकक होंगे, क्या ये क्षेत्रीय एकक कलकत्ते के आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में रखे जायेंगे ? क्या उन लोगों के लिए जिन्हें हैजा हुआ था, अलग रखने के कोई केन्द्र होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर: वह तब होता है जब हैजे का प्रकोप बहुत गंभीर हो। दीर्घकालीन आधार पर तो टीके लगाने आदि की व्यवस्था है जो एक बहुत अच्छी पूरी व्यवस्था है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र को मालूम है, कलकत्ते में ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है जिस में रोगियों को अलग रखने आदि जैसी बातों की जरूरत हो।

†श्री नरसिंहन्: क्या सरकार को मालूम है कि कुछ क्षेत्रों में जहां दो या तीन राज्य मिलते हैं, जैसे मैसूर और मद्रास की सीमा पर, हैजे का रोग बहुत अधिक प्रचलित है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय का अभाव है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

†उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

टेलीप्रिंटर का कारखाना

+
†*२५९. श्री सुबोध हंसदा
श्री चंद्र शंकर:
श्री रा० चं० माझी:
श्री स० चं० सामन्त:
श्री भक्त दर्शन:

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास में टेलीप्रिंटर के कारखाने का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इसका निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ग) परियोजना के निर्माण के लिए योजना में क्या व्यवस्था थी; और

(घ) अब तक कितनी रकम इस पर व्यय हो चुकी है?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) और (ख). मद्रास सरकार फैक्टरी के लिये स्थायी इमारतों के लिये भूमि अधिग्रहण कर रही है और भूमि मिलते ही निर्माण कार्य आरम्भ हो जाएगा। इस समय फैक्टरी अस्थायी स्थान में है।

(ग) और (घ). परियोजना के लिये कुल उपबंध १५० लाख रुपये था जिसमें से ५०.२ लाख रुपये अभी तक मंजूर हुए हैं। इमारत के निर्माण पर अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

†श्री सुबोध हंसदा: माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि फैक्टरी अस्थायी इमारतों में है। क्या उत्पादन आरंभ किया जा चुका है?

†डा० प० सुब्बरायन: हमने लगभग ७० जोड़ लिये हैं। हम शीघ्र ही देशी वस्तु का उत्पादन करने की आशा करते हैं।

†श्री सुबोध हंसदा: माननीय मंत्री ने कहा है कि मद्रास सरकार ने फैक्टरी बनाने के लिये भूमि अधिग्रहण करना आरंभ कर दिया है। सरकार इस भूमि का अधिग्रहण करने में कितना समय लगायेगी और निर्माण कब आरंभ होगा?

†डा० प० सुब्बारायन: मद्रास सरकार ने हमें बताया है कि यह शीघ्र ही पूरा किया जाएगा क्योंकि उन्होंने स्वयं निशुल्क भूमि का वचन दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त :** क्या सरकार बता सकती है कि जोड़ने के इलावा टेलीप्रिंटर का निर्माण कब आरंभ होगा ? कब तक पूरे देशी टेलीप्रिंटरों का निर्माण होगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** जैसा मैंने बताया हम इस समय केवल उनको जोड़ते हैं । हम शीघ्र ही देशी पुर्जों के साथ निर्माण करने की आशा करते हैं, किन्तु इसमें कितना समय लग जाएगा यह नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** प्रायः तुरन्त, आगामी दो या तीन वर्षों में फैक्टरी उत्पादन आरंभ करेगी और बहुत से टेलीप्रिंटर बनाएगी । फिर सरकार ने समाचार सेवा की एक नई लाइन के लिये क्यों इतने अधिक ट्रांसमिटरों का आयात करने की अनुमति दी है जब हमारी एक देशी समाचार सेवा अर्थात् पी० टी० आई० है जो कुशल सेवा कर रही है ? मंत्रालय ने क्यों इस बात का ध्यान नहीं रखा ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** यह प्रश्न सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पूछा जाना चाहिये था ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस फैक्टरी के उपयोग के लिये आयात की जाने वाली मशीनरी का मूल्य या प्रतिशत क्या है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** हमने प्रायः सारी अपेक्षित मशीनरी का आयात किया है । हमने अस्थायी इमारतों में उनको स्थापित किया है जो हमें मद्रास सरकार ने पेश की है ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** इस फैक्टरी को मद्रास में लगाने का एक कारण यह है कि मद्रास सरकार ने हमें फैक्टरी के लिये भूमि देने का आश्वासन दिया था । भूमि अधिग्रहण करने में इतना समय कैसे लग गया ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** जो भूमि उन्होंने दी है वह उचित नहीं थी क्योंकि वहां नींव डालना कठिन था । इसलिये हमारे काम के लिये कुछ और उचित भूमि अधिग्रहण करने की प्रतिज्ञा की है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने एक भूमि दी है जो सरकार की है अर्थात् गुइंदी में सरकारी सम्पदा ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** उन्होंने जो भूमि दी थी उसका परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि हम जो इमारत बनाना चाहते हैं तो वह उचित नहीं होगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय बीज वर्ष

+

†*२६०. **श्री बर्मन :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त राज्यों ने १९६१ को एक अन्तर्राष्ट्रीय बीज वर्ष के रूप में मनाया है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार मनाया गया ; और

(ग) इसकी सफलतायें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१]।

†**श्री बर्मन** : विवरण से पता चलता है कि यद्यपि पश्चिम बंगाल का लक्ष्य २०० था यह बाद में घटा कर १०० कर दिया गया था और वह भी पूर्ण नहीं हुआ। इसके क्या कारण हैं?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : अधिकांश मामलों में कारण भूमि का न मिलना है। कभी हमें अपनी स्थिति का शोधन करना पड़ता है और अधिग्रहण का सहारा लेना पड़ता है। उसमें समय लगता है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की सलाह से लक्ष्य घटाया गया होगा।

†**श्री बर्मन** : विवरण से पता चलता है कि प्रविधिक सहकार मिशन ने हमें और उपकरण दिया किन्तु उस समूचे उपकरण का उपयोग पंजाब, बिहार तथा आंध्र में तीन गुण प्रकार नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने के लिये किया गया। बंगाल सर्वाधिक घाटे का राज्य होने के कारण, इस गुण प्रकार नियंत्रण प्रयोगशाला के अति महत्वपूर्ण मामले के संबंध में बंगाल के प्रश्न पर कब विचार किया जा रहा है?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के पहले प्रश्न में ही इसका उत्तर है। क्योंकि वहां बड़े फार्म काफी नहीं है, हम उस राज्य में इस मशीनरी का उपयोग नहीं कर सके। परन्तु यह इसकी समाप्ति नहीं है। ज्यों ज्यों हम बढ़ेंगे, संभवतः और केन्द्र खोले जाएं।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता चलता है कि राज्य सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बीज वर्ष को मनाने के लिये गोष्ठियां, सम्मेलन आदि आयोजित किये हैं। क्या इनमें खेतिहरों और किसानों को शामिल किया गया है?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : ये सब कार्यक्रम किसानों के लिये भी हैं। जब तक वे इसकी ओर ध्यान न दें, हम नहीं कह सकते कि आया हमारी योजना सफल हुई है। जैसा कि विवरण में कहा गया है, इस ने उपज बीजों की आवश्यकता और उपयोग के बारे में अधिक जागृति पैदा की है। यह इस चार और प्रापेगेन्डा का परिणाम है।

बम्बई–पूना लाइन पर रेलवे गार्ड की हत्या

—

†*२६२ { **श्री साधन गुप्त** : / **श्री गोरे** : / **श्री राजेन्द्र सिंह** : / **श्री तंगामणि** : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ सितम्बर, १९६१ की रात्रि को रेलवे मेल सेवा के गार्ड की बम्बई और पूना के बीच हत्या की गई थी;

(ख) डाक के डिब्बे में से कुल कितने मूल्य की वस्तुएं चुराई गई थीं; और

(ग) मृत गार्ड के परिवार को कितना सहायता प्रतिकर भगतान किया गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) अनुमानतः ४००० रुपये ।

(ग) उस व्यक्ति के परिवार को प्रतिकर देने का प्रश्न डाक व तार के महानिदेशक के विचाराधीन है। स बंध कल्याण निधि में से १०० रुपये की सहायता मृत व्यक्ति की विधवा को उस अफसर के द्वारा दी गई है ।

†श्री साधन गुप्त : रेलवे डाक सेवा कर्मचारी की यह हत्या आम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, उन कर्मचारियों को सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती, जो गाड़ियों में बीमाकृत चीजें ले जाते हैं और उनको क्यों गाड़ियों में अकेले यात्रा करने दिया जाता है जब उन के जीवन निस्संदेह खतरे में होते हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : इस पर डाक तार विभाग को विचार करना होगा ।

†श्री तंगामणि : पहले दुडला में रेलवे डाक सेवा के गार्डों की भी हत्या की गई थी। इस गार्ड ने कितने वर्ष सेवा की थी और क्या गाड़ी के पूना पहुंचने से पूर्व जब गाड़ी कनकोवाला पहुंची तो क्या कोई सूचना दी गई थी ? जब उसे वे तथ्य बताये गये तो क्या उस ने उस व्यक्ति को कोई सूचना दी जिसने उस को थैले दिये ।

†श्री शाहनवाज खां : हत्या किये गये डाक गाड़ी गार्ड की आयु ५० वर्ष के लगभग थी। मुझे नहीं पता कि क्या उसको सूचना दी गई थी, किन्तु हमें पता है कि लोनावाला तक उसने थैले इकट्ठे किये। यह प्रातः ३.१२ के लगभग हुआ। जब गाड़ी प्रातः ५.०५ पर पूना पहुंची, वह डिब्बे में मृत पाया गया ।

†श्री तंगामणि : क्या डाक व तार विभाग के किसी कर्मचारी ने उससे बात की जब गाड़ी पूना पहुंचने से पहले किरकी पहुंची ?

†श्री शाहनवाज खां : किरकी में कुछ लोग आये और द्वार खोलने का प्रयत्न किया । वे खोल नहीं सके। गाड़ी किरकी से चल दी और पूना में पता चला कि किसी ने अन्दर से ताला लगा दिया था और पिछली ओर से भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वह इन सब बातों को देखेगी ।

†श्री तंगामणि : किरकी में कोई थैला नहीं दिया जा सका। समाचारपत्रों में भी यह छपा था। यदि वहां संदेह था कि हत्या किये जाने की कार्रवाई अन्दर की जा रही है तो तुरन्त गाड़ी क्यों नहीं रोकी गई और जांच की गई क्योंकि हो सकता था कि मारने वाले लोग उस समय गाड़ी में होते और यह बात पकड़ी जाती ? गाड़ी को क्यों चलने दिया गया जब वह डिब्बा अन्दर से बन्द था ?

†श्री शाहनवाज खां : संभव है कि यह बात स्टेशन मास्टर या गाड़ी के गार्ड को न बताई गई हो।

†उपाध्यक्ष महोदय: वह यही बात जानना चाहते हैं। जब उन्होंने द्वार खोलने का प्रयत्न किया और द्वार नहीं खुले तो उन्होंने गाड़ी को रोकने के लिये गार्ड को कहना चाहिये था या वहां कुछ शरारत समझनी चाहिये थी ।

†श्री शाहनवाज खां : वे डाक व तार कर्मचारी हैं। मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्यों सूचना नहीं दी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों की पदच्युति

†*२६३. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के तीन कर्मचारियों और कार्मिक संघ के कार्यकर्ताओं ने, जिन की सेवायें संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा परिमाण नियमों के अन्तर्गत खत्म कर दी गई हैं, अपने मामलों का पुनर्विलोकन करवाया है ;

(ख) क्या संघ के २३ प्रमुख कार्यकर्ताओं को, जिनमें दक्षिण-पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री भी सम्मिलित हैं, नौकरी से हटा दिया गया है ;

(ग) क्या संघ के तीन शाखा मंत्रियों को सेवा से हटाने के सम्बन्ध में कारण बताने के नोटिस प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) क्या सरकार परिवर्तित वातावरण को देखते हुए इन मामलों की पुनः जांच कराने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी)**: (क) रेलवे सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा परिमाण) संशोधन नियम, १९६० द्वारा संशोधित रेलवे सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा परिमाण) नियम, १९५४ के अन्तर्गत दक्षिण-पूर्व रेलवे के किसी भी कर्मचारी की सेवायें खत्म कर नहीं की गई हैं।

(ख) केवल ३ कर्मचारी सेवा से हटाये गये हैं जिन में दक्षिण पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री भी सम्मिलित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध रेलवे कर्मचारी संघ का पदधारी होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई है इसलिये इन मामलों पर पुनः विचार किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर, अर्थात् कि दक्षिण पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री को सम्मिलित कर के तीन व्यक्ति सेवा से हटाये गये हैं, की दृष्टि से प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर विरोधात्मक नहीं समझा जायगा ?

†**श्री स० वें० रामास्वामी** : जी नहीं, स्थिति निम्न प्रकार है। जहां तक भाग (ख) का संबंध है, इन व्यक्तियों के वि द्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। समस्त प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। कारण बताने का नोटिस और तमाम चीजों का पालन किया गया है और उन्हें सेवा से हटा दिया गया है। जहां तक भाग (क) का संबंध है, संभवतः उस में एक गलती है। उन में से दो संघ के पदाधिकारी हैं। उन के विरुद्ध कार्यवाहियां राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई थीं। वे उच्च न्यायालय तक गई थीं। भाग (ख) सर्वथा स्पष्ट है। वे कार्यवाहियां अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत थीं और उन्हें सेवा से हटा दिया गया है।

†**श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या यह समस्त कार्यवाही, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की गतवर्ष की हड़ताल के सम्बन्ध में की गई है ? यदि हां, तो इन लोगों के

---

†मूल अंग्रेजी में

विरुद्ध क्या आरोप हैं। हमें यह आश्वासन दिया गया था कि केवल अन्तर्ध्वंस और हिंसा के मामलों में कार्यवाही की जायेगी, अन्य किसी मामले में नहीं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी, नहीं। कुछ अन्य मामले भी हैं जिन में वे सामान्य अनुशासन नियमों के अन्तर्गत आयेंगे, जैसे बिना उचित छुट्टी के अप्राधिकृत अनुपस्थिति। उनके विरुद्ध कुछ आरोप हैं। उन की जांच की गई है और उन्हें नियमों के अन्तर्गत सेवा से हटा दिया गया है यद्यपि वह अवधि हड़ताल की अवधि के दौरान ही पड़ती है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** यदि बिना छुट्टी के अप्राधिकृत अनुपस्थिति को अब हड़ताल में भाग लेना कहा जा रहा है तो केवल इन दो व्यक्तियों को ही अनुशासन की कार्यवाही के लिये क्यों चुना गया है। कम से कम दो तीन लाख व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये थी।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** हमें सभा में यह बताया गया था कि केवल अन्तर्ध्वंस के मामलों में कार्यवाही की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि भारत की समस्त रेलवे लाइनों में, केवल दक्षिण पूर्व रेलवे में ही नहीं, हड़ताल के दौरान अप्राधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कितने व्यक्ति पदच्युत किये गये हैं अथवा उन की सेवायें खत्म की गई हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इस संबंध में उत्पन्न होता है।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम):** मैं समझता हूं कि उस के लिए पृथक नोटिस की आवश्यकता होगी।

†**श्री नाथ पाई :** यह प्रश्न माननीय मंत्री द्वारा अभी कही गई बात से उत्पन्न होता है। यदि आप अनुमति दें तो हम कुछ स्पष्टीकरण और चाहेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब माननीय मंत्री उत्तर देने को तैयार नहीं होंगे।

†**श्री नाथ पाई** : मैं माननीय मंत्री की कठिनाई को समझ रहा हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : वह विवरण पेश कर सकते हैं।

†**श्री नाथ पाई** : हां, उस मामले में।

†**श्री जगजीन राम** : जहां तक उन कर्मचारियों की कुल संख्या का सम्बन्ध है, जिन के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, मैं नोटिस चाहूंगा। मैं नहीं समझता कि किसी भी व्यक्ति को केवल अप्राधिकृत छुट्टी के लिए सेवा से हटाया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि इस संघ के महामंत्री श्री सत्यम कार के विरुद्ध एकमात्र आरोप अप्राधिकृत अनुपस्थिति--बिना छुट्टी के अनुपस्थिति--का था ? क्या उन्होंने मंत्री जी से कोई अपील की है अथवा इसका निर्णय रेलवे बोर्ड के स्तर पर ही हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : मैं कह चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति गत वर्ष की कुछ सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में केवल अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण नौकरी से नहीं हटाया जायेगा । जहां तक अपील का सम्बन्ध है, मुझे ज्ञात हुआ है कि वह रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि इन संघ के महामंत्री के विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप हड़ताल से पहले की तारीख से संबंधित है, हड़ताल के दौरान का नहीं, और यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री द्वारा अभी कही गई बात से हम समझें कि उस मामले पर पुनर्विचार किया जा सकता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह स्वयं हड़ताल के सम्बन्ध में एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या माननीय मंत्री को ऐसे मामलों की जानकारी नहीं है जिनमें उनके कर्मचारियों को बिना छुट्टी की अनुपस्थिति के लिये नौकरी से निकाल दिया गया है यद्यपि न्यायालयों ने उन को निरपराध बताया है ।

†**श्री जगजीवन राम** : ऐसे मामले होंगे जिनमें उनको न्यायालयों द्वारा दंडित नहीं किया गया है परन्तु रेलवे के पास उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त सामग्री थी । केवल अनधिकृत छुट्टी के कारण यह कार्यवाही नहीं की गई है वरन् कुछ अन्य बातें भी हैं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या भारत सरकार के विभिन्न संघों को पुनः मान्यता देने के निर्णय के पश्चात् समस्त रेलवे कर्मचारी संघों को रेलवे मंत्री अथवा बोर्ड द्वारा पदच्युत अथवा सेवा से हटाये जाने के इन मामलों की चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : हड़ताल से संबंधित मामलों की चर्चा करने का कोई अवसर नहीं दिया जायगा ।

गण्डक परियोजना

†*२६४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक परियोजना का ३१ अक्टबर, १९६१ तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२]**

श्री विभूति मिश्र : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गंडक बैराज प्रोजेक्ट के निर्माण का कोई एक निश्चित डेट बना है कि नहीं ? किसानों को कब तक पानी दिया जायेगा इस की कोई टार्गेट डेट रक्खी है कि नहीं ?

श्री हाथी : गंडक बैराज प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ८ साल का था ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार के पास यह खबर आई है कि दोन कैनाल के पास के रहने वाले लोग जोकि धांगड़ और थारू हैं वह चाहते हैं कि बैराज का ऊंचाई एक, दो फिट बढ़ जाये ताकि उन की जमीनों की सिंचाई ठीक से हो सके ?

श्री हाथी : ऐसी कोई खबर नहीं आई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके लिये सोचेगी कि बैराज की हाईट एक, दो फिट बढ़ा दी जाये ताकि उन गरीबों का भी फायदा हो सके ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही का सुझाव है ।

†**श्री का० ना० पांडे** : क्या गण्डक नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण गोरखपुर जिले का बहुत सा क्षेत्र हाल की बाढों से प्रभावित हुआ था और वहां बहुत नुकसान हुआ था और यदि हां, तो क्या सरकार उस स्थान पर, जहां से यह नहर शुरू होती है, बांध बनाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री हाथी** : यह संभवत: दूसरी नदी के संबंध में है जो वास्तव में इस परियोजना में नहीं आती है। परन्तु आशा है कि इस बांध और तटबन्ध के कारण यह क्षेत्र बच जायेगा। मुझे उस योजना के संबंध में पूर्ण सूचना की आवश्यकता होगी ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित हुआ है कि नेपाल के साथ करार के संबंध में इस समस्या पर वहां की सरकार में परिवर्तन के कारण कोई कठिनाई हुई है ।

†**श्री हाथी** : मैं ऐसा नहीं समझता ।

भड़ोंच के समीप बोगी का पटरी से नीचे उतर जाना

+

†*२६८. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ अक्तूबर, १९६१ को पश्चिम रेलवे पर भड़ोंच के समीप जब १६-अप सौराष्ट्र मेल की तीसरे दर्जे की एक बोगी पटरी से नीचे उतर गई थी, तो दो यात्री मारे गये थे और अन्य नौ यात्री घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण दुर्घटना हुई ;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्तियां हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) दो व्यक्ति मारे गये थे और ८ घायल हुए थे ।

(ख) से (घ). मामले के सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जांच की गई है और दुर्घटना के कारण के सम्बन्ध में अभी जांच जारी है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा निवेदन है कि स्वर्गीय श्री के० रामाराव के परिवार को प्रतिकर देने से सम्बन्धित प्रश्न संख्या २८४ इसके बाद लिया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह मेरे लिए कठिन होगा। मैं सूची के अनुसार चलूंगा।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : हाल के महीनों की दुर्घटनाओं के कारण मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या १९५४ की रेलवे जांच समिति की सिफारिशों को भली प्रकार क्रियान्वित किया गया था ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तर दिया जाना चाहिए।

†**श्री सें० व० रामस्वामी** : जी, हां।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या प्रश्न २९३ नहीं लिया जा सकता ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं कह चुका हूं कि मैं सूची के क्रमानुसार चलूंगा।

गुंटाकल से होसपेत तक बड़ी लाइन

†*२६९. **श्री अगाड़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह-अयस्क के वहन को सुकर बनाने के लिये दक्षिण रेलवे पर गुंटाकल से होसपेत तक बड़ी लाइन बढ़ाने के बारे में अन्तिम रूप से फैसला कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो काम के कब आरम्भ किये जाने और कब तक समाप्त होने की संभावना है;

(ग) इस लाइन को बढ़ाने पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है;

(घ) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसमें विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यह मैसूर राज्य के पश्चिम तट के पत्तनों के विकास के लिये हानिकर है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) योजना विचाराधीन है।

(ख) प्रारम्भिक जांच और इंजीनियरिंग सर्वे किया जा रहा है। इस लाइन का निर्माण प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में निर्णय सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर विचार कर लिये जाने पर किया जायेगा। यह अभी नहीं बताया जा सकता कि कार्य कब पूरा होगा।

(ग) लगभग ६३० लाख रुपये।

(घ) और (ङ). प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तरों की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होते।

(च) मैसूर की सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री शंकरय्या** : क्या इस लाइन के साथ होस्पेट–खरवाड़ लाइन का कार्य भी प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस अवस्था में कुछ नहीं कहा जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : रेलवे उपमंत्री श्री सें० वें० रामस्वामी ने अपने दक्षिण के दौरे के दौरान यह कहा था कि इस लाइन का कार्य तीसरी योजना में प्रारम्भ किया जायेगा।

†**श्री शाहनवाज खां** : उस का सर्वे किया जायेगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : वह निर्वाचन प्रयोजनों के लिए था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

खाद्य तथा असैनिक संभरण विभागों के भूतपूर्व कर्मचारी

*†२७०. **श्री नाथ पाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के विभाग के अन्दर खाद्य तथा असैनिक संभरण विभागों के भूतपूर्व कर्मचारियों को सेवा में लगा जाने के पश्चात्, उन को अधिक बढ़ा हुआ प्रारम्भिक वेतन नहीं दिया गया, यद्यपि उन्होंने पहले सरकार की लम्बी अवधि के लिये सेवा की थी;

(ख) क्या रेलवे के अतिरिक्त अन्य सभी केन्द्रीय मंत्रालयों ने खाद्य तथा असैनिक संभरण विभागों के उन भूतपूर्व कर्मचारियों को जिनको उन्होंने सेवा में लिया था बढ़ा हुआ प्रारम्भिक वेतन दिया है;

(ग) क्या सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों के सम्बन्ध में कोई एकरूप नीति है;

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे में खाद्य तथा असैनिक संभरण विभागों के भूतपूर्व कर्मचारियों के बारे में एकरूप नीति रखने के लिये और उनको अन्य रेलवे कर्मचारियों के बराबर मानने के लिये, सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है;

(ङ) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने रेलवे में लगे हुए खाद्य तथा असैनिक संभरण विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों के बारे में, गृह-कार्य मंत्रालय के परिपत्र संख्या १६/१६–५६ सी० एस० (सी) दिनांक २७ नवम्बर, १९५७ में दिये गये निदेशों का अभी पालन नहीं किया है; और

(च) यदि नहीं, तो रेलवे बोर्ड के द्वारा उन के कार्यान्वित किये जाने के बारे में सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा कोई सामान्य आदेश नहीं जारी किये गये थे परन्तु विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत असैनिक पदों पर पुनर्नियुक्त ऐसे कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक मामले के गुण-दोषों पर निश्चित किया गया था।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि से समान नीति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। रेलवे पर पुनर्नियुक्ति पर उन को अन्य रेलवे कर्मचारियों के समान माना गया है।

(ङ) और (च). गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेश अनुज्ञापक प्रकृति के हैं और रेलवे मंत्रालय ने तदनुसार रेलवे के असैनिक संभरण और खाद्य विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों को उच्च प्रारम्भिक वेतन मंजूर करने का निर्णय किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नाथ पाई : मंत्रालय 'अनुतापक' शब्द जोड़ कर इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का बचाव करने का प्रयत्न कर रहा है जो अन्य मंत्रालयों के तरीके से मेल नहीं खाता है। क्या यह उचित नहीं है कि रेलवे मंत्रालय भी अन्य मंत्रालयों की तरह पिछली सेवाओं को मानते हुए वेतन का समायोजन करे ?

†उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही का सुझाव है।

†श्री नाथ पाई : जी नहीं, मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या अन्य मंत्रालयों में ऐसा नहीं होता है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को वह सूचना ज्ञात है, तथ्य स्वीकार किये जा चुके हैं। माननीय सदस्य चाहते हैं कि रेलवे मंत्रालय को भी ऐसा करना चाहिए। यह स्पष्टतः कार्यवाही का सुझाव है। इसलिए मैं क्या कर सकता हूं ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नौवहन का विकास

†*२५२. श्रीमती इलापालचौधरी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन महानिदेशक के इस बात पर बल दिये जाने के सम्बन्ध में कि सरकारी और गैर-सरकारी नौवहन समवाय अपनी विकास योजनाओं को पूरी तरह आगे बढ़ायें और नौवहन के लिये नियत राशियों का उपयोग करें उक्त समवायों से कोई उत्तर मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). टनभार बढ़ाने के लिए अभी तक किसी भी नौपरिवहन समवाय से कोई विस्तृत योजनायें नहीं प्राप्त हुई हैं। परन्तु पुराने जहाजों की खरीद अथवा नये जहाजों के निर्माण की प्रार्थनायें प्राप्त हो रही हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। अप्रैल, १९६१ से तीन पुराने जहाज अर्जित किये गये हैं और नौ मालवाहक जहाजों का व्यादेश हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम् को दिया है जिन का कुल पंजीबद्ध टन भार १,०९,५८५ होगा।

इंजनों और सवारी डिब्बों का निर्यात

†*२६१. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या रेलवे मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजनों और यात्री डिब्बों के निर्यात में क्या प्रगति, यदि कोई हो हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में और क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।

(ख) जब विदेशों से पूछताछ की जाती है तब हम अपने प्रस्ताव भेजते रहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

माल डिब्बों की लदाई और उतराई संबंधी नियम

†*२६५. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विश्वास है कि माल डिब्बों की लदाई और उतराई से सम्बन्धित नियमों में, डिब्बों का तेजी से वहन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी लदाई और उतराई के लिए कितना समय आदर्श औसत समझा जाता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). वैगनों का आवागमन बढ़ाने की दृष्टि से लदान अथवा उतराई के लिए निःशुल्क समय १-११-१९५६ से ५ घण्टे कर दिया गया है और यह वर्तमान परिस्थितियों में उचित समझा जाता है।

स्त्रियों तथा बच्चों का कल्याण

*२६६. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक विकास खंडों में स्त्री-बच्चों के कल्याण के बारे में राज्य सरकारों को कोई परिपत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिपत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य बातें ये हैं :—

(१) प्रत्येक ग्राम सेवक के क्षेत्र में एक ही दल से दस अच्छे महिला मण्डल खोलना।

(२) महिला मण्डल प्रशिक्षित सहकारी महिला कार्यकर्त्ताओं द्वारा चलाये जायें।

(३) महिला कार्यक्रम इन पर केन्द्रित किया जाय :—

(१) आहार-पोषण

(२) परिवार नियोजन

(३) सहायक काम-धन्धे

(४) घर की सजावट, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन

(५) शिक्षा और नागरिकता सहित समाज शिक्षा

(६) स्कूलों में बच्चों की भर्ती।

(४) विशिष्ट कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा का स्थानीय महिला मण्डल द्वारा स्वयं तय किया जाना ।

(५) महिलाओं और बच्चों पर कम से कम खर्च करने के लिए प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के खण्डों के स्कीमैटिक बजट में क्रमशः ४०,००० एवं २०,००० रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस राशि के साथ-साथ दूसरी मदों के लिए निर्धारित राशियों का प्रयोग भी जहां तक सम्भव हो सके इस कार्यक्रम के लिए किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रिंटरग्राम टेलीग्राफ सेवा

†*२६७. **श्री अजत सिंह सरहदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान समूचे देश में प्रिंटरग्राम टेलीग्राफ सेवाएं चालू करने के लिये कोई अनुसूची तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो वह अनुसूची क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस सेवा को धीरे धीरे कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर, नागपुर, पटना, इलाहाबाद और कोचीन में चालू करने का प्रस्ताव है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

एयर इंडिया इन्टरनेशनल का संचालन लाभ

†*२७१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ के लिये एयर इंडिया इन्टरनेशनल का संचालन लाभ क्या है;

(ख) वर्तमान स्थिति क्या है और वर्ष १९६१-६२ के लिये प्रत्याशित लाभ कितना है; और

(ग) बी० ओ० ए० सी० तथा क्वांटस के साथ की गई भागिता व्यवस्था से क्या लाभ हुए हैं और यातायात का विभाजन किस प्रकार किया जा रहा है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहिउद्दीन)** : (क) ११७.४१ लाख रुपये ।

(ख) पहले की आशाओं के प्रतिकूल चालू वर्ष में कोई लाभ-हानि न होने अथवा थोड़ी सी संचालन हानि होने की आशा है ।

(ग) एयर इंडिया तथा अन्य भागीदारों को त्रिपक्षीय भागिता व्यवस्था से निम्नांकित मुख्य लाभ होंगे : व्यर्थ की स्पर्धा से बचाव, अधिक व्यापार प्राप्त करने के लिए तीनों भागीदारों के सहकारी प्रयत्न से अधिक बिक्री और यात्रा करने वाली जनता को सेवाओं और मार्गों में चयन का अधिक अवसर देने के लिए प्रत्येक भागीदार के संसाधनों का अधिक प्रभावोत्पादक विभाजन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मिलों में चीनी का उत्पादन :

†*२७२. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री गोरे :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री विभूति मिश्र :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलग अलग मिलों में चीनी उत्पादन में १० प्रतिशत कटौती किस आधार पर लागू की जा रही है; और

(ख) अतिरिक्त गन्ने का अन्यथा उपयोग करने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १० प्रतिशत की कटौती मुख्यत: देश में चीनी के वर्तमान स्टाक और अपनी आन्तरिक खपत तथा निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए की गई है।

(ख) यदि किसी क्षेत्र में अतिरिक्त गन्ना होगा तो उससे गुड़ अथवा खांडसारी का निर्माण करना होगा।

अलीगढ़ में कालका मेल का रोका जाना

***२७३. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ अक्तूबर को हावड़ा जाने वाली कालका मेल अलीगढ़ में रोकी गई;

(ख) यदि हां, तो रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर इस को रोका गया था; और

(ग) यह वहां पर कितने समय तक रुकी रही ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). जी हां। अलीगढ़ जंक्शन के बाहरी और निकट सिगनलों के बीच स्टेशन से लगभग ६३४ गज की दूरी पर गाड़ी १० मिनट के लिए रोकी गयी थी।

बिहार में हैजा

†*२७४. **श्री रमेश प्रसाद सिंह :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को यह मालूम है कि बिहार राज्य के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में हैजा तथा अन्य संक्रामक रोग फैले हुए हैं और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य बहुत खतरे में है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारत सरकार इन कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिये बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में दवाइयां तथा चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुयें भिजवाना और राज्य सरकार को इसकी सहायता भी देना आवश्यक समझती है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दस्त और कै के इक्के दुक्के मामलों की सूचनायें प्राप्त हुई थीं। उन क्षेत्रों में महामारी के रूप में कोई भी बीमारी फैलने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से औषधियों के संभरण की कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु भारत सरकार को प्रविधिक सहायता मिशन प्राधिकारियों से प्राप्त १०० टन दुग्ध-चूर्ण बिहार सरकार को सरकारी एजेंसियों द्वारा बाढ़ पीड़ितों को संभरण किये जाने के लिए आवण्टित किया गया है।

अमेरिका को चीनी का निर्यात

†*२७५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पहाड़िया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रमेश प्रसाद सिंह :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री न० म० देब :
श्री वारियर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकारी अधिकारियों और सरकार के बीच इस बात के लिये कोई नयी बातचीत हुई है कि अमेरिका को निर्यात करने के लिये चीनी का और अधिक कोटा नियत किया जाय;

(ख) क्या स्थायी कोटा नियत करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है; और

(ग) क्या पिछले करारों के निबन्धनों और शर्तों में किसी परिवर्तन का सुझाव दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). जी हां, मामले के सम्बन्ध में अमरीकी सरकार के साथ चर्चा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कोयें का आवण्टन अमेरिका के चीनी अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है जब कि बिक्री सामान्य व्यापार मार्गों के माध्यम से होती है। अमरीकी सरकार के साथ अपचारिक करार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

डाकतार विभाग में अनुसूचित जातियां/आदिम जातियां

†*२७६. **श्री माने** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकतार विभाग में डाकखाना निरीक्षकों, आर० एम० एस० के निरीक्षकों और टेलीग्राफ मास्टरों को पदालियों में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिये आरक्षित कोटा पूरा नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदालियों में आरक्षित कोटा पूरा करने के लिये विशेष परीक्षायें लेने का सरकार का विचार है, जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय के असिस्टेंटों और स्टेनोग्राफरों के मामलों में गृह-कर्यमंत्रालय ने किया था ?

†परिसहन तथा संचार मंत्री (**डा० प० सुब्बारायन** : (क) जहां तक पोस्ट आफिसों और रेलवे डाक सेवा के इन्स्पैक्टर्स के संवर्गों का संबंध है, अनुसूचित जातियों के मामले में जो कमी है वह नगण्य है परन्तु आदिम जातियों के मामले में काफी है। जहां तक टेलीग्राफ मास्टरों के संवर्ग का संबंध है, अभी तक आयोजित दो परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सफल अभ्यार्थियों की संख्या बहुत कम रही है। इस का मुख्य कारण है कि अनेक सर्किलों में परीक्षाओं में बैठने के लिये योग्य अभ्यर्थी थे ही नहीं। अनुसूचित आदिम जाति का जो एक अभ्यर्थी परीक्षा में बैठा है उसे ले लिया गया है। परन्तु अब यह निर्णय किया गया है कि टेलीग्राफ मास्टरों के संवर्गों में पदवृद्धियां वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर की जानी चाहिये। इसलिये भविष्य में आरक्षण संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे।

(ख) जी, नहीं।

अनाज संबन्धी मूल्य नीति

†*२७७. **श्री चुनी लाल :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास मंत्रालय की नीति-निर्धारण समिति अर्थात् सामुदायिक विकास संबंधी केन्द्रीय समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि अनाज संबंधी मूल्य नीति निश्चित की जाये और शीघ्र ही कार्यान्वित की जाये; और

(ख) मूल्य नीति कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है। सरकार खाद्यान्नों के भावों को देख रही है और आवश्यकता पड़ने पर मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के लिये, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए, उचित कदम उठायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

औषधियां

†*२७८. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई विदेशी और भारतीय समवाय इंजैक्शन द्वारा दी जाने वाली ऐसी औषधियां बाजार में भेजते हैं जिन में विज्ञापित क्षमता नहीं होती और जो कभी कभी बिल्कुल ही बेकार सिद्ध होती हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि एक विदेशी समवाय ने हाल में औषध विक्रेताओं को 'ट्रिपिल एंटीजेन' नामक एक ऐसी औषधि सम्भरित की थी, जिस को अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी; और

(ग) इस कदाचार के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर** : (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) राज्य के औषधि नियंत्रक प्राधिकारी इंजैक्शनों की किस्म के संबंध में विशेष रूप से सतर्क हैं और उनके नमूनों की अक्सर जांच की जाती है।

हीराकुद से मिलने वाली बिजली की दर

†*२७९. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई शिकायत की गई है कि वहां के एल्यु-मिनियम समवाय को हीराकुद से मिलने वाली बिजली की दर अपेक्षाकृत सस्ती निर्धारित कर देने के कारण राज्य सरकार को हानि हो रही है;

(ख) वह दर क्या है; उसे कब निर्धारित किया गया था और उस समवाय ने अपने उत्पादन के प्रथम वर्ष में कुल कितनी बिजली का उपभोग किया था और अब उसका वार्षिक उपभोग कितना है; और

(ग) क्या दर निर्धारित करने से पहले राज्य सरकार से परामर्श किया गया था और उस समय उस की क्या राय थी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी** (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रथम दस वर्षों के लिये २५,००० किलोवाट तक के संभरण के लिये बिजली की दर १२० रुपये प्रतिकिलोवाट वर्ष निश्चित की गई थी। प्रारम्भिक दस वर्षों के पश्चात् यह दर १३५ पये प्रति किलोवाट वर्ष कर दी जायेगी। शेष १,५०० किलोवाट का संभरण १३५ रुपये प्रति किलोवाट वर्ष की दर से किया जा रहा है। ये दरें १९५७ में निश्चित की गई थीं। कम्पनी ने अपने उत्पादन के प्रथम वर्ष में २१५५.१४ लाख किलोवाट बिजली खरीदी थी और १९६०–६१ में २२०४.०१ लाख किलोवाट।

(ग) ये दरें उड़ीसा सरकार ने कम्पनी के साथ किये गये करार द्वारा स्वीकार की थीं।

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण-पूर्व एशिया में संयुक्त प्रादेशिक नौवहन और विमान सेवायें

†*२८०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशियाई एसोसियेशन का कुआलालम्पुर का सम्मेलन संयुक्त प्रादेशिक नौवहन और विमान सेवाओं की स्थापना और प्रादेशिक व्यवस्था जिन में एक दक्षिण-पूर्व एशियाई नौवहन तथा विमान सेवा ऐसोसियेशन का निर्माण, शामिल है की व्यावहारिकता पर विचार करने के बाद अक्तूबर, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में समाप्त हुआ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय विमान सेवाओं और नौवहन सेवाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सूचना उपलब्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या २९ पर डोहरीघाट में पुल

†*२८१. **श्री कालिका सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या २९ पर डोहरीघाट में प्रस्तावित पुल की योजना अब त्याग दी गई है ।

(ख) क्या डोहरीघाट पुल के प्रारम्भिक सर्वेक्षण पर कोई व्यय हुआ था;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि व्यय हुई और उस प्रारम्भिक सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला; और

(घ) क्या नौका पुल की योजना भी त्याग दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नहीं श्रीमान् । दोहरीघाट पर प्रस्तावित पुल का निर्माण धन की कमी के कारण चौथी योजना के लिये स्थगित कर दिया गया है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) परीक्षात्मक छिद्रण जुलाई, १९५८ में समाप्त हुए थे जिसमें लगभग ५,००० रुपये व्यय हुए । खम्भों के स्थानों पर अग्रेतर छिद्रण कार्य पुल के निर्माण कार्य के समय प्रारम्भ किया जायेगा परन्तु जो छिद्रण हो चुके हैं उनके परिणामों पर विचार किया जायेगा ।

(घ) नहीं, श्रीमान् । योजना का उपबन्ध तीसरी पंच वर्षीय योजना में है । राज्य सरकार से प्राप्त ५.६८ लाख रुपये के प्राक्कलन की जांच की जा रही है ।

दार्जिलिंग में पर्यटन

†*२८२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग में पर्यटन की सुविधाओं में सुधार करने के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या राज्य सरकार पर्यटन ब्यूरो को अपनी अधीनता में ले रही है;

(ग) क्या यह सच है कि वहां आवास स्थान और जल तथा विद्युत् संभरण की तंगी है;

(घ) इस तंगी को दूर करने और पर्यटन का अधिक तेज़ी से विकास करने के लिये कौन से अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ङ) क्या सभी आय-वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपयुक्त एक विशाल पर्यटक निवास निर्मित करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो उस के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ; और कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (च). आवश्यक सूचना प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) दार्जिलिंग के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन शीर्षक के अन्तर्गत ४.२५ लाख पये का आवंटन किया गया है । इस राशि में पर्यटन ब्यूरो का व्यय जो उस स्थान में कार्य कर रहा है, प्रचार और ६०,००० की लागत की दो बड़ी कारों का व्यय सम्मिलित नहीं है जो राज्य सरकार मुख्यत: पर्यटकों के काम के लिये खरीदने का विचार कर रही है ।

(ख) हस्तान्तरण का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) पर्यटन के मौसम में कमी महसूस की जाती है ।

(घ) से (च). नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार की सहायता से पानी और बिजली का संभरण बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । राज्य सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण कर रही है ताकि उनके द्वारा काबिज मकान पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिये खाली हो जायें । राज्य सरकार द्वारा पर्यटन की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंग के रूप में ४.२५ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक अल्प आय वर्ग विश्रामगृह का निर्माण किया जा रहा है । राज्य सरकार एक उपयुक्त स्थान चुन रही है और कार्य चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो जायेगा ।

रेनीगुन्टा तिरुपति लाइन का निर्माण

†*२८३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेनीगुण्टा से तिरुपति तक अलग से एक बड़ी लाइन के निर्माण का प्रस्ताव अब किस अवस्था में है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : यह रेलवे के तीसरी पंच वर्षीय योजना के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है ।

स्वर्गीय श्री के० रामाराव के परिवार को प्रतिकर

†*२८४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय श्री के० रामाराव के परिवार के सदस्यों को प्रतिकर देने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिकर की राशि क्या है ?

†**रलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मामले की समस्त परिस्थितियों का विचार करके श्रीमती रामाराव के लिये १२,००० रुपये का प्रसादतः भुगतान मंजूर किया गया है रेलवे दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्युओं के मामले में रेलवे द्वारा सामान्यतः इतनी ही राशि मंजूर की जाती है। इसमें से १०,००० रुपये जीवन बीमा निगम में विनियोजित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ताकि उसे पन्द्रह वर्षों तक ५० रुपये प्रतिमाह मिल सकें और शेष २,००० रुपये उसको नकद दिये जा रहे हैं । इस संबंध में श्रीमती रामाराव को भेजे गये फार्मों की वापिसी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पैकेज प्रोग्राम

*२८५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री चन्द्र शंकर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सघन खाद्योत्पादन का जो कार्यक्रम स्वीकृत हुआ था, उसे कार्यान्वित किये जाने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उनकी कहां तक उपलब्धि हुई है;

(ग) केन्द्र ने अब तक कौन से साधन उपलब्ध किये थे; और

(घ) क्या सितम्बर में अधिकारियों का कोई सम्मेलन हुआ था और यदि हां, तो, किस लिये तथा उसका क्या प्रभाव हुआ ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) से (घ). सभा की टेबल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० —३३८२/६१ ।]**

कृषि कालिज

†*२८६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान देश में कृषि कालेजों की संख्या में आकस्मिक वृद्धि की ओर आकर्षित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस अत्यधिक वृद्धि को रोकने तथा देश की कृषि सम्बन्धी शिक्षा की समूची प्रणाली को ठोस आधार पर कायम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं या करने का विचार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रश्न में मुख्यत: राज्य सरकारों और सम्बद्ध विश्वविद्यालयों, जो स्वायत्त हैं, की जिम्मेवारी निहित है। तथापि, स्थापित किये जा चुके कालिजों में शिक्षा का स्तर सुधारने के ख्याल से, उनमें शिक्षा का न्यूनतम स्तर भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति ने बनाया है और वह राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों में परिचालित कर दिया गया है। कृषि और पशु-चिकित्सा कालिजों में शिक्षा के स्तर की जांच करने और उनके सुधार के लिये कार्यवाही किये जाने की सिफारिश करने के लिये एक अखिल भारतीय प्रमाणीकरण निकाय की स्थापना का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

कृषि शिक्षा का अच्छे ढंग पर विकास करने के लिये, भारत सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये भी, जहां अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार कार्य का पूर्ण रूप से एकीकरण किया जायेगा, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना चाहती है।

जेनेवा चीनी सम्मेलन

†*२८७. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री गोरे :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम बरूआ :
श्री प्र० गं० देव :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने पिछले सितम्बर में हुए जेनेवा चीनी सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भाग लिया था ;

(ग) किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई थी और क्या निर्णय किये गये थे; और

(घ) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल किस सीमा तक फायदा उठाने में सफल हुआ था ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के सदस्य के रूप में सम्मेलन में भाग लिया।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार (१९५८) के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया गया और उसके अधीन वर्ष १९६२ और १९६३ के लिये निर्यात करने वाले देशों को आवंटित किये

†मूल अंग्रेजी में

जाने वाले अभ्यंश पर विचार किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने भारत के अभ्यंश में वृद्धि पर जोर दिया। तथापि, सम्मेलन बिना कुछ निर्णय किये स्थगित हो गया और इसकी दिसम्बर, १९६१ में पुनः बैठक हो रही है।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास फालतू विमान

†*२८८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री १ सितम्बर,१९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास अभी भी कितने फालतू विमान हैं ;

(ख) क्या कुछ फालतू विमान अनुसूचित विमान संचालकों को बेचे गय हैं, और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) १९ फालतू 'हेरन' और 'वाइकिंग' विमानों के आंशिक विनिमय में दो पुराने 'वाइकाउन्ट' किससे खरीदे गये हैं; और

(घ) क्या तब से इन वाइकाउन्टों के बदले में बड़े विमान रखने का निर्णय किया गया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). १२ 'वाइकिंग' और ७ 'हेरन', जो भूमि पर हैं और बेचे जाने हैं, के अतिरिक्त इण्डियन एयर लाइस कारपोरेशन ने अनुमान लगाया कि कुछ डकोटा भी फालतू हो सकते हैं। फालतू 'हेरन' और 'वाइकिंग' की, उनके पुर्जों समेत, बिक्री के लिये और उनके जरिये २ पुराने वाइकाउन्ट खरीदने का मई, १९६१ में मेसर्ज बनवारी लाल एण्ड कम्पनी के साथ कया गया सौदा अभी तय नहीं हुआ है। अतिरिक्त वाइकाउन्ट प्राप्त करने में विलम्ब और फलस्वरूप उड़ान की स्थिति में कमी के कारण, कारपोरेशन अपने फालतू 'डकोटा' विमानों को बेचने के अपने पहले निर्णय का पुनर्विलोकन कर रहा है। अभी हाल में भारत में किसी भी गैर-अनुसूचित संचालक को कोई 'डकोटा' विमान नहीं बेचा गया।

(घ) जी, नहीं।

हावड़ा-नागपुर पैसेंजर में पंडित मिश्र की हत्या

†*२८९. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही**: क्या **रेलवे** मन्त्री १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि २९ मई, १९६१ को हावड़ा-नागपुर यात्री पैसेंजर में पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, जो कि पहले दर्जे के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, की हत्या के सम्बन्ध में की गई जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी)** : अभी उड़ीसा की खुफिया पुलिस (अपराध शाखा) द्वारा जांच की जा रही है।

दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय का स्थानान्तरण

†*२९०. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री २१ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को बिहार के माइथौन नामक स्थान पर ले जाने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्यालय का स्थानान्तरण कब होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) यह मामला अभी भाग लेने वाली सरकारों के परामर्श से विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र

†*२९१. **श्री अगाड़ी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के सर्किलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के केन्द्र अथवा केन्द्रों को कहां खोला जायेगा ;

(ग) वे कब तक कार्य आरम्भ कर देंगे ; और

(घ) किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). दक्षिण भारत में सर्किलों के डाक तथा तार कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है । तथापि, कुछ पदालियों के लिये त्रिवेन्द्रम में ऐसे रेज़िडेनशल शिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) जैसे ही इमारत में आवश्यक परिवर्तन हो जायेंगे और आवश्यक सामान आ जायेगा और लगा दिया जायेगा ।

(घ) त्रिवेन्द्रम में प्रशिक्षण केन्द्र में उच्च गैर-राजपत्रित प्रविधिक पदालि में नियुक्ति के लिये भर्ती किये गये अभ्यर्थियों को और कुछ संचालक पदालियों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

भारत में मोटर गाड़ियों पर कर

†*२९२. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मोटर गाड़ियों पर करों का समेकन करने के बारे में कोई कायवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

मोटर गाड़ियों पर विभिन्न करों के समेकन और उनको एक ही एजेन्सी द्वारा वसूल करने के प्रश्न पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है ।

इस मामले पर सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन मंत्रणा समिति और परिवहन विकास परिषद् की बैठकों में विचार किया गया । सामान्यत: यह महसूस किया गया कि सामान और यात्रियों पर कर मोटर गाड़ियों पर कर के समान नहीं है और इसलिये उसके मोटर गाड़ियों पर कर के साथ मिलाना आवश्यक नहीं है । तथापि, यह तै हुआ कि मोटर गाड़ियों पर कर और सामान और यात्रियों पर कर की वसूली एक ही एजेंसी द्वारा की जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी मे

जहा तक चुंगी का सवाल है, यह तय किया गया कि सड़क परिवहन के विकास के हित मे उसको समाप्त करना आवश्यक है। इस सिफारिश की क्रियान्विति में प्रथम कदम के रूप में, सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राजस्व की हानि के लिये स्थानीय निकायों की क्षति-पूर्ति के तरीकों और इस कार्य के लिये अपेक्षित संविधानिक तरीकों पर, स्थानीय वित्त की समस्या में अभिरुचित व्यक्तियों के परामर्श से जांच करें।

रेलवे लाइनों के लिये धन निर्धारण

†*२९३. **श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण राज्यों से नई रेलवे लाइन बनाने एवं वर्तमान लाइनों को दुहरा करने के लिये अधिक धन देने के हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप से कितना धन निर्धारित किया गया है ; और

(ग) वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में किन-किन लाइनों के बनाने का काम होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) हसन–मंगलौर, सलेम-बंगलौर और मनमदुरै–विरुधुनगर रेलवे लाइनें तृतीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे के कार्यक्रम में शामिल कर ली गयी हैं। हसन–मंगलौर लाइन का निर्माण इस बात को ध्यान में रख कर किया जायेगा कि मंगलौर पत्तन कब तक इस्तेमाल के योग्य हो जायेगी : बाकी दो का निर्माण आवश्यक सर्वेक्षण करने के बाद आरम्भ किया जायेगा।

भारतीय व्यापारिक जहाजी बेड़ा

†*२९४. **डा० सामंतसिंहार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'भारत का राष्ट्रीय नाविक संघ' ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि भारतीय व्यापारिक जहाजी बेड़े में भारतीय नाविक रखे जायें ;

(ख) भारतीय व्यापारिक जहाजी बेड़े में नाविकों की कुल कितनी संख्या है और उनमें से भारतीय कितने हैं ; और

(ग) भारतीय व्यापारिक जहाजी बेड़े में सभी नाविक कब तक भारतीय हो जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) १ नवम्बर, १९६१ को क्रमशः ९७३३ और ९२५६ (अफसरों और रेटिंग्स दोनों के समेत) :

(ग) भारतीय व्यापारिक जहाजी बेड़े के शीघ्र विस्तार और उनमें रखने के लिये अनुभवी मुख्य अफसरों और मुख्य इंजीनियरों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए यह समझा जाता है कि अभी कुछ समय तक विदेशी अफसरों को रखना आवश्यक है। जहां तक नाविकों का सम्बन्ध है, जब सभी वर्तमान विदेशी राष्ट्रजन नाविक रोजगार कार्यालयों के जरिये रोजगार लेना बन्द कर दें तो सभी चालक भारतीय रखे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा

*२९५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली की तरह कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में भी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना चालू करने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : यह विषय अभी विचाराधीन है ।

यंत्रीकृत फार्म

†*२९६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरा यन्त्रीकृत फार्म स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में राजस्थान राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है ;

(ख) फार्म का काम कब से चलाने का विचार है ;

(ग) क्या खेती के आवश्यक सामान के लिये विदेशी मुद्रा की राशि का अन्दाजा लगाया जा चुका है और क्या इस की स्वीकृति दे दी गई है ; और

(घ) अपेक्षित मशीनरी किन देशों से खरीदी जायेगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया का पता लगाने पर ब्यौरा तैयार किया जायेगा ।

लौह अयस्क परादीप पत्तन पहुंचाने के लिये परिवहन सुविधायें

†*२९७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन क्षेत्रों से लौह अयस्क उड़ीसा में परादीप पत्तन तक पहुंचने के लिये परिवहन सुविधाओं के विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि रखी गई है ; और

(ग) कौन कौन सी योजनायें क्रियान्वित करने के लिये सम्मिलित की गई हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). सड़क द्वारा अथवा अन्तर्देशीय जल परिवहन द्वारा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है । राज्य सरकार से यह पता लगाया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनाओं के लिये १,४२,००,००० रुपयों की व्यवस्था की गयी है :

(१) दैतारी पहाड़ी के ऊपर से पहाड़ी की तलहटी तक एक वैमानिक रज्जु-पथ का निर्माण;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) नौकाओं और बांधों का निर्माण ;

(३) तटडान्डा नहर का विस्तार और नव-निर्माण ; और

(४) खानों से पत्तनों तक अयस्क के परिवहन के लिये कटक में एक डोक यार्ड का निर्माण ।

तीसरी योजना में नई रेलवे लाइनें

†*२९८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना में नई रेलव लाइनों के कार्यक्रम में २०० मील लम्बी ऐसी नई लाइनों के निर्माण की व्यवस्था है जिनकी कोयला उद्योग के विकास के लिये आवश्यकता है ;

(ख) क्या इन २०० मील लम्बी नई लाइनों के निर्माण के लिये कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में तलचेर कोयला खनन क्षेत्र में नई रेलवे लाइनें बनाने के काम को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है ; और

(घ) २०० मील लम्बी नई रेलवे लाइनों के निर्माण के कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में किन क्षेत्रों को विकसित करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तलचेर कोयला खान क्षेत्र में, उड़ीसा में एक नयी रेलवे लाइन को शामिल करना विचाराधीन नहीं है ।

(घ) तृतीय योजना में कोयला उद्योग के विकास के सम्बन्ध में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और उनको शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

पश्चिमी बंगाल में चीनी का मूल्य

†*२९९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूजा से ठीक पहले पश्चिमी बंगाल में चीनी के मूल्यों में क्यों वृद्धि हो गई थी ;

(ख) क्या निर्यात करने वालों ने केवल सितम्बर के कोटे से ६ लाख रुपये का लाभ कमाया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि वर्ष के पहले ६ मासों में मिलों से बहुत माल प्राप्त हुआ था, क्योंकि वे पेराई के मौसम में स्टाक निकालना चाहती थीं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) क्या जून से कलकत्ता को भेजा जाने वाला माल कम हो गया है और वह सितम्बर में राज्य के कोटे का २० प्रतिशत भी नहीं है ;

(ङ) क्या भारतीय चीनी मिल संघ ने अपने निर्यात कोटे का कुछ भाग मूल्य कम करने के लिय 'रिलीज' कर दिया है ; और

(च) इस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) रेलवे लाइन में दरार पड़ जाने के कारण मिलों से संभरण ठीक न होने के फलस्वरूप अपर्याप्त स्टाक के कारण मूल्य चढ़े ।

(ख) २७ सितम्बर, १९६१ तक उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो पश्चिम बंगाल को चीनी का संभरण करते हैं, चीनी के कारखाना मूल्यों पर नियंत्रण था । अतः सितम्बर के अभ्यंश पर कारखानों द्वारा अतिरिक्त लाभ कमाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

(ग) वर्ष १९६१ के पहले छः महीनों में उत्तर प्रदेश और बिहार की मिलों द्वारा पश्चिम बंगाल को संभरित की गयी चीनी आवंटन की एक पद्धति द्वारा विनियमित की गयी । अतः मिलों द्वारा गन्ना पेरने के सीज़न में स्टाक खतम करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी, नहीं । जून से सितम्बर तक की अवधि में कलकत्ता को आवंटन की ८४.९ प्रतिशत चीनी भेजी गयी ।

(ङ) और (च). जी, नहीं । मूल्यों में कथित वृद्धि से पूर्व सितम्बर में भारतीय चीनी मिल संघ ने ३५०० टन चीनी बेची । अक्तूबर में संघ ने केवल ५६ टन चीनी बेची ।

भाड़े की रियायती दरें

†*३००. **श्री प्र० चं० झरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में नई वस्तुओं के लिये भाड़े की रियायती दरें निश्चित की हैं, ताकि इन वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, जिन के लिये पिछले तीन महीनों में ऐसी रियायती दरें निश्चित की गई हैं ; और

(ग) विभिन्न वस्तुओं के लिये—विशेषकर चाय के लिये—औसतन किस हद तक रियायत दी गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें निर्यात के लिये वस्तुओं के नाम जिनके लिये १-८-६१ से रियायती दरें लागू की गयी हैं और रियायत की मात्रा के बारे में बताया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]**

निर्यात के लिये चाय के परिवहन पर रेलवे भाड़ा दरों में कोई रियायत नहीं दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान विमान बल के जेट द्वारा एयर इंडिया इन्टरनेशनल विमान का पीछा किया जाना

†*३०१. श्री अगाड़ी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामपुरे :
श्री सुगन्धि :
श्री प्र० गं० देव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के विमान बल के साबर-जेट विमान ने एयर इंडिया के विमान का जो कि रूस से ८ अक्तूबर, १९६१ तथा आस पास के किसी दिन नयी दिल्ली आ रहा था, पीछा किया ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) विमान में कितने यात्री थे और वे किन किन देशों के थे ;

(घ) क्या यह सत्य है कि यह साबर-जेट विमान पाकिस्तान को दिया गया अमरीकी विमान था ; और

(ङ) क्या इसके विरुद्ध अमरीका की सरकार के पास भी कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले पर वैमानिक अधिकारियों के स्तर पर विचार किया और इस बीच पाकिस्तान के असैनिक उड्डयन महानिदेशक से एक उत्तर प्राप्त हो गया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं ।

(ग) विमान में ३० यात्री थे जिनमें १४ रूसी, १० भारतीय, ३ अमरीकन, २ मेक्सिकन और १ इंडोनेशियाई था ।

(घ) यह सत्य है कि साबर-जेट विमान, अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ अमरीका सरकार द्वारा पाकिस्तान वायु बल को दिये गये हैं ।

(ङ) जी, नहीं ।

कोसगी स्टेशन पर रेलवे दुर्घटना

†*३०२. श्री प्र० गं० देव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ९ नवम्बर, १९६१ को रात को दक्षिण रेलवे के कोसगी रेलवे स्टेशन पर मद्रास जाने वाली जनता एक्सप्रैस के साथ दुर्घटना हो गयी थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) इस दुर्घटना के कारण धन और जन की कितनी हानि हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें०रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) दुर्घटना की जांच करने वाले रेलवे सुरक्षा सहायक आयुक्त की आपत्तियां प्रतीक्षित हैं ।

(ग) तीन रेलवे कर्मचारी मारे गये । रेलवे सम्पत्ति को पहुंची क्षति की अनुमानित लागत लगभग १.५ लाख रुपये है ।

दक्षिण राज्यों में विद्युत् सम्भरण के लिये सुपर ग्रिड

†***३०३. श्री तंगामणि** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दक्षिण राज्यों में विद्युत् सम्भरण के लिये सुपर ग्रिड चालू करने के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

फरवरी, १९६१ में मद्रास, केरल, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के प्रतिनिधियों के सहयोग से बंगलौर में किये गये प्रायमिक कार्य विश्लेषण अध्ययन पर तैयार की गयी रिपोर्ट पर उटाकामण्ड में १० नवम्बर, १९६१ को हुई दक्षिण जोनल परिषद की विद्युत् विकास समिति की दसवीं बैठक में विचार किया गया । राज्यों के मुख्य इंजीनियरों के विचारों को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राज्यीय सम्पर्क के निर्माण के बारे में पहले किये गये निर्णय का पुनर्विलोकन किया गया और तृतीय योजना काल में निर्माण के लिये निम्नलिखित ट्रांसमिशन लाइनों पर कार्य करने का निर्णय किया गया :

(१) **मद्रास और मैसूर के बीच** : मद्रास राज्य में सिंगारपेट से बंगलौर तक २२० किलोवाट की इकहरी सर्किट लाइन ।

(२) **केरल और मद्रास के बीच** : केरल राज्य में पम्बर से मद्रास राज्य में मदुरै तक २२० किलोवाट की इकहरी सर्किट लाइन ।

(३) **मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के बीच** : मद्रास राज्य में सिंगारपेट से आन्ध्र प्रदेश में कडप्पा तक २२० किलोवाट की इकहरी सर्किट लाइन ।

अग्रेतर विस्तृत अध्ययन करने के लिये चारों राज्यों के मुख्य इंजीनियरों और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के एक पदाधिकारी की एक उप-समिति बनाई गयी है ।

डेरी उपकरण

†**४६१. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में देश में ही डेयरी उपकरण और मशीनों के निर्माण के लिये परियोजना स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५४]**

महेन्द्रगढ़ जिले में ग्राम्य जल संभरण

†४६२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल के दौरान पंजाब में महेन्द्रगढ़ जिले में मंजूर की गयी और पूरी की गयी ग्राम्य जल संभरण योजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब में महेन्द्रगढ़ जिले में निम्नलिखित आ ग्राम्य जल संभरण योजनायें पूरी की गयीं :

१. झोजू कलां गांव के लिये जल संभरण योजना।

२. झोजू खुर्द गांव के लिये जल संभरण योजना।

३. खेरी बूरा गांव के लिये जल संभरण योजना।

४. बरदा गांव के लिये जल संभरण योजना।

५. फतेहगढ़ गांव के लिये जल संभरण योजना।

६. बोंड कलां, बोंड खुर्द और रनकौली गांवों के लिये जल संभरण योजना।

७. मिसरी गांव के लिये जल संभरण योजना।

८. सांजवारास और फोगाट गांवों के लिये जल संभरण योजना।

दिल्ली में बिजली की कमी

†४६३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में इस समय बिजली की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) क्या इन में से किसी प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). तीसरी योजना के प्रस्ताव बनाने के बाद दिल्ली में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन से कोई नया प्रस्ताव नहीं आया है। तथापि तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग की क्षमता में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(१) ३०,००० किलोवाट का स्टीम जनरेटिंग पावर हाउस विचाराधीन है। यह सितम्बर/अक्तूबर, १९६३ में पूरा हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) सितम्बर/अक्तूबर, १९६३ तक एक १५ मिलोवाट का थर्मल सेट लगाने का प्रस्ताव है।

(३) जून, १९६२ में भाखड़ा नंगल परियोजना से २०,००० किलोवाट बिजली मिलने की आशा है।

(४) १९६५-६६ के अन्त तक प्रत्येक ६० मिलोवाट के २ सेट लगाने और चालू करने की योजना है।

गेहूं और चावल का आयात

†४६४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० सितम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले आखिरी छः महीनों में पी० एल० ४८० करार के अधीन अमरीका से आयात किये गये गेहूं और चावल की कुल मात्रा कितनी है; और

(ख) उसी अवधि में अमरीका के अतिरिक्त अन्य देशों से आयात किये गये चावल की कुल मात्रा कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० मा० थामस) :** (क) लगभग ९,६२,००० मीटरिक टन।

(ख) लगभग १,५९,००० मीटरिक टन।

हिमाचल प्रदेश में गावों में बिजली लगाना

†४६५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०-६१ में हिमाचल प्रदेश संघ-राज्य-क्षेत्र के जिन गांवों में बिजली लगायी गयी है, उनके लिये कितने किलोवाट बिजली मंजूर की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** ६७५ किलोवाट।

जालंधर-होशियारपुर सेक्शन पर यात्री सुविधायें

†४६६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के जालंधर-होशियारपुर सेक्शन पर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये वर्ष १९६०-६१ में कितना धन खर्च किया गया है; और

(ख) स्टेशन-वार, किस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पीपलसाना और रोशनपुर के बीच नया स्टेशन

४६७. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीपलसाना और रोशनपुर के बीच एक हाल्ट स्टेशन की स्वीकृति दी जा चुकी है और यह बन भी गया है; और

---

†अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वहां कब से गाड़ियां रुकने लगेंगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). पीपलसाना और रोशनपुर स्टेशनों के बीच का हाल्ट स्टेशन २२-११-६१ से यात्री-यातायात के लिए खोल दिया गया है।

तार सेवा

†४६८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, १९६१ के महीनों में प्रत्येक में कलकत्ता से दिल्ली को और दिल्ली से कलकत्ता को कितने तार भेजे गये; और

(ख) इन्हीं महीनों में न दो सर्किटों पर कितने तार डाक द्वारा भेजे गये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० पं० सुब्बरायन)** : (क) जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, १९६१ के महीनों में कलकत्ता से दिल्ली को क्रमशः ४०७०१, ३९६६०, ३९९५९ और ३२४०४ तार भेजे गये और दिल्ली से कलकत्ता को क्रमशः ३६३५५, ३७२४८, ३८७४९ और ३६५५० तार भेजे गये।

(ख) जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, १९६१ में कलकत्ता से दिल्ली को क्रमशः ११०४५, ६१५८, ८१९१ और १५५४५ तार डाक द्वारा भेजे गये और दिल्ली से कलकत्ता को क्रमशः ७१३९, २६९०, ३०५३ और ८९१५ तार डाक द्वारा भेजे गये।

वर्ष १९४७ के बाद बनाई गई रेलवे लाइनें

†४६९. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४७ के बाद बनाई गई नई रेलवे लाइनों के क्या नाम हैं, उनकी क्या लम्बाई है और उन पर कितना खर्च आया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : रेलवे के आंकड़े राज्य-वार न रख कर रेलवे-वार रखे जाते हैं। तथापि, जानकारी एकत्र करने में, जो संलग्न विवरण में दी गयी है, विशेष प्रयत्न किये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५]**

दिल्ली का चिड़ियाघर

†४७०. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) अब दिल्ली चिड़ियाघर के जानवरों में कितनी नयी पैदाइश हुई ; और

(ख) क्या नवजात पशु पक्षियों पर स्थानीय आबहवा का वही परिणाम रहा जो विभिन्न देशों से लाये गये उनके माता पिता पर हुआ था ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) दिल्ली चिड़ियार के जानवरों में पैदाइश तथा अंडों की आज तक की संख्या इस प्रकार है :—

पशु	३५०
पक्षी	१३७

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह देखा गया है कि स्थानीय आबहवा की परिस्थितियों में पाले गये बच्चे अपने माता-पिता की अपेक्षा अधिक अच्छे हैं ।

उड्डयन क्लब

†४७१. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिन स्थानों पर १५ नये उड्डयन क्लब खोले जायेंगे उनका अन्तिम चुनाव हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ब्योरा है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा सामान की अनियमित खरीद

†४७२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने सामान की अनियमित खरीद के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों को दी जाने वाली सजा के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने इस मामले में फंसे पांच कर्मचारियों में से चार को सजा दी है । एक पदाधिकारी को नौकरी से हटा दिया गया है, दूसरे को निचली श्रेणी के पद पर भेज दिया गया है, तीसरे को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है और चौथे को निचले पद पर भेजा गया और सेवानिवृत्त किया गया है । पांचवें पदाधिकारी के विरुद्ध मामले पर अभी विचार हो रहा है ।

पंजाब में बिजली का उत्पादन

†४७३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिनाब नदी से बिजली पैदा करने की योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मछली का निर्यात

†४७४. **श्री न० म० देब :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में भारत से कुल कितने टन मछली का निर्यात किया गया ;

(ख) किन किन क्षेत्रों में डिब्बे बन्द करने के कारखाने खोलने का सरकार का विचार है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) १९६०–६१ में भारत से कुल १९,९१४ टन मछली और मछली से बनी चीजों का निर्यात किया गया था ।

(ख) मछलियों को डिब्बे में बन्द करने का कारखाना सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है । सरकार का यह आग्रह है कि ऐसे कारखाने गैर-सरकारी उद्योग खोले ।

कोलाघाट में मोटरकारों का परिवहन

†४७५. **श्री न० म० देब :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोलाघाट (दक्षिण पूर्व रेलवे) में राजपथ संख्या ६ पर रूपनारायण नदी पर रेलगाड़ी से मोटरकारों को लाने ले जाने की कोई व्यवस्था की गयी है जैसी कि डेहरी-आनखोन में सोन नदी के रेलवे पुल पर है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** जी नहीं ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य पदाली का निर्माण

†४७६. **श्री न० म० देब :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय स्वास्थ्य पदाली कब स्थापित की जायगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा कायम कर दी जायगी ।

गैर-सरकारी इमारतों में डाकखाने

†४७७. **श्री पांगरकर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के परभणी जिले में कितने डाकखाने फिलहाल किराये की इमारतों में काम कर रहे हैं ; और

(ख) वर्ष १९६०–६१ में डाकघर की कितनी इमारतें बनायी गयीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) एक ।

(ख) १९६०–६१ में परभणी जिले में डाकखाने की कोई इमारत तैयार नहीं की गयी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में डाक तार विभाग की इमारतें

†४७८. **श्री पांगरकर:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में डाक तार विभाग की इमारतें बनाने और उनके विस्तार के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए कुल कितनी रकम मंजूर की गयी थी ; और

(ख) कितनी और कौन कौन सी इमारतें बनायी गयीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) :** (क) २,४२,२५,००० रुपये ।

(ख) बनायी गयी/बढ़ायी गयीं इमारतों की संख्या . . . ३७

इमारतों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६]**

महाराष्ट्र में डाकतार कार्यालय

†४७९. **श्री पांगरकर:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में महाराष्ट्र में कितने नये डाक-तार कार्यालय खोले जाने वाले हैं ; और

(ख) उन पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क)

(१) डाकखाने १२५६ (२) तारघर ११०

(ख) (१) डाकखाने खोलने पर ९.८० लाख रुपये } लगभग
(२) तारघर खोलने पर . १६.७५ लाख रुपये }

सकरी गली घाट का विकास

†४८०. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में सकरी गलीघाट के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में मंजूर की गयी रकम का क्या ब्योरा है ;

(ख) १९५८, १९५९ और १९६० में कितने बार सकरी गली और मनीहारी में नौकाघाट बदले गये ; और

(ग) उनपर कितनी रकम खर्च की गयी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) कुछ नहीं । ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(ख)

वर्ष	सकरीगली वारंवारता की संख्या	मनिहारी
१९५८	३	१७
१९५९	२	६
१९६०	३	५

†मूल अंग्रेजी में

(ग)	वर्ष	सकरीगली	मनिहारी
		(लाख रुपयों में)	
	१९५८	२.०७	८.५५
	१९५९	१.२७	६.००
	१९६०	१.०५	५.१८
	कुल	४.३९	१९.७३

स्थानीय यात्रा के लिये मासिक और त्रैमासिक टिकट

†४८१. **श्री चुनी लाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उपनगरों में स्थानीय यात्रा के लिए मासिक और त्रैमासिक टिकट खरीदने वालों से कितने एकतरफा किराये लिये जाते हैं ;

(ख) क्या इन विभिन्न स्टेशनों पर इस सम्बन्ध में कोई अन्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५७]**

(ख) और (ग) . मौसमी टिकट के किराये एकतरफा यात्रा किराये पर आधारित नहीं होते बल्कि वे विशिष्ट क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों तथा वहां उपलब्ध सेवाओं के प्रकार को देख कर निर्धारित किये जाते हैं। इन ऐतिहासिक कारणों से, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास क्षेत्रों में मौसमी टिकटों के किराये हमेशा अलग अलग रहे और दिल्ली तथा अन्यत्र प्रचलित किराये की अपेक्षा कम रहे।

दांत सम्बन्धी रोग

†४८२. **श्री चुनी लाल :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दांतों के रोगों के इलाज में फिर से दांत बैठाने के एक अजीब नये तरीके की ओर, जिसे जयपुर के दो दांत चिकित्सकों ने निकाला है, सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जनता के स्वास्थ्य के हित में उसे सुरक्षित समझती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख) . जी हां। इस तरीके में कोई नयापन नहीं है। यदि योग्य दांत चिकित्सक उसका उपयोग करते हैं, तो वह सुरक्षित है।

रेलों की परिवहन क्षमता

†४८३. **श्री चुनी लाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि रेलों की परिवहन क्षमता देश की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं सिद्ध हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रेलों की परिवहन क्षमता परिवहन के कुछ लक्ष्य तथा प्रत्याशित ढांचे के आधार पर बढ़ायी जाती है। निम्नलिखित बातों के कारण कुछ क्षेत्रों में तथा कुछ अवधियों में यातायात की वर्तमान सभी मांगें पूरी करना रेलवे के लिए संभव नहीं हुआ है यद्यपि टन मील के अर्थ में सर्वांगीण यातायात आयोजित यातायात से अधिक हो गया है :

(१) वास्तविक यातायात का स्वरूप आयोजित रूप से बदल गया है ;

(२) रेलवे आयोजन में कुछ मान्यताएं जैसे कोयला खानों/इस्पात संयंत्रों में लादने उतारने की व्यवस्था का मशीनीकरण, कोयला धुलाई कारखानों की स्थापना, सप्ताह के सभी दिनों पर समान रूप से लदाई आदि, अभी तक सक्रिय नहीं हुई है।

(३) आवश्यक मात्रा में इस्पात न मिलने तथा कलकत्ते के आस पास बिजली की कमी भी होने के कारण माल डिब्बों की सप्लाई बकाये में पड़ गयी है।

फिर भी इस बारे में सावधानी बरती जा रही है कि ऐसे यातायात के लिए प्राथमिकता मंजूर करके आवश्यक मांगें संतोषजनक ढंग से पूरी की जायें और पीड़ित उद्योगों/उपभोक्ताओं को तदर्थ सहायता दी जाये।

(ख) स्थिति सुधारने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :—

(१) सप्ताह के अन्य दिनों जैसे रविवार को कोयला लादने के सवाल पर इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के साथ बातचीत हो रही है।

(२) बड़े बड़े उद्योगों से कहा गया है कि रविवार तथा छुट्टियों के दिन उसी स्तर पर लदाई की जाये जैसी कि सप्ताह के अन्य दिनों में होती है।

(३) जिन पुराने माल डिब्बों को पहले सेवा से हटा लिया गया था उन्हें थोड़ा बोझ लाने ले जाने के लिये ठीकठाक करके पुनः काम में लाया गया है।

(४) माल डिब्बे की वहन क्षमता से २ टन अधिक माल लाद कर माल डिब्बे का मूल बोझ बढ़ाने के लिये आन्दोलन किया गया है।

(५) माल डिब्बे तैयार करने के काम में शीघ्रता की जा रही है।

(६) सन्दूक की तरह माल डिब्बे जिनकी क्षमता ५५ टन होगी, विशेषकर कोयला लाने ले जाने के लिये प्रयोग में लाये गये हैं।

(७) रेलवे मंत्रालय ने उन वस्तुओं के लिये जिनकी सप्लाई कम है, इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के परामर्श से इस्पात के आयात की व्यवस्था की है।

(८) प्रगतिशील कार्य जैसे दोहरी लाइन करना, अतिरिक्त लाइनें, क्रासिंग स्टेशन, यार्डों का पुनर्निर्माण, माल लादने उतारने की जगहों पर सुविधाएं माल को भंडार में रखने की सुविधाएं आदि।

(९) महत्वपूर्ण जंकशनों और कठिन मार्गों पर निरन्तर देख रेख।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली और रेवाड़ी के बीच दोहरी लाइन

†४८४. **श्री चुनी लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और रेवाड़ी के बीच दोहरी लाइन पूरी करने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं; और

(ख) सरकार यह दोहरी लाइन सम्भवतः कब तक पूरी कर लेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** :(क) कोई कठिनाइयां नहीं है।

(ख) कुल ४९ मील लम्बी लाइन में से ३० मील तक दोहरी लाइन बनायी जा चुकी है और उस पर यातायात शुरू हो गया है। शेष भाग में दोहरी लाइन बनाने का काम उस समय शुरू किया जायगा जब बढ़ते हुए यातायात के लिये वैसा करना जरूरी हो जायगा।

दिल्ली के छात्रों को रियायती टिकट

†४८५. **श्री चुनी लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे ने दिल्ली रेलवे स्टेशन अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है कि वे छात्रों द्वारा अपनी अपनी शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों से प्रमाण पत्र पेश किये जाने पर उन्हें रियायती टिकट जारी कर दें; और

(ख) यदि हां, तो यही सुविधा अन्य स्टेशनों पर भी कब दी जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां। उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में सभी स्टेशनों पर यह प्रक्रिया प्रयोगात्मक आधार पर लागू की गयी है।

(ख) अन्य डिवीजनों के स्टेशनों पर भी यह सुविधा देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

कुत्ते द्वारा काटे जाने के इलाज के इंजेक्शन

†४८६. **श्री चुनी लाल** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुत्ते द्वारा काटे जाने पर इलाज के टीके के इंजैक्शन के परिणाम से ११ फरवरी, १९६१ को नयी दिल्ली के विलिंगडन नर्सिंग होम में एक युवक की मृत्यु की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन इंजैक्शनों के सम्बन्ध में सरकार के चिकित्सा पदाधिकारियों तथा रैबीज रिसर्च कार्यकर्त्ताओं ने क्या निष्कर्ष निकाला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) हमारे वर्तमान ज्ञान की स्थिति में, पैरालिटिक दुर्घटना का रोग जो बहुत ही कम होता है, दूर नहीं किया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

हावड़ा में एक युवती से बलात्कार

†४८७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छ: व्यक्तियों द्वारा एक निराश्रित युवती से जिसने २४ जुलाई को स्टेशन यार्ड में एक खाली डिब्बे में पनाह ली थी; बलात्कार किये जाने के मामले में हावड़ा रेलवे पुलिस की जांच का क्या नतीजा निकला ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे पुलिस फोर्स के कर्मचारी आसनसोल, हावड़ा और सियालदाह जैसे बड़े बड़े यार्डों की बराबर निगरानी करते रहते हैं;

(ग) उस रात को रेलवे पुलिस फोर्स के कर्मचारी क्या कर रहे थे और वे छ: आदमी उस मध्य रात्रि में यार्ड में तथा डिब्बे में किस तरह घुस पाये और वापस जा सके और वे पकड़े नहीं जा सके; और

(घ) क्या रेलवे पुलिस फोर्स के कर्मचारियों तथा अपराधी व्यक्तियों के बीच कोई सांठगांठ थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ग). सरकारी रेलवे पुलिस, हावड़ा, अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रेलवे पुलिस फोर्स के जो रक्षक उस समय ड्यूटी पर थे जबकि यह घटना हुई, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है और विभाग की ओर से उनके बारे में कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जी हां।

(घ) जी नहीं।

उर्वरक के परिवहन के लिये रेल सुविधायें

†४८८. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण नंगल उर्वरक कारखाना उर्वरक का अपना स्टाक नहीं बेच सका है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़ी बड़ी मात्रा में उर्वरक की मांग इस कारखाने ने पूरी नहीं की है ;

(ग) रेल सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण कितने टन उर्वरक के आर्डर अभी पूरे नहीं किये गये हैं ; और

(घ) इस कारखाने को पर्याप्त सुविधाएं देने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी नहीं। यह सच नहीं है। स्थिति इस प्रकार है :—

(१) जिस समय नंगल उर्वरक कारखाना स्थापित करने के विषय पर विचार किया जा रहा था, उस समय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) ने १९६१–६२ में नंगल से उर्वरकों की रवानगी की एक विस्तृत योजना रेलवे मंत्रा-

†मूल अंग्रेजी में

लय को दी थी। इसमें मुख्यत: पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा कुछ हद तक जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिये लेकिन दक्षिणी राज्यों के लिये नहीं, रेल परिवहन की व्यवस्था बतायी गयी थी।

(२) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के राज्यों को दिया गया कोटा वे उठा नहीं रहे हैं।

(३) रेलवे परिवहन क्षमता केवल योजनाओं के अनुसार ही बढ़ायी जा सकती है और यातायात के अनुमान तथा एक दिशा में आयोजित यातायात आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा, उत्तर से दक्षिण की ओर परिवहन सदा ही कठिन रहा और दैनिक कोटे के अनुसार ही यातायात नियंत्रित करना होता है। इसलिये यह आशा करना उचित नहीं होगा कि बिना आयोजित यातायात, उनके लिये पहले ही पर्याप्त व्यवस्था किये बिना, इन मार्गों पर थोपे जा सकते हैं।

(४) इस तथ्य के बावजूद कि वितरण की स्वीकृत योजनायें नंगल से दक्षिण की ओर उर्वरकों की रवानगी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी, रेलवे ने इस यातायात के लिए एक बहुत ही कठिन तथा कोटा-सीमित मार्ग के जरिये यथासम्भव उसकी निकासी की कोशिश की थी जब कि नंगल उर्वरक तथा हिन्दुस्तान केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने उससे प्रार्थना की थी और अपनी कठिनाइयां जाहिर की थीं। इन कठिनाइयों के कारण दक्षिण के उन क्षेत्रों में उर्वरक भेजना जरूरी होगया था, जिन्हें यह कारखाने कब तक उर्वरक नहीं भेजते थे।

(ग) २०-१०-६१ को उर्वरकों की मांग की राशि जो भेजी नहीं गयी थी, २४५ माल डिब्बे या लगभग ५,६३५ टन थी जिसमें से १३१ माल डिब्बे कोटा परिसीमन से मुक्त स्थानों के लिये थे और पंजीयन की सबसे अधिक पुरानी तारीख १८-१०-६१ थी और ११४ माल डिब्बे कोटा परिसीमन द्वारा नियन्त्रित स्थानों (अर्थात् वैजवाड़ा, वाल्टेयर और दिल्ली सराय रोहिल्ला होते हुए) के लिए थे और पंजीयन की सबसे पुरानी तारीख २-१०-६१ थी इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि इन मार्गों की क्षमता सीमित है, कोटा परिसीमन से युक्त क्षेत्रों तथा कोटा परिसीमन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों के लिये भी यातायात जारी था।

(घ) नंगल फर्टिलाइजर्स से सन्तोषजनक तथा नियमित निकासी के लिये तदर्थ आधार पर नंगल फर्टिलाइजर्स को रोजाना १५ माल डिब्बे देने की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा, जब कभी सम्भव होगा, कोटा नियंत्रित स्थानों के लिये समय समय पर सामान्य कोटे के अलावा भी तदर्थ आधार पर यातायात की व्यवस्था की जायगी।

केन्द्रीय उर्वरक पूल

†४८९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की उर्वरक संथा ने भारत सरकार को केंद्रीय उर्वरक पुंज समाप्त करने और उर्वरकों की बिक्री की निर्बाध प्रतियोगिता की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके बारे में सरकर की प्रतिक्रिया क्या है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ग). १६ सितम्बर, १९६१ को संथा की छठी वार्षिक सामान्य बैठक में, संथा के सभापति ने अपने भाषण में कहा कि ज्यों ही उत्पादन बढ़ेगा और मांग से अधिक होगा, आगामी कुछ वर्षों में केन्द्रीय उर्वरक पूंज जिस रूप में यह आजकल है, बेकार और फालतू हो जाएगा । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने उत्तर में कहा कि इस समय वितरण की वर्तमान व्यवस्था को बदलना उचित नहीं समझा जाता । तथापि इस बारे में संथा ने भारत सरकार को कोई औपचारिक पत्र नहीं लिखा है ।

रावी-ब्यास को मिलाने की परियोजना

†४९०. {श्री राम कृष्ण गुप्त :
थी हेम राज :

क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री ११ अगस्त १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रावी–ब्यास को मिलाने के प्रस्ताव की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) माधोपुर–ब्यास को मिलाने का काम पूरा हो चुका है और यह चल रहा है । पंजाब सरकार ने रावी नदी को ब्यास के साथ मिलाने की योजना के बारे में प्रारम्भिक खोज की थी परन्तु यह अनुत्पादक और महंगा सिद्ध होने के कारण छोड़ दिया गया ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

राजस्थान का शुष्क क्षेत्र

†४९१. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में भूमिगत जल का अनुमान लगाने के लिये की गई खोज का क्या परिणाम निकला है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : अभी परिणाम बताना संभव नहीं है क्योंकि जैसलमेर क्षेत्र में अभी खोज चल रही है । परिणाम लगभग एक वर्ष में मालूम होंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वामी दयानन्द सरस्वती की स्मृति में डाक-टिकट

४९२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वामी दयानन्द सरस्वती व अन्य समाज-सुधारकों की स्मृति में डाक-टिकट प्रकाशित करने के बारे में इस बीच निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन समाज-सुधारकों को उस सूची में सम्मिलित किया गया है और उनके फोटो वाले डाक-टिकट कब तक प्रकाशित किये जायेंगे ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो कब तक निश्चय हो जाने की आशा की जाती है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). ऐसी आशा है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती का स्मारक टिकट समाज-सुधारक माला की प्रथम क़िस्त के रूप में १९६२ में जारी किया जाएगा । अन्य समाज-सुधारकों के स्मारक टिकटों के सम्बन्ध में दूसरे सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श करके सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा ।

अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था, बंगलौर

†४९३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री इकबाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय मानसिक संस्था को बंगलौर में रोकने/बदलने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** अभी इस मामले के बारे में मैसूर और भारत सरकारों के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है और कोई अन्तिम निर्णय नही किया गया है ।

पशुओं के लिये जीवन बीमा

†४९४. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, मद्रास और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में पशुओं के जीवन बीमा की योजनाओं को अन्तिम रूप में तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई पशु बीमा सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं ;

(ग) कितनी ऐसी सोसाइटियां बनाई गई हैं ; और

(घ) क्या उन परियोजनाओं में केन्द्रीय सरकार ने किसी रूप में सहयोग दिया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

(घ) केन्द्रीय सरकार योजना के कार्यान्वित किये जाने पर प्रविधिक मार्ग दर्शन करेगी और विभिन्न राज्यों में कार्य का समन्वय करेगी ।

सिंचाई सहकारी संस्थाएं

†४९५. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य में सिंचाई सहकारी संस्था बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने ठीक क्या काम आरंभ किया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) जी हां। आंध्र प्रदेश गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों में सिंचाई सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं ।

(ख) आम तौर पर ये सोसाइटियां छोटे सिंचाई कार्य अर्थात् पक्के कुओं, नलकूपों, और रहट, तालाबों आदि का निर्माण करती हैं और अपने सदस्यों को सिंचाई संबंधी सुविधाएं पेश करती हैं। हर राज्य में इन के ठीक कार्य स्वरूप की सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कलकत्ता पत्तन के लिये तलकर्षण यंत्र (ड्रैजर)

†४९६. **श्री इन्द्रजीत सिंह गुप्त**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन के लिये १९६० में पुराना तलकर्षण यंत्र (ड्रैजर) "मैटेना" खरीदा गया था ;

(ख) क्या ड्रैजर १९६१ में ३३ लाख रुपये की लागत पर मरम्मत के लिये डालना पड़ा;

(ग) क्या खरीद के समय इतनी भारी मरम्मतों की आशा थी ;

(घ) क्या दूसरा हाल ही में चलाया गया ड्रैजर "अजय", इंगलैंड में निर्मित होने के पश्चात् प्रयोग करते समय डूब गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो पत्तन आयुक्तों ने किन शर्तों पर "अजय" को आखिरकार स्वीकार किया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) पुराना ड्रैजर "मैटेना" १९६० में खरीदा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने जहाज को खरीदने में कुल ६५·२४ लाख रुपया इस प्रकार खर्च किया :—

(१) खरीद मूल्य	५३·७६	लाख रुपये
(२) जहाज की मरम्मतों और हांगकांग से ड्रैजर को भेजने से पूर्व सामान, स्टोर आदि के संभरण की लागत	४·१६	,,
(३) सीमा शुल्क	६·९३	,,
(४) बीमा व्यय	३६	,, ,,
योग .	६५·२४	,, ,,

(ख) ब्यूरो वैरिटल्स नियमों के अनुसार २० मई १९६१ को ड्रैजर सामान्य विशेष सर्वेक्षण के लिये रखा गया। इस ड्रैजर को एक साल तक चलाने से प्राप्त होने वाले अनुभव की दृष्टि से, कुछ परिवर्तन और जोड़ का पता चला, जो विशेष सर्वेक्षण में शामिल कर दिया गया। यह काम संचालन कुशलता और जहाज पर रहने की हालत को सुधारने के लिये किया गया था। सर्वेक्षण मरम्मतों पर कुल व्यय १७४,०७० रुपये आया। इसलिये यह कहना सही नहीं है ड्रैजर की मरम्मत १९६१ में की गई जिस पर ३३ लाख पये लागत आई।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

(घ) जी हां। ड्रैजर 'अजय' दुर्घटना होने से डूब गया। निर्माताओं ने तुरन्त इसे तट पर लाने का प्रबन्ध करके इसे बाद में पुनः चला दिया।

(ङ) दुर्घटना के पश्चात् बकट ड्रैजर 'अजय' की हालत का विस्तृत परीक्षण डिप्टी कंजरवेटर के सभापतित्व में आयुक्त के प्रविधिक दल के द्वारा किया गया जिसने बताया कि निर्माता जहाज को पूर्णतया नई हालत में ला रहे थे। और उसके बाद आयुक्त इसे नवीन हालत में स्वीकार कर सकते हैं, यदि बाद में प्रयोग संतोषजनक किये जाएं। आयुक्त ने इस सिफारिश को स्वीकार किया। तदनुसार निर्माताओं द्वारा मरम्मत किये जाने और संतोषजनक प्रयोग किये जाने के पश्चात ड्रैजर ले लिया गया और आयुक्त को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ा।

दामोदर घाटी निगम का सिंचाई जल

†४९७. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम की योजना से कितने एकड़ भूमि सींची जाएगी, अब तक कितने एकड़ों का विकास किया जा चुका है और कमी के क्या कारण हैं ;

(ख) दा० घा० निगम की सिंचाई योजना कब आरंभ की गई थी और से कब पूरा होना था, नौवहन नहर समेत योजना की पूर्णता में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) नहर में इतनी अधिक असफलताओं के क्या कारण हैं और क्या उनके बारे में कोई जांच की गई है ;

(घ) दामोदर घाटी निगम तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सिंचाई जल के संभरण संबंधी हाल के विवाद की वास्तविक स्थिति क्या है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम ने जल को मुख्य नहरों के रास्ते संभरण करने की बजाए दुर्गापुर बांध के नीचे दामोदर के नीचे पानी चलने देना बेहतर समझा ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८]

स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन

†४९८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन के श्न पर विचार करने के लिये डा० पी० सी० राय के सभापतित्व में नियुक्त समिति तोड़ दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके सचिवालय के कर्मचारियों को इसी विषय पर विचार करने के लिये डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर के सभापतित्व में नियुक्त नई समिति को सौंप दिये गये हैं ; और

(ग) पहली समिति पर कितना धन खर्च किया गया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं।

(ख) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अंकन समिति से संबंधित कर्मचारियों की सेवाएं पश्चिम बंगाल सरकार से डैपूटेशन पर ले ली गई थीं और उन्होंने १ सितम्बर १९६१ से राज्य सरकार के अधीन अपने पद पुनः संभाल लिये हैं।

डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर के सभापतित्व में नियुक्त समिति चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं पर विचार कर रही है, जिन में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा शामिल है।

(ग) २०,६३६ रुपये ९७ नये पैसे।

उड़ीसा के लिये चीनी का अभ्यंश

†४९९. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९६१ में उड़ीसा के लिये चीनी का अभ्यंश बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो १९६० में कितना अभ्यंश आवंटित किया गया था ;

(ग) क्या यह पूरा अभ्यंश उठा लिया गया है और उड़ीसा भेज दिया गया है ; और

(घ) जनवरी से अक्तूबर १९६१ तक महीनावार उड़ीसा को कितना अभ्यंश आवंटित किया गया है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). उड़ीसा के लिये चीनी का अभ्यंश जनवरी से अप्रैल १९६० तक ३००० टन मासिक था। मई १९६० से यह बढ़ा कर ४००० टन मासिक कर दिया गया और जब अभ्यंशों के आधार पर चीनी की आवंटन पद्धति २८-९-६१ को समाप्त की गई तब यह वैसा ही रहा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). राज्य सरकारों तथा/अथवा जिला अफसरों द्वारा सिफारिश की गई प्रार्थनाओं के लिये आवंटन किये गये थे । प्रार्थना पत्र न आने के कारण, पूरा मासिक अभ्यंश आवंटित नहीं किया जा सका । जनवरी से सितम्बर, १९६१ तक आवंटित मात्रा और उस में से भेजे गये माल के आंकड़े नीचे दर्शाये जाते हैं :

महीना	आवंटित मात्रा	भेजे गये माल की मात्रा
१	२	३
जनवरी १९६१ . .	२८४४ टन	२८४४ टन
फरवरी ,,	३०६७ ,,	३०६७ ,,
मार्च ,,	३१५० ,,	३१५० ,,
अप्रैल ,,	२६३६ ,,	२६३६ ,,
मई ,,	२९०३ ,,	२९०३ ,,
जून ,,	१९७७ ,,	१९७७ ,,
जुलाई ,,	२८१७ ,,	२८१७ ,,
अगस्त ,, . .	३६३९ ,,	१८३८ ,,
सितम्बर ,, (२८-९-६१ तक)	२४२२ ,,	६४४ ,,

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण की वृहद योजना

†५००. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार की ओर से राज्य में दीर्घ-कालीन बाढ़ नियंत्रण उपायों की कोई बृहद् योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन उपायों का सुझाव आया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार तीसरी योजना में उड़ीसा में मुख्य बाढ़ नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य को अधिक धन आवंटित कर रही है;

(घ) यदि हां, कितना; और

(ङ) क्या उड़ीसा सरकार ने इस काम के लिये तीसरी योजना में अधिक धन की मांग की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उड़ीसा सरकार ने दूसरी योजना अवधि के पश्चात् १५ वर्ष की अवधि के लिये बाढ़ नियंत्रण की एक दीर्घकालीन योजना बनाई है । इसका परीक्षण बाढ़ों सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया गया और यह समिति द्वारा बताये गये तरीके पर फिर से बनाये जाने के लिये राज्य सरकार को लौटा दी गई । अभी तक फिर से बनाई गई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मूल योजना में निम्न बातें थीं :—

(१) रांगाली में ब्राह्मणी पर और वैतरणी तथा भीमकुंड पर जल जमा करने का जलाशय बनाना, वारिपद से बालासोर तक नदी के साथ साथ बूढ़बालांग नदी पर दोहरा बांध बनाना, जिन पर तीसरी योजना में लगभग १७·६६ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

(२) महानदी पर टिक्करपारा बांध का निर्माण, ठीक समुद्र तक ब्राह्मणी घाटी की मुख्य शाखाओं पर दोहरे बांध, और वर्तमान बांधों को ऊंचा उठाना, जिन पर चौथी योजना अवधि में १९·६४ करोड़ रुपये का खर्च होगा।

(३) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ४·४३ करोड़ रुपये की लागत से, मुहाना क्षेत्र के अन्दर कुल ८१० मील के वर्तमान बांध को मजबूत बनाना और ऊंचा उठाना।

(ग) से (ङ). बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी योजनाओं के बारे में उड़ीसा में तीसरी योजना के उपबंधों में हेरफेर करने के विषय में अभी तक कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

नई दिल्ली में नया बाजार

†५०१. **श्री बलराज मधोक :**
श्री इकबाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शंकर मार्केट के समीप नई दिल्ली में एक नया बाजार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) कनाट सर्कस में टेलीफोन ऐक्सचेंज तथा केन्द्रीय मार्केट के बीच के स्थान पर एक पांच मंजिली इमारत बनाने का विचार है जिस के चार कक्ष होंगे तथा ३०० दुकानें होंगी। इस में जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सब प्रकार की दुकानें होंगी।

यमुना पुल, दिल्ली पर यातायात

†५०२. **श्री बलराज मधोक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यातायात अधिक होने के कारण दिल्ली में यमुना पुल पर यातायात घंटों तक रुका रहता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यमुना पार शाहदरा तथा अन्य बस्तियों के निवासी यमुना पर दूसरा प्रस्तावित पुल बनने तक, वर्तमान रेल एवं सड़क पुल के समीप यमुना पर पीपों या नावों के पुल के निर्माण किये जाने की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस उचित मांग को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) भीड़ के घंटों में दिल्ली में यमुना पुल पर मोटर गाड़ियों का यातायात कई बार रुका रहता है क्योंकि पुल केवल एक रास्ते वाला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली नगर पालिका निगम यमुना पर दूसरे पुल के बनने तक पीपों या नावों के पुल का निर्माण करने की आवश्यकता अनुभव कर चुकी है और वह उस का ब्यौरा तैयार कर रही है । निगम ने भी रेलवे पुल के नदी के बहाव की ओर वाले गर्डर पर छः फुट चौड़ा मैंटी लीवर पैदल मार्ग बनाने के लिये ४.५ लाख रुपये की लागत की एक योजना अनुमोदित की है और रेलवे शीघ्र ही इस कार्य को आरम्भ करने वाली है ।

जापान का कृषि अध्ययन दल

†५०३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जापान के कृषि अध्ययन दल का प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि के सुधार के लिए क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) प्रतिवेदन में से उचित उद्धरण मिल गये हैं ।

(ख) भारत में यह दल इसलिए आया था कि धान की उपज बढ़ाने के लिए जापानी तरीके और यंत्रों का प्रदर्शन करने के लिए फार्मों को चुनने के लिए सर्वेक्षण करें । दल ने सिफारिश की है कि दो फार्म स्थापित किये जायें, एक शाहाबाद ज़िला (बिहार) में तथा दूसरा सम्भलपुर ज़िला (उड़ीसा) में ।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

टिड्डियों का हमला

†५०४. **श्री मो० ब० ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम भारत और पाकिस्तान को कच्छ मरुस्थल से टिड्डियों के हमले का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से कच्छ मरुस्थल में टिड्डियों की नस्ल नष्ट करने में सहयोग देने की प्रार्थना की है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) पश्चिम भारत के सम्बन्ध में ऐसी कोई संभावना नहीं है । गत जून में पश्चिम पाकिस्तान से कच्छ क्षेत्र में टिड्डियों का दल आया था और वहां पर अंडे दे दिये थे । सामान्यतः टिड्डियों का दल सितम्बर के अन्त में पश्चिम की ओर जाता है परन्तु सम्भव है उसमें से कुछ पश्चिम पाकिस्तान की ओर चले जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) इस क्षेत्र में टिड्डियों पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन पर है। जिसको टिड्डियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बना दिया गया है ।

(२) टिड्डी अभियान के लिए भुज टिड्डी चौकी में एक बेतार का केन्द्र स्थापित कर दिया गया था ।

(३) कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर टिड्डी दल तथा भुनगों को नष्ट करने के लिए गछ तथा मशीनें लगा दी गई हैं तथा टिड्डी से भरे हुए क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण कार्य किये जा रहे हैं ।

(४) टिड्डी की नस्ल समाप्त करने के लिए तथा भुनगों को नष्ट करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कच्छ जिले के १९८ जिलों में टिड्डियां भरी पड़ी हैं जिनमें से १२७ ज़िलों को साफ कर दिया गया है और शेष में काम लगभग पूरा होने को है। इस क्षेत्र में टिड्डी का विकास नहीं होने दिया जा रहा है। २८ अवसरों पर टिड्डी दल तथा उस के कुछ भाग को भी नष्ट कर दिया गया है ।

(५) कच्छ क्षेत्र में दो विमान प्रयोग के लिए तैयार हैं ।

(ग) जी नहीं ।

बाढ़ से रेलवे को नुकसान

†५०५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में बाढ़ के कारण रेलवे सम्पत्ति तथा आय में अलग अलग लगभग कितना नुकसान हुआ; और

(ख) आय के नुकसान को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) २८.९३ लाख रुपये और ७४.४४ लाख रुपये अलग अलग ।

(ख) किसी रास्ते पर यातायात भंग हो जाने पर यात्रियों और माल को दूसरे रास्ते से ले जाया जाता है। संचार व्यवस्था जितना शीघ्र हो उतना शीघ्र बनाने का प्रयत्न किया जाता है जिससे आय में कम से कम हानि हो तथा यात्रियों को असुविधा हो । रेल की पटरी के टूट जाने के कारण रुक गये माल यातायात को संचार व्यवस्था बन जाने के बाद सामान्यत : ले जाया जाता है ।

इंडियन रेलवे कांफ्रेंस एसोसियेशन के कर्मचारियों की मांगें

†५०६. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५ सितम्बर, १९६१ को इण्डियन रेलवे काम्फ्रेंस एसोसियेशन के कितने ही कर्मचारियों ने एक दिन का अनशन रखा था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और

(ग) उनकी मागों के बारे में सरकार का क्या रुख़ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के अतिरिक्त सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) वैगन मूवमेंट रजिस्टर में प्रविष्टियों को भरने के सम्बन्ध में काम का कोटा कम करना ;

२. अतिरिक्त काम के लिये मुआवजा ;

३. कुछ कर्मचारियों के स्थानान्तरण जो प्रशासनिक सुविधा के लिये किये गये थे, का रद्द किया जाना ।

(ग) इंडियन रेलवे कान्फ्रेन्स एसोसियेशन स्वायत्तशासी संस्था है और इसीलिये प्रश्न पर संस्था स्वयं निर्णय करेगी ।

यमुना पुल, दिल्ली पर यातायात का रुक जाना

†५०७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २५ अगस्त, १९६१ के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'राजधानी का सब से बुरा यातायात अवरोध' शीर्षक से प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में पुल की सड़क की खराब हालत तथा यमुना पुल पर अपर्याप्त रोशनी के बारे में शिकायत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो दशा सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) भारी वर्षा ऋतु के तुरन्त बाद सड़क की आवश्यक मरम्मत कर दी गई थी । इस के अतिरिक्त सड़क पर पूर्व निर्मित बिटूमैन की परत बिछाने का प्रस्ताव है । यह काम तभी सुचारू रूप से हो सकेगा जब सड़क को बन्द करने के प्रश्न पर दिल्ली राज्य प्रशासन से समझौता हो जाएगा । पुल पर रोशनी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दिल्ली निगम पर है । मालूम हुआ है कि वह प्राधिकार इस में सुधार करने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है । इस समय इस सड़क पर १०० वाट एंस्टन फिटेमेंट के लैम्प लगे हैं ।

दामोदर घाटी निगम के सिंचाई राजस्व

†५०८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के सिंचाई राजस्व के भुगतान के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल सरकार से कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस की शर्तें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन मूल्य

†५०९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों के किसानों को मिलने वाले उत्पादन मूल्यों का निर्धारण करने के लिये आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). खाद्यान्नों तथा अन्य उत्पादों के किसानों को मिलने वाले मूल्यों का निर्धारण करने के लिये बड़े पैमाने पर आर्थिक सर्वेक्षण देश के विभिन्न भागों में नहीं किया गया है। केवल कुछ सर्वेक्षण गन्ना, रूई, पटसन और मूंगफली की उत्पादन लागत का सर्वेक्षण किया गया था; इसके अतिरिक्त कुछ चुने गये क्षेत्रों में फार्म प्रबन्ध अध्ययन के द्वारा तथा नमूना सर्वेक्षण के द्वारा कृषि लागत के आंकड़े इकट्ठा किये गये थे।

सम्भलपुर–टीटलागढ़ रेलवे लाइन

†**५१०. श्री सूपकार**: क्या **रेलवे** मंत्री २४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्भलपुर-टीटलागढ़ रेलवे लाइन का निर्माण कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार प्रगति पर है; और

(ख) जापान को निर्यात करने के लिये विशाखपटनम तक लौह अयस्क भेजना इस लाइन से कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) दिसम्बर, १९६२ तक इस लाइन पर माल यातायात होने की आशा है। इस लाइन पर लौह अयस्क का लाना ले जाना तभी आरम्भ हो सकेगा जब बिमलागढ़--किरिबुरू लाइन पूरी हो जायेगी क्योंकि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम किरिबुरू में ही लौह अयस्क का लदान कर सकेंगे और परिवहन तथा संचार मंत्रालय उनको विशाखपटनम बन्दरगाह से लाद पायेगा। बिमलागढ़–किरिबुरू लाइन के मार्च, १९६३ से माल यातायात के लिये खुल जाने की आशा है।

पैकेज प्रोग्राम

†**५११. श्री सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सम्भलपुर जिले में पैकेज प्रोग्राम को आरम्भ करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या उपरोक्त कार्य के लिये विदेशों से आंशिक रूप में अथवा पूरी तरह मिल जाने की आशा है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) उड़ीसा के सम्भलपुर जिले में १९६२–६३ की खरीफ की फसल से विस्तृत कृषि जिला कार्यक्रम लागू होगा। कार्यक्रम को खेतों में लाग करने से पूर्व आवश्यक विभिन्न प्रारम्भिक कार्य मध्यावधि में किये जायेंगे।

इन कार्यों में निम्न काम शामिल है :—

१. पहले वर्ष के कार्यक्रम के लिये क्षेत्रों का चुनाव।

२. पहले वर्ष के कार्यक्रम के अधीन आने वाले क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं को शक्तिशाली बनाना।

३. कार्यक्रम के बारे में उसके उद्देश्यों आदि की किसानों को जानकारी देना।

४. अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण।

५. मूल आंकड़े इकट्ठा करने के लिये चिह्न लगाने का सर्वेक्षण करने का संगठन।

---

†मूल अंग्रेजी में

६. उर्वरक, बीज, कीटाणुनाशक आदि के संभरण की आवश्यकता का निर्धारण और उन के भंडार के लिये व्यवस्था करना ।

७. सामग्री के भंडार के लिये गोदामों का निर्माण/किराये पर लेना ।

इन कार्यों के १० अप्रैल, अथवा मई, १९६२ तक पूरे हो जाने की आशा है ।

खाद्य तथा कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालयों, भारत के रिजर्व बैंक तथा फोर्ड फाउन्डेशन के प्रतिनिधियों के एक दल ने सहकारी ढांचे का अध्ययन करने के लिये जिले का दौरा किया और निश्चित सिफारिशें कीं जो प्रारम्भिक कार्य के रूप में लागू होंगी ।

(ख) सम्भलपुर जिले में कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये विदेशी सहायता नहीं मिली है । समझौते के अनुसार व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार में बंट जायेगा । परन्तु यह निर्णय किया गया है कि फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा पहले सात जिलों की दी जाने वाली सहायता भारत सरकार के द्वारा दी जायेगी ।

फतेहपुर–चुरु लाइन पर किराया

†५१२. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फतेहपुर और चुरू (राजस्थान) के बीच रेलवे का किराया सामान्य किराये से दुगना है;

(ख) क्या रेलवे का किराया घटाने के लिये रेलवे मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन इस क्षेत्र से मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अनुरोध की जांच कर ली गई है । परन्तु उस को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया ।

अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह में अस्पताल

†५१३. **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भारत सरकार ने अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह में कितने अस्पताल खोले;

(ख) इस वर्ष अब तक उन में कितने रोगियों को अस्पताल में रख कर और कितनों को केवल औषधियां दे कर इलाज किया गया; और

(ग) इन अस्पतालों पर प्रति वर्ष सरकार कितना खर्च करती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें

†५१४. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में अब तक विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें स्थापित करने के बारे में जो प्रगति हुई है उसका संक्षिप्त विवरण क्या है; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के विकास अथवा स्थापना की योजना के अनुसार केन्द्रीय सहायता से राज्य मुख्यालयों में एक मुख्य प्रयोगशाला तथा जिला मुख्यालयों में एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित की जानी थी। किन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना अथवा उनकी व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जायेगी ।

विभिन्न राज्यों में इस योजना की प्रगति तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए निश्चित लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

क्रमांक	राज्य का नाम	
१.	पंजाब	तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक मुख्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला चण्डीगढ़ में तथा एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला करनाल में स्थापित की जानी है । राज्य तृतीय योजना में इस कार्य के लिये निम्न प्रकार से व्यवस्था की गई है :— १. चण्डीगढ़ में मुख्य प्रयोगशाला २.८५ लाख रु० (पूंजी लागत के ७.३० लाख रुपयों के अतिरिक्त) २. करनाल में क्षेत्रीय प्रयोगशाला १ लाख रु० (पूंजी लागत के एक लाख रुपयों के अतिरिक्त)
२.	मैसूर	द्वितीय योजनावधि में एक मुख्य तथा बारह क्षेत्रीय प्रयोगशालायें स्थापित की जा चुकी हैं । तृतीय योजनावधि में ६ क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का विचार है ।
३.	पश्चिम बंगाल	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन राज्य सरकार ने जिला स्तरों पर ७ नैदानिक एवं जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्वीकृति दे दी है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी ही आठ प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का विचार है जिन में से एक की स्वीकृति दी जा चुकी है ।
४.	मद्रास	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ११ क्षेत्रीय प्रयोगशालायें स्थापित की जा चुकी हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास की मुख्य प्रयोगशाला, जिसे "किंग इन्स्टिच्यूट आफ प्रिवेन्टिव मैडिसन, गिण्डी" कहते हैं, के सुधार के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना में ३३ लाख रुपये की पूंजी की व्यवस्था की गई है ।

राज्य सरकार ने कोयम्बटूर में स्थापित होने वाली दूसरी मुख्य प्रयोगशाला के भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी है । इन भवनों पर अनुमानतः १२ लाख रुपय खर्च होंगे और इस खर्च की व्यवस्था तीसरी योजना में कर दी गई है ।

५. महाराष्ट्र . . यहां दो जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालायें पूना और नागपुर में हैं तथा एक खाद्य प्रयोगशाला अमरावती में ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में औरंगाबाद में एक और प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार है ।

६. उडीसा . . क्षेत्रीय स्तर पर तीन प्रयोगशालायें स्थापित की जा चुकी हैं और कटक की मुख्य प्रयोगशाला का विकास किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त ४ जिला मुख्यालय अस्पताल प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

तृतीय योजना अवधि में सात जिला मुख्यालय अस्पताल प्रयोगशलाओं के विकास तथा भुवनेश्वर की राज्य-जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला के भवन कार्यक्रम की पूर्ति की व्यवस्था की गई है ।

७. बिहार . . एक मुख्य जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा १५ जिला जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालायें स्थापित की जा चुकी हैं ।

८. उत्तर प्रदेश . . द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १० जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालायें (क्षेत्रीय) स्थापित की जा चुकी हैं ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत "अस्पतालों के उन्नयन" की एक योजना है जिस के अधीन द्वितीय योजना अवधि में उन्नयित मण्डल मुख्यालय अस्पतालों तथा जिला मुख्यालय अस्पतालों में मैडिकल-सर्जिकल सुविधाओं सहित १७ व्याधि-विज्ञों को नियुक्त करना है ।

९. गुजरात . . गुजरात राज्य में ५ जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालायें । (दो राज्य सरकार के अधीन तथा तीन स्थानिक निकायों के अधीन) ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में बड़ौदा को जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला का मुख्य प्रयोगशाला के रूप में उन्नयन करने का विचार है ।

जूनागढ़ की प्रयोगशाला को जो इस समय गुजरात सरकार के रसायन विश्लेषक की प्रयोगशाला के एक अनुभाग के रूप में काम कर रही है क्षेत्रीय जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला के रूप में विकसित करने का विचार है ।

स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली

५१५. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देशी चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों की पूर्ति में कहां तक सफलता मिली है ;

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिये कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) क्या देशी चिकित्सा प्रणाली को एलोपैथी के समान बनाने के हेतु इस में आधुनिक औषधियों के गुण लाने के लिये कार्यवाही की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो वह कार्यवाही क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) देशी चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना को केन्द्रीय योजना में निर्धारित एक करोड़ रुपये की पूंजी में से ८८.८९ लाख रुपये की पूंजी उसी अवधि में गैर-सरकारी संस्थाओं के उन्नयन, अनुसन्धान आदि के लिये प्रत्यक्ष अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई थी। इस राशि में राज्यों की उन सरकारी संस्थाओं को दी गई केन्द्रीय सहायता सम्मिलित नहीं है जिन की अर्थ व्यवस्था राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिम से की गई थी।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्न प्रकार से ९८१.६९ लाख रुपये की कुल व्यवस्था की गई है :—

राज्य योजनायें	६८१.६९ लाख रुपये
केन्द्रीय योजना	३००.०० लाख रुपये

(ग) और (घ). केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद ने आयुर्वेदिक शिक्षा की एक योजना की सिफारिश की है जिस में आयुर्वेदिक प्रणाली को आधुनिकतम बनाने के विचार से आधुनिक चिकित्सा के पर्याप्त ज्ञान को सम्मिलित करने का उपबन्ध है।

इम्फाल में पोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर

†५१६. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल में पोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर का क्या क्षेत्र होगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इम्फाल में भंगी बस्ती

†५१७. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल नगर पालिका के भंगियों के लिये इम्फाल में कोई भंगी बस्ती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं तो क्या भंगियों के मकानों के निर्माण के लिये किसी वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या इम्फाल में भंगी बस्ती के लिये बैरक नुमा भवनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां, भंगियों की वर्तमान बस्ती में और अधिक बैरक बनाने का प्रस्ताव है ।

गोदाम योजना

†५१८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदाम योजना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य क्या हैं तथा कितना काम हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) अब तक केन्द्रीय गोदाम निगम ने ५० गोदाम खोले हैं और राज्य गोदाम निगम ने २६८ गोदाम खोले हैं । सभा पटल पर रखे गये केन्द्रीय गोदाम निगम के अन्तिम वार्षिक प्रतिवेदन की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में ४० केन्द्रीय गोदाम खोलने का लक्ष्य पूरा हो गया है । राज्य गोदाम निगम द्वारा ३०० गोदामों को खोलने का लक्ष्य था जिन में से दूसरी योजनावधि में २६६ गोदाम खोले जा चुके हैं ।

रेलवे पर सोने की व्यवस्था के लिये किराया

†५१९. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित दूरी से अधिक के लिये देश की सभी रेलों पर तीसरे दर्जे में सोने के स्थान का किराया समान है; और

(ख) यदि नहीं, तो किरायों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा विशेष रियायती वापसी टिकट

†५२०. **श्री अगाड़ी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की हैदराबाद विजगापटम सैक्टर में विशेष रियायती वापसी टिकट जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और एक ओर तथा वापसी के टिकट क्या हैं ;

(ग) इस विशिष्ट निर्णय के कारण और आधार क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इन रियायती दरों को जारी करने के पश्चात् प्रति उड़ान में पैसेन्जरों की औसत संख्या क्या है और प्रति उड़ान पैसेन्जरों की कितनी क्षमता है;

(ङ) क्या इस हानि की पूर्ति के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता दे रही है;

(च) यदि हां तो रियायती टिकट जारी करने के बाद से अभी तक कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(छ) बंगलौर-मंगलौर और बंगलौर-बेलगाम के बीच उड़ानें प्रारम्भ करने के लिये क्या कोई प्रस्ताव या मांग प्राप्त हुई है; और

(ज) यदि हां, तो क्या इन स्थितियों में भी वैसी ही रियायत दरें लागू की जायेंगी।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां।

(ख) हैदराबाद-विशाखपटनम की सामान्य और रियायती दरें और जब से वह लागू हुई हैं नीचे दिया गया है :—

सैक्टर	सामान्य किराया		रियायती किराया		लागू होने की तारीख
	एक ओर का किराया	वापिसी का किराया	७ दिन का वापिसी किराया	३० दिन का वापिसी किराया	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	
हैदराबाद विशाखपटनम	९५	१८१	१२०	१४४	१६-१०-६१
—वही—	८५	१६२	१०८	१२९	१-१२-५९

(ग) यात्रियों को आकर्षित करने के लिए रियायत लागू की गई थी।

(घ) हैदराबाद-विशाखपटनम सैक्टर में प्रति उड़ान यात्रियों का औसत यातायात इस प्रकार था :—

अवधि	बाह्य	वापिसी
१-४-५९ से ३०-११-५९	४.३	५.८
१-१२-५९ से ३१-३-६०	५.५	७.३
१-४-६० से ३०-१०-६०	६.६	७.६

इस सैक्टर में प्रयुक्त, एयर क्राफ्ट २१ सीट वाला डकोटा विमान है।

(ङ) जी, हां।

(च) आन्ध्र सरकार से अस्थायी वित्तीय सहायता व्यवस्था के अनुसार प्रति छह महीने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को २०,००० रुपये की वित्तीय सहायता है। इंडियन एयर-लाइंस कारपोरेशन को दी जाने वाली वित्तीय सहायता कारपोरेशन द्वारा सेवा संचालन का लागत व्यय है।

†मूल अंग्रेजी में

(छ) जी, हां। सर्विस संख्या १५६/१६० बंगलौर को मंगलौर और बेलगाम से मिलाती है। यह मैसूर सरकार की प्रार्थना पर १-१०-६१ से की गई है।

(ज) इस मार्ग पर रियायती टिकट लागू नहीं है। इस सर्विस के प्रारम्भ होने से बंगलौर/मंगलौर और बंगलौर/बेलगाम सैक्टर में यातायात की वृद्धि हो रही है और उन्नतिगत किराये के लिये मामला उत्पन्न नहीं होता है।

आटा

५२१. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं के आटे में मूंगफली का आटा मिला कर गुणकारी आटा तैयार करने और उसके प्रचार करने के कार्यक्रम को क्या अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इससे मिलों को क्या लाभ होने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). कुछ आटा मिलों के साथ अभी भी पत्र-व्यवहार हो रहा है और उनके साथ लागत, वित्तीय तथा बिक्री सम्बन्धी पहलुओं पर भी विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करना है।

(ग) गुणकारी आटे का उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से नहीं किया जा रहा है और इसलिये आटा मिलों को इससे लाभ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसे लोक-प्रिय बनाने की दृष्टि से इसकी थोड़ी मात्रा एं तैयार करने का विचार है और इस कार्यक्रम को एक प्रयोगात्मक प्रयोजन ही समझना चाहिये।

माल डिब्बों का निर्माण

†५२२. **श्री खीमजी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किस किस प्रकार के विविध रेलवे वैगनों का निर्माण किया जाता है; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी में उनका कितना उत्पादन है ?

---

†मल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारत में १९५८–५९ और १९५९-६० में निर्मित रेलवे वैगनों की विभिन्न किस्में इस प्रकार हैं :—

१९५८–५९			१९५९-६०			१९६०–६१		
बी जी	एम जी	एन जी	बी जी	एम जी	एन जी	बी जी	एम जी	एन जी
बी आर	एम ओ एक्स	एन ओ एल	बी ओ एक्स	एम बी टी पी एक्स	एन ओ एल	बी ओ बी	एम बी वी जो	एन ओ एल
बी ओ बी एस	एम सी एम	एन सी एल	बी आर	एम बी डब्ल्यू	एन सी एल	बो ओ बी सी	एम बी ओ बी	एन सी एल
बी वी जी	एम बी डब्ल्यू		बी ओ बी एस	एम बी वी जो		बो ओ बी एस	एम बी टी एम	
सी एम आर	एम बी टी पी एक्स		टी पी आर	एम बी ओ बो		बी ओ एक्स	एम बी टी पी एम	
सी आर	एम बी ओ सी		टी ओ एम			बी आर एच	एम सी	
टी पी आर			टी एम			बी आर एस		
टी ओ एच			सी आर			बी वी जी		
'ओ'			'ओ'			सी आर		
टी ए एल			ओ एम			टी पी आर		
(केवल अंडर प्रेस)			टी आर					

†मूल अंग्रजी में

(ख) विवरण सन्निहित है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६ ।]

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा अधिक समय काम करने का भत्ता

†५२३. **श्री बसुमतारी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों ने भुगतान में समुचित व्यवस्था के अभाव में अधिक समय काम के लिये अदायगी न मिलने की शिकायत की है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) निश्चित तारीखो पर नियमित रूप से अधिक समय के लिये भुगतान किया जाता है । दावे देर से देने पर किन्हीं मामलों में विलम्ब हो सकता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

भारतीय रेलवे में श्रेणी एक और श्रेणी दो के अधिकारियों का स्थायीकरण

†५२४. **श्री रामशंकर लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में श्रेणी १ और श्रेणी २ के सहायक अधिकारियों की कितनी संख्या है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में के कितने अधिकारी स्थायी हैं ;

(ग) दोनों श्रेणियों में स्थायीकरण में भेदभाव का क्या कारण है ;

(घ) इस भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) दोनों श्रेणियों में एक कर्मचारी अधिकतम कितनी अवधि तक अस्थायी रहा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) श्रेणी एक ११६०
श्रेणी दो १७११

(ख) श्रेणी एक ७७५
श्रेणी दो ४२०

(ग) और (घ). सीधी भरती श्रेणी एक का स्थायीकरण अधिकारी द्वारा परीक्षा काल पूरा होने के तुरन्त बाद और निर्धारित विभागीय परीक्षा पर किया जाता है ।

श्रेणी दो का स्थायीकरण स्थायी श्रेणी दो में रिक्त स्थानों की उपलब्धि पर निर्भर है ।

(ङ) श्रेणी एक ६ वर्ष
श्रणी दो १२ वर्ष

मेल ओवरसीयर

†५२५. **श्री रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेल ओवरसीयर्स का संवर्ग (cadre) आन्ध्र प्रदेश में ही है अथवा अन्य राज्यों में भी लागू है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन ओवरसीयरों के कर्तव्य क्या हैं और उनकी क्या अर्हतायें एवं पारिश्रमिक हैं ; और

(ग) यह संवर्ग स्थायी है अथवा यह केवल अस्थायी व्यवस्था है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) यह संवर्ग सब डाक तथा तार सर्कल में है ;

(ख) विवरण सन्निहित है ।

(ग) यह स्थायी संवर्ग है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६० ।]**

रुडाइन स्टेशन पर डकैती

†५२६. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के फतेहगढ़-कासगंज सैक्शन के रुडाइन स्टेशन पर १ अक्तूबर, १९६१ को लगभग २५ डाकुओं ने आठ क्वार्टरों पर डाका डाला, दो कान्सटेबुलों को बांध दिया और १२,००० रुपये का माल ले कर भाग गये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी, हां । विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१ ।]**

भारतीय पशु-पक्षियों की दुर्लभ जातियां

†५२७. **श्री कोडियान** :
श्री वारियर :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के कुछ दुर्लभ किस्म के पशु-पक्षी विनाश के किनारे पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पशु-पक्षियों की कौनसी किस्में हैं जो विनाशोन्मुख हैं ; और

(ग) इन किस्मों के रक्षण के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) पशु-पक्षियों आदि की निम्न किस्में भारत में विनाश के तट पर हैं :—

पशु :

एशियाई शेर, भूरा ऐटलर्ड हिरण, चीता (समाप्त प्रायः) भारतीय गेंडा, काश्मीर बारहसिंहा, पिग्मी भेड़ ।

पक्षी :

ग्रेट इंडियन सारस, जोर्डन का घोड़ा, पहाड़ी बटेर, गुलाबी सिर वाला बत्तख, सफद पर वाला लक्कड़ बत्तख ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेंगने वाले पशु :

घड़ियाल ।

पशु-पक्षियों की उपरोक्त किस्मों और तत्सम्बधी उत्पाद के निर्यात की अनुमति नहीं है । कुछ स्थितियों में उनके निर्यात की अनुमति दी जाती है जब कि उनकी चिड़ियाघरों और यथार्थ वैज्ञानिक संस्थाओं से प्रार्थना की गई हो और इन प्रार्थनाओं का सम्बन्धित सरकारों द्वारा अनुमोदन किया गया हो ।

(ग) इन किस्मों का संरक्षण करने के लिये भारत सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं :

(१) एशियाई शेर, भारतीय गेंडा और भूरा एंटलर्ड हिरण के संरक्षण के लिए क्रमशः गुजरात, आसाम और मनीपुर राज्य सरकारों ने पृथक् मृग वन स्थापित किये हैं । यह पशु-पक्षी और रेंगने वाले जन्तु जहां भी पाये जाते हैं वहां शिकार से उन्हें पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है ।

(२) इन पशुओं की जीवित किस्में और उनके उत्पादों के निर्यात पर भारत सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है ।

(३) सम्बन्धित राज्य सरकारें इन पशु-पक्षियों की समय-समय पर गणना करती हैं ताकि उनकी जनसंख्या की धारा पर दृष्टि रखी जा सके ।

(४) भारत सरकार ने १९५२ में वन्य जीवन के लिये भारतीय बोर्ड की स्थापना की थी । इसका काम केन्द्रीय और राज्य सरकारों को विनाशोन्मुख पशु-पक्षियों के लिये मृगवन स्थापित करने और वन्य पशुओं के संरक्षण प्रदान करने के लिये परामर्श देना था । बोर्ड की सिफारिश के अनुसरण में 'वन्य जन्तु सप्ताह' प्रति वर्ष सारे देश में अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में मनाया जाता है उस समय आकाशवाणी, प्रेस, सिनेमा की स्लाइडें, सभाओं, पोस्टरों, पुस्तिकाओं और अन्य प्रचार सामग्री द्वारा वन्य जन्तुओं के संरक्षण का प्रचार किया जाता है । पंचवर्षीय योजनाओं में प्रकृति संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार वन्य जन्तु संरक्षण के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की ओर से उपबन्ध किया गया है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रकृति संरक्षण योजनाओं के अधीन प्रस्तावित उपबन्ध २०९ लाख रुपये है । प्रकृति संरक्षण योजनाओं में मृगवन और राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जन्तु संरक्षण से सम्बन्धित अन्य व्यवस्थायें भी सम्मिलित हैं ।

नंजनगुड–चामराजनगर मीटर गेज लाइन

†५२८. **श्री अगाड़ी :** क्या **रेलवे** मन्त्री १७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार का नंजनगुड़-चामराजनगर मीटर गेज लाइन को बेचने सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्रय करने की शर्तें क्या हैं;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नहीं है तो प्रस्ताव किस स्थिति पर निलम्बित है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) इसमें जो देर हो रही है उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस लाइन के मूल्य का सर्वेक्षण किया गया है; और

(च) यदि हां तो अनुमानतः मूल्य क्या होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस समय यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). मैसूर राज्य के विचार बिक्री के सम्बन्ध में मांगे गये हैं और उनकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ङ) और (च). ये प्रश्न नहीं उठते ।

मैसूर राज्य में रज्जुपथ

†५२९. **श्री अगाड़ी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री १७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार ने राज्य में रज्जुपथ बनाने के सिलसिले में स्विस रज्जुपथ विशेषज्ञ द्वारा किये प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) तथा (ख). वांछित जानकारी मैसूर राज्य से मांगी गई है और जैसे ही यह मिलेगी वैसे ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सूखी वेक्सीन

†५३०. **श्री अगाड़ी** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री १७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमायी सूखी वेक्सीन की २५०० लाख खुराक जिसे कि सोवियत रूस ने भेजा था चेचक से बचने के लिये उपयोग में लाने का कार्यक्रम बना लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). सोवियत रूस द्वारा भेजी गई जमायी हुई सूखी बैक्सीन की २५०० लाख खुराक का उपयोग राष्ट्रीय चेचक निवारण कार्यक्रम के अधीन जो कि शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है सामूहिक रूप से टीके लगाने के रूप में प्रयोग किया जायेगा । इस वेक्सीन में से काफी मात्रा में वेक्सीन तो ऐसे क्षेत्रों में, जो कि नगरों से काफी दूर हैं एवं जहां आसानी से दवाई नहीं पहुंच सकती, प्रयोग किया जायेगा, शेष वैक्सीन अन्य क्षेत्रों में प्रयोग की जायेगी । यह वैक्सीन सोवियत रूस द्वारा ८ किश्तों में भेजी जायेगी जो कि जनवरी १९६२ से शुरू होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अगरपारा रेलवे स्टेशन पर डकैती

†५३१. श्री अरविन्द घोषाल :
श्री सुबिमन घोष :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के अगरपारा रेलवे स्टेशन पर रेलवे धन को लूटने की कोई घटना ४ सितम्बर, १९६१ को हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे कर्मचारियों एवं रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). जी हां। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) (i) पुलिस प्राधिकारियों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसे स्थानों की विशेष रूप से देखभाल करें जहां कि चोरी हो सकती है, और अनाचारी व्यक्तियों की उचित देखभाल करें।

(ii) स्टेशन कर्मचारियों को भी इस प्रकार की दुर्घटनाओं से सचेत रहने के लिये जागरूक कर दिया गया है।

विवरण

४ सितम्बर, १९६१ को सेवारत सहायक स्टेशन मास्टर एक पोर्टर के साथ दो मुहरबन्द बक्सो को लेकर, जिनमें कि ३ सितम्बर, १९६१ की कुल आय ६९०९ रुपये ५६ नये पैसे थी, अगरतला प्लेट फार्म के पिछले भाग की ओर जा रहा था जहां कि उसे एस ३९४ डाउन गाड़ी के चलते फिरते सुरक्षा धनकोष में जमा करना था यह गाड़ी आने वाली ही थी। अचानक ही पिस्टल तथा खंजरों से लैस दो बदमाशों ने सहायक स्टेशन मास्टर तथा पोर्टर पर आक्रमण किया। एक गोली चलाने के बाद जो कि सहायक स्टेशन मास्टर के गले में लगी और पोर्टर को मामूली चोट पहुंचाने के बाद वे दोनों बदमाश रोकड़ी वाले उन दोनों थैलों को लेकर चम्पत हो गये जिन्हें कि सहायक स्टेशन मास्टर लेकर जा रहा था। सियालदह की रेलवे पुलिस ने यह मामला भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३९४ के अन्तर्गत दर्ज कर लिया है। इन बदमाशों में से एक को तो बन्दी बना लिया गया है और दूसरे की तीव्रता से तलाश की जा रही है।

'बिस्ट्रेपेन' की शीशी में मरी हुई मक्खी

†५३२. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री कोडियान :
श्री प्र० गं० देव :
श्री चुनी लाल :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा फार्मेटिकल फर्म द्वारा बनाई गई 'बिस्ट्रेपेन' की १००० शीशियां महाराष्ट्र राज्य के औषधि नियन्त्रण प्रशासन के निदेशक ने ६ अक्तूबर, १९६१ को बम्बई में

†मूल अंग्रेजी में

इस आधार पर जब्त कर ली कि उनमें से एक शीशी में, ५ अक्तूबर, १९६१ को पटेल के पशु चिकित्सा अस्पताल में, एक मरी हुई मक्खी पाई गई थी;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उस जांच के तथ्य क्या हैं ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं। केवल १६९ शीशियां विभिन्न दुकानदारों के पास से लेकर बम्बई में जब्त की गई थीं। इनमें ८० वे शीशियां सम्मिलित नहीं हैं जो कि सैम्पिल के तौर पर ली गई थीं।

(ख) जी हां। महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के औषधि नियन्त्रण प्रशासन ने तुरन्त ही इस मामले में जांच की थी।

(ग) शीशी में जो खराब वस्तु मिली वह समूची मक्खी ही थी, उसके कुछ अंग ही विक्षिप्त हुए थे। एन्टीबायोटिक संयंत्र, शीशी भरने के स्थान की जब जांच की गई तो यही पता चला कि सामान्यतः वहां मक्खी जाने का कोई भी मौका नहीं था।

(घ) प्रबन्धकों ने तुरन्त ही शेष शीशियों को वापस लेने के लिये आदेश जारी कर दिये। उनसे यह भी कहा गया है कि शीशियों पर लेबिल लगाने से पूर्व उनकी अच्छी तरह जांच की जानी चाहिये ताकि किसी भी खराब वस्तु की आसानी से पकड़ हो सके। इसके बाद प्रबन्ध ने शीशी भरने का काम बिल्कुल बन्द कर दिया है, और परीक्षण के काम में फिर से जांच करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

उड़ीसा में सालन्दी परियोजना

†५३३. **श्री सूपकार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सालन्दी परियोजना के निर्माण के लिये विदेशों से कितना ऋण लिया गया है; और

(ख) वस्तुतः किस कार्य में यह ऋण लगाया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ८० लाख डालर ऋण लेने के लिये करार हुआ है।

(ख) परियोजना बनाने के लिये।

बिना टिकट यात्रा

†५३४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में ३० सितम्बर, १९६१ तक उत्तर पूर्व रेलवे के भूतपूर्व ओ० टी० आर० की रेलों पर बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के लिये कुल कितने धावे मजिस्ट्रेटों द्वारा किये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये, उनसे कितना जुर्माना वसूल हुआ, और उनमें कितने व्यक्ति जेल भेजे गये ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २,३१७ ।

(ख)

बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या	वसूल किया गया जुर्माना	जेल भेजे गये व्यक्तियों की संख्या
५४,३१९	१,३४,१३८ रु०	१६११

बिहार में चीनी की मिलें

†**५३५. श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ के गन्ना पेरने वाले समय में बिहार की गन्ना मिलों को सम्भरित गन्ना के मूल्य जो विभिन्न मिलों द्वारा अभी तक नहीं दिये गये हैं वह मूल्य प्रति मिल के पास कितना कितना है ; और

(ख) वितरण के नियन्त्रण और चीनी की बिक्री पर से प्रतिबन्ध हटाने के फलस्वरूप कितनी मिलें किसानों ो गन्ने का मूल्य देने में समर्थ हुई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) वांछित जानकारी बताने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२]** ।

(ख) चीनी की बिक्री एवं उसके वितरण पर से प्रतिबन्ध हटाने से गन्ने के मूल्यों के भुगतान करने के मामले में कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ है ।

अखिल भारतीय होटल तथा रेस्टारेंट सम्मेलन

†**५३६. श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर १९६१ के प्रथम सप्ताह में मद्रास में जो अखिल भारतीय होटेल तथा रेस्टारेंट सम्मेलन हुआ था उसमें क्या संकल्प पारित किये गये थे;

(ख) उनमें से कितने संकल्प सरकार ने स्वीकार किये; और

(ग) विदेशी यात्रा के दृष्टांक नियमों में कितना परिवर्तन किया जायेगा ताकि वे लुफ्तहांसा तथा के० एल० एम० जैसी विदेशी हवाई सेवाओं से भ्रमण करने वाले और भारत होकर जाने वाले यात्रियों के लिये सुविधाजनक होगा ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) अक्तूबर, १९६१ के प्रथम सप्ताह में मद्रास में होने वाले अखिल भारतीय होटल तथा रेस्टारेंट सम्मेलन में पारित संकल्पों की प्रतियां संलग्न हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]** ।

(ख) वे संकल्प जिनके बारे में कि सरकार को कार्यवाही करनी है सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) यह मामला गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित है और उनका उत्तर संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

थाना क्रीक पर रेल तथा सड़क पुल

†५३७. **श्री खोमजी :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और पूना के बीच दूरी कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के सहयोग से थाना क्रीक पर रेल तथा सड़क वाला पुल बनाने के लिये एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो उस प्रस्ताव पर कितना विचार हुआ है और उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता मूल्य

†५३८. **श्री दी० वं० शर्मा :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोक तथा खुदरा मूल्यों एवं मिलावट की बढ़ती हुई मात्रा को रोकने के लिये सरकार उपभोक्ता समिति बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) इस हेतु सम्पूर्ण देश में लगभग २२०० प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी स्टोर तथा प्रत्येक राज्य में एक उच्चस्तरीय थोक स्टोर खोलने का कार्यक्रम तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शुरू करना तय किया गया है।

(ख) ऐसी आशा है कि राज्यों में ६१–६२ के दौरान में लगभग ३७० स्टोर इस कार्य के लिये खोले जायेंगे।

दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में मोटर साइकिलों के लिये लॉग-बुक

†५३९. **श्री अरविंद घोषाल:** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों की श्रेणियां क्या हैं जिनको कि डाक तथा तार विभाग द्वारा मोटर साइकिलें दी गई हैं और प्रत्येक श्रेणी में इन कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या वे उस सभी सरकारी यात्रा का रिकार्ड रखने के लिये लॉग-बुक रखते हैं ;

(ग) इस बात का ध्यान रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि ये पदाधिकारी एवं कर्मचारी उन मोटर साइकिलों को अपने निजी काम में नहीं लायेंगे ;

(घ) क्या इन लॉग-बुकों का परीक्षण लेखा परीक्षक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में निम्नलिखित पदाधिकारियों की श्रेणियों एवं निम्न अराजपत्रित कर्मचारियों को मोटर साइकिलें दी गई हैं :—

श्रेणी	संख्या
सब डिवीजनल पदाधिकारी	६
असिस्टेंट इंजीनियर केबिल	३
असिस्टेंट इंजीनियर को-एक्सिल	५
कान्सट्रक्शन आफीसर केबिल	१
अराजपत्रित कर्मचारी	
इंजीनियरिंग सुपरवाइजर	१७
डिस्पैच राइडर	६*

(ख) जी हां। उनको लॉग-बुक रखनी पड़ती है।

(ग) मोटर साइकिल रखने वाले प्रत्येक पदाधिकारी को यह आदेश है कि वह प्रत्येक यात्रा की लिखत पढ़त उस लॉग-बुक में करे और उनके सुपरवाइजर इसकी देखभाल करते हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

ओटोरिक्शाओं के लिये भाड़े के मीटर

†५४०. **श्री राममूर्ति** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की फर्म ने ओटोरिक्शाओं के भाड़े के मीटर भेजने के बारे में सरकार को कोई उत्तर भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में कोई निर्णय हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) राज्य परिवहन प्राधिकार, दिल्ली ने बम्बई की दो फर्मों को ओटोरिक्शाओं के भाड़े के मीटरों की जांच करने के लिये कहा है कि वे उनकी जांच विक्टोरिया जुबली टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट, बम्बई से करायें। अभी तक इस प्राधिकार के पास उनसे उत्तर नहीं आये हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में उर्वरकों की चोर बाजारी

†५४१. **श्री राममूर्ति** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ६ सितम्बर १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में उर्वरकों की चोर बाजारी अथवा कानपुर जिले से उत्तर- देश के बाहर उर्वरकों का निर्यात करने के जो मामले पहले हुए थे उनमें पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

*(तार तथा समाचार पत्र टिप्पणी बांटने के लिये)

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके बारे में क्या निर्णय किया गया।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) से (ग)। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि इन मामलों में पुलिस की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

नवादा के परमानेंट वे इन्सपेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही

†५४२. **श्री राममू** : क्या **रेलवे** मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवादा के परमानेंट वे न्सपेक्टर के विरुद्ध लापरवाही दिखाने पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा दो चौकीदार रखने की स्वीकृति कब दी गई थी, और

(ग) डिवीजनल सुपरिटेन्डेन्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही उन्होंने की ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जून १९६१ में परमानेंट वे इन्सपैक्टर के विरुद्ध चार्ज शीट जारी कर दी गई है और उसका जवाब आने पर एक जांच समिति बनाई गई थी कि सके विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये ? समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जो कि विचाराधीन है।

(ख) डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट ने १०-२-६१ को २ चौकीदार रखने की स्वीकृति जारी की थी। परमानेंट वे न्सपैक्टर को इसकी सूचना १७-२-६१ को दी गई। न्सपैक्टर ने ७-३-६१ को एक चौकीदार की नियुक्ति की और दूसरा चौकीदार २७-३-६१ को घटना होने तक भी नियुक्त नहीं किया गया था।

(ग) परमानेंट वे न्सपैक्टर के विरुद्ध लापरवाही का एक दोष यह है कि उसने दूसरा चौकीदार नहीं रखा और इस जांच समिति के निर्णय स्वीकार हो जाने के बाद उस न्सपैक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

बिनौर स्टेशन का निर्माण

५४३. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर झांसी और कानपुर के बीच बिनौर रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिये कोई ठेकेदार नियुक्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कब तक ठेकेदार की नियुक्ति की आशा है ; और

(घ) उक्त स्टेशन कब तक चालू हो जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) से (घ). स्टेशन के नक्शे और अनुमानित खर्च की मंजूरी दी जा रही है। आशा है कि काम जल्द शुरू हो जायेगा। लगभग जून, १९६२ के अन्त तक स्टेशन खोलने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

धौरसालार में फ्लैग स्टेशन

५४४. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे स्थित फतेहगढ़ जिले में बिल्हौर तथा उत्रीपुरा स्टेशनों के बीच धौरसालार में ठेके पर एक नया हाल्ट या फ्लैग स्टेशन खोलने पर पुनर्विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). परीक्षण के रूप में इस जगह हाल्ट स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे को अक्टूबर में मंजूरी दी गयी है। उसके अनुसार हाल्ट स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में रेलवे उपयुक्त कार्रवाई करेगी ।

फतेहगढ़ डिवीजन में बिना टिकट यात्रा

५४५. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के फतेहगढ़ डिवीजन में टिकट चैकरों के लिये बिना टिकट यात्रा करने वालों से प्राप्त धन में तैंतीस प्रतिशत विशेष जुर्माना देना अनिवार्य कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इससे रेलवे को लगभग कितनी अतिरिक्त आय होने की संभावना है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

कल्याणपुर स्टेशन

५४६. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे स्थित कल्याणपुर स्टेशन को कानपुर की नगरपालिका सीमा में सम्मिलित कर लिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को अभी तक शहर का भत्ता नहीं दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या भविष्य में उन्हें उक्त भत्ता दिये जाने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). कल्याणपुर में काम करने वाले रेल-कर्मचारियों को कानपुर की दर पर प्रतिकर (नगर) भत्ता और मकान किराया भत्ता देने के सम्बन्ध में आदेश दिया जा चुका है ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये मकान

५४७. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रलवे की कानपुर-झांसी ब्रांच लाइन पर स्थित भीमसेन जंक्शन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये उपयुक्त निवास स्थान की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं और उनके निवास का इस समय क्या प्रबन्ध है ; और

(ग) क्या उनके आवास की व्यवस्था करने की कोई योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) कुल बीस कर्मचारियों में से बारह रेलवे क्वार्टर मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे इस समय आस-पास के गांवों में रह रहे हैं।

(ग) १९६१–६२ के निर्माण-कार्यक्रम में छ: क्वार्टर बनाने की व्यवस्था की गयी है।

कानपुर में क्षय रोग का अस्पताल

५४८. श्री जगदीश अवस्थी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में क्षयरोग के रोगियों के लिये एक और अस्पताल खोलने के हेतु वित्तीय सहायता या ऋण देने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) राज्य सरकार ने कितनी राशि के लिये प्रार्थना की है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

सिगनल की नई व्यवस्था

†५४९. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के बेसिन ब्रिज रेलवे जंकशन पर जो नई "रूट रिले इंटरलोकिंग सिगनल व्यवस्था" लागू की गई थी वह देश के अन्य भागों में भी लागू की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर लगाया जायेगा;

(ग) यह व्यवस्था किस प्रकार काम कर रही है; और

(घ) उसका अनुमानित व्यय कितना है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। "रूट रिले इंटरलोकिंग व्यवस्था" का विस्तार किया जायेगा किन्तु इसके विकास का काम यातायात की आवश्यकता और निधि की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ख) वे प्रस्तावित स्थान हैं : पूर्व रेलवे पर हावड़ा, लिलुआह, सियालदह और दमदम; उत्तर रेलवे के, दिल्ली, दिल्ली किशनगंज और दिल्ली-शहादरा; केन्द्रीय रेलवे का कल्याण और दक्षिण रेलवे का मद्रास जंकशन।

(ग) यह व्यवस्था सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही है।

(घ) दक्षिण रेलवे में बेसिन ब्रिज, बासरमानपेट, कुरुकुक्कूपेटी और व्यासरपाडी पर यह व्यवस्था करने में अनुमानतः १९.७७ लाख रुपये व्यय हुए हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल

†५५०. श्री बसुमतारी : क्या **रेलवे** मंत्री २९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र नदी पर रेलवे पुल बनाने के कार्य में क्या प्रगति हुई;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह कार्य अनुसूचित समय में पूरा हो जायेगा, और;

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) पुल के स्तम्भों (पायर्स) की बुनियाद के निर्माण का कार्य समाप्त हो गया है। पहिले गिर्डर के निर्माण का कार्य समाप्त हो चुका है और दूसरे स्थान के निर्माण का कार्य चल रहा है। प्रवेश तट का ९० प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका है।

(ख) जी हां।

(ग) आशा है पुल १९६२ के अन्त तक यातायात के लिये खोल दिया जायेगा।

आसाम में मानस नदी परियोजना

†५५१. श्री बसुमतारी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के गोलपाड़ा जिले की मानस नदी परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच वार्ता किस स्थिति पर है;

(ख) क्या यह सच है कि भूटान सरकार ने इस परियोजना के बारे में कुछ शर्तें रखी हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे किस निश्चय पर पहुंचना चाहते हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). मानस परियोजना की पड़ताल और सर्वेक्षण के सम्बन्ध में भूटान के प्रधान मंत्री, भारत सरकार के प्रतिनिधियों और आसाम सरकार के प्रतिनिधियों की बातचीत कलकत्ता की एक बैठक में १-३-१९६१ को हुई थी। भूटान की सरकार मानस नदी के अन्तर्गत आने वाले उस क्षेत्र में जो भूटान के राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत है सर्वेक्षण और जांच करवाने के लिये सहमत हो गई है। यदि पड़ताल के पश्चात् यह निश्चय होगा कि परियोजना व्यावहरिक है और इस पर कार्य किया जाये तो इसके निर्माण से सम्बन्धित शर्तों पर बाद की किसी तारीख को विचार कर लिया जायेगा।

विभिन्न डिवीजनों में सहायक स्टेशन मास्टर

†५५२. श्री सुबिमन घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा खंड, आसनलोल खंड, जिस में धनबाद परिवहन खंड भी शामिल है और सियालदा खंड में पृथक-पृथक कितने सहायक स्टेशन मास्टर हैं ;

(ख) प्रत्येक खंड में पृथक पृथक रूप में कितने सहायक स्टेशन मास्टरों की आवश्यकता है, और

(ग) यदि वर्तमान संख्या आवश्यकता से कम है तो इसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क)

खंड	संख्या
हावड़ा	७२१
सियालदा	४१०
आसनसोल (जिस में धनबाद शामिल है) . .	५६७

†मूल अंग्रेजी में

	खंड	संख्या
(ख)	हावड़ा	७४६
	सियालदा	४३८
	आसनसोल (जिस में धनबाद भी शामिल है)	६१३

(ग) सहायक स्टेशन मास्टरों का उपलब्ध न होना। आशा है यह कमी, दिसम्बर १९६१ तक परिवीक्षाधीन स्टेशन मास्टर जो कि इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं, अपने प्रशिक्षण की सफल समाप्ति के पश्चात् नियुक्ति के लिये उपलब्ध हो जायेंगे पूरी हो जायेगी।

रेलवे में दुर्घटनायें

†५५३. **श्री सुबिमल घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे में, वर्ष १९६० और १९६१ में अब तक कितनी बड़ी और अन्य प्रकार की दुर्घटनायें हुई हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि में इन दुर्घटनाओं के लिये पूर्वी रेलवे में किसी अधिकारी, सेक्शनल इन्सपेक्टर, नियंत्रक स्टेशन मास्टर और कन्ट्रोलर्स (नियंत्रक) को दंड दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या अन्य वर्गों के कर्मचारियों को इसके लिये दंड दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो दंडित कर्मचारी किन वर्गों के हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जनवरी, १९६० से सितम्बर, १९६१ तक पूर्वी रेलवे में हुई दुर्घटनाओं है यथा गाड़ियों की टक्कर, पटरी से उतरना, रेलवे फाटक पर गाड़ी का सड़क पर तरना की कुल संख्या २९२ है।

(ख) से (घ). विभिन्न वर्गों के अधीन कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रकार से दंड दिया गया :—

वर्ग	संख्या
सेक्शन कन्ट्रोलर	१
सहायक स्थायी वे इन्सपेक्टर	१
केरेज एंड वेगन इन्सपेक्टर	१
इन्सपेक्टर आफ वर्क्स (विशेष)	१
ब्लाक/सिगनल इन्सपैक्टर	२
सहायक ट्रेक्शन इन्सपैक्टर	२
फिटर	२
हेड मिस्त्री/मेट/गेंगमैन/कीमैन	१३
ट्रेन एक्जामिनर/फिटर	१०
शंटिंग स्टाफ	१५
सहायक स्टेशन मास्टर	१५

†मूल अंग्रेजी में

वर्ग	संख्या
गार्ड	२८
ड्राइवर	४५
फायर मन	५
कैबिन मैन/लीवर मैन	२४
पाइंट्स मैन	९
फ्लेग मैन/फ्लैग खलासी	३
पोर्टर	४
डीजल एसिस्टेंट/रिलिविंग ट्रांस्पोर्टेशन एसिस्टेंट	२
गेट मैन	१

बाक्स टाइप वैगन

†५५४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न रेलवे में कितने बाक्स टाइप वैगन (माल-डिब्बे) हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** विभिन्न रेलों में १०-११-१९६१ को ३,५३८ बाक्स टाइप वैगन (माल-डिब्बों) का उपयोग किया जा रहा था ।

रुई का उत्पादन

†५५५. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में रुई का कुल उत्पादन कितना है; और

(ख) पहिले वर्ष की तुलना में यह उत्पादन कितना है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** (क) और (ख). १९६०–६१ के वर्ष के दौरान (१ सितम्बर, १९६०, से ३१ अगस्त, १९६१) तक ५३.९४ लाख गांठें जब कि १९५९–६० के दौरान इसी अवधि में ३६.७८ लाख गांठें हुई थीं ।

अखिल भारतीय डाक तथा तार कर्मचारी कल्याण संघ को मान्यता

†५५६. **श्री माने :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय डाक तथा तार कर्मचारी कल्याण संघ नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस संघ का मुख्य उद्देश्य डाक तथा तार विभाग के अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के नौकरी सम्बन्धी हितों तथा विशेष अधिकारों की रक्षा करना है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निश्चय किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार को इस संघ का जो संविधान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार, इस संघ का उद्देश्य डाक तथा तार विभाग के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ी जातियों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

रेलवे स्लीपरों का संभरण

†५५७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटनायक उद्योग (प्राइवेट) लिमिटेड भुवनेश्वर उड़ीसा को रेलवे स्लीपरों के संभरण के लिये कोई आर्डर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इस फर्म को कितनी कीमत के स्लीपर संभरित करने के आर्डर दिये गये;

(ग) क्या यह सच है कि इस फर्म द्वारा संभरित किये गये स्लीपर त्रुटिपूर्ण साबित हुए; और

(घ) क्या उन स्लीपरों को रेलवे प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत करवाने के प्रयत्न किये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ६ लाख ।

(ग) जी नहीं । तथापि कटक में प्राप्त हुए एक किश्त के स्लीपरों का वजन कम था । इन का उपयोग नहीं किया गया उन के निपटारे का प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

"राजस्थान फीडर" नहर

†५५८. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "राजस्थान फीडर" (सहायक नहर) के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी लागत लगी है ;

(ग) उक्त फीडर से कितने क्षेत्र को सिंचाई की जायेगी; और

(घ) राजस्थान के नहरों की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है तथा उस के कितने अंश का उपयोग किया जा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). राजस्थान फीडर, राजस्थान नहर की उस शाखा का नाम है जो कि हरिके हैड वर्क्स से आरम्भ हो कर १३४ मील पर समाप्त होती है। इस नहर का उद्देश्य सिंचाई करना नहीं है। तथापि इस का उद्देश्य राजस्थान नहर को पानी पहुंचाना है जो कि १३४ मील से आरम्भ होती है। यद्यपि इस नहर के निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है, तथापि इसके अन्तिम भाग को सरहिंद फीडर से

---

†मूल अंग्रेजी में

पानी ला कर मुख्य राजस्थान नहर में पानी डालने में किया जाता है जिस से उस का उपयोग नौरंग देसार विभाजक नहर के द्वारा किया जायेगा। इस विभाजक नहर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है तथा उस में ११ अक्तूबर १९६१ से पानी छोड़ा गया। आशा की जाती है कि इससे २६७०० एकड़ भूमि को सिंचाई होगी। पूरी तरह तैयार होने पर इस से प्रति वर्ष ३६.२९ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई हो जायेगी।

राजस्थान नहर परियोजना में, जिस में राजस्थान फीडर भी शामिल है, अक्तूबर १९६१ के अन्त तक १४.३० करोड़ रुपये व्यय किये गये।

सहकारी कृषि समितियां

†५५९. **श्रीमती मैमून सुल्तान :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २ अक्तूबर, १९६१ तक देश में कई सहकारी कृषि समितियां स्थापित हुईं;

(ख) यदि हां, ये समितियां विभिन्न राज्यों में किस प्रकार वितरित हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में पृथक से इन समितियों के अधीन कितना क्षेत्र आता है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५]**

दिल्ली में रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुल

†५६०. **श्री बलराज मधोक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने रेलवे फाटक हैं;

(ख) कितने फाटकों पर ऊपरी पुल बनाये गये हैं;

(ग) कितने फाटकों पर ऊपरी पुल बनाने का विचार है; और

(घ) क्या पटेल नगर में पटेल मार्ग पर ऊपरी पुल बनाने की कोई योजना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) दिल्ली राज्य में इस समय ४१ सम-पार (लेबल क्रासिंग) हैं।

(ख) चार, जिन में से एक ऊपरी पुल यातायात के लिये खोल दिया गया है। बाकी तीन के लिये सड़क अधिकारियों द्वारा पहुंच-मार्ग (रोड ऐप्रोचेज) बनाये जा रहे हैं।

(ग) रेलवे लाइन के ऊपर या नीचे पुल बनाने का काम रेल प्रशासन उसी हालत में अपने हाथ में लेते हैं जब वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य सरकार या सम्बन्धित सड़क अधिकारी उस काम पर अपने हिस्से की लागत अदा करने की रजामंदी दे देते हैं। दिल्ली क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिये इस तरह के काम के लिये अभी तक दिल्ली प्रशासन या नगरपालिका अधिकारियों की ओर से कोई योजना नहीं मिली है।

(घ) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में शटल गाड़ी का समय बदलना

५६१. **श्री बलराज मधोक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के सरोजनीनगर तथा नेताजीनगर के रहने वाले लोग कई बार वहां से प्रातः चलने वाली शटल गाड़ी का समय बदलने की मांग कर चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या पग उठाये हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). १. डी० के० एस० डाउन शटल को सरोजनी नगर से कुछ देर बाद चलाने के बारे में कुछ प्रतिवेदन आये हैं। परिचालन की दृष्टि से इस सुझाव पर अमल करना अभी संभव नहीं है ।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अस्थायी कर्मचारी

†५६२. **श्री तंगामणि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ५ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० के उत्तर के सम्बन्ध में जो कि ३१ मई, १९६१ को उन के मंत्रालय में विभिन्न वर्गों के अस्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में है; यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का विवरण जिन की सेवावधि १० से १५ वर्ष तक की हो चुकी है, लेकिन जो अभी तक अस्थायी हैं;

(ख) उन्हें स्थायी न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन को स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ऐसे ४३ कर्मचारी हैं ३४ केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में ७ गंगा जल निकास (डिस्चार्ज) खंड में और २ गंगा बांध जांच खंड में।

(ख) और (ग). उन्हें स्थायी बनाना अभी तक इस कारण संभव नहीं हुआ क्योंकि अभी तक पदों की काफी बड़ी संख्या अस्थायी है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में जांच विभाग अस्थायी संगठन हैं। समस्त अस्थायी पदों को स्थायी बनाने के उद्देश्य से उन का वार्षिक पुनरीक्षण किया जा रहा है। अन्य ९ कर्मचारी जो कि इस के पूर्व अस्थायी संगठनों में काम करते थे, वे ऐसे संगठनों में काम कर रहे हैं जिन्हें केवल अस्थायी आधार पर मंजूरी मिली है इन संगठनों को स्थायी बनाने के पश्चात् ही इन कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न पैदा होता है।

ब्रज में ब्रज यात्रा

†५६३. **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ब्रज की ब्रज यात्रा के वार्षिक विवरण मौजूद हैं;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि विभिन्न राज्यों की जनता इस ब्रज यात्रा में भाग लेती है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि सड़कों की कमी के कारण यात्रियों को तकलीफ होती है और शिविर के स्थानों की भली भांति देख भाल नहीं की जाती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार सड़कों के सुधार और शिविर स्थानों के प्रबन्ध के लिये कुछ कार्यवाही करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). ब्रज भारतीय यात्रियों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। योजना आयोग द्वारा दूसरी और तीसरी परियोजनाओं में अपनाये गये सिद्धान्तों के अनुसार ऐसे स्थानों में पर्यटकों की सुविधाओं का दायित्व राज्य सरकार का माना गया है।

उत्तर प्रदेश की सरकार को ज्ञात है कि ब्रज में भारत के सभी राज्यों के तीर्थ यात्री आते हैं। वे ब्रज यात्रा में शामिल होने वाले पर्यटकों के आंकड़े नहीं रखते हैं।

(ख) यात्रा के सम्बन्ध में अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) ब्रज यात्रा के महत्व को समझते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उपलब्ध राशि को ध्यान में रख कर अच्छी सड़कों तथा उपयुक्त शिविर स्थानों जिन में जल संभरण व टट्टी इत्यादि की सुविधायें हों की व्यवस्था करने का विचार कर रही है।

कोयले के स्थान पर भट्ठी के तेल का उपयोग

†**५६४. श्री मुरारका** : क्या रेलवे मंत्री ६ सितम्बर, १९६१ के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले के स्थान पर भट्टी के तेल के उपयोग की व्यावहारिकता पर विचार किया है; और

(ख) इस मामले में क्या निश्चय किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां।

(ख) जहां तक रेलवे का संबंध है किसी भी इंजिन को भट्टी के तेल के उपयोग के लिये तब्दील नहीं किया जायेगा। अन्य उद्योगों के लिये कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है। यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

टेलीफोन

†**५६५. श्री कोडियान** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीफोनों की वर्तमान मांग क्या है; और

(ख) इस समय देश में कितने टेलीफोनों का उत्पादन होता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में टेलीफोनों की पंजीयित मांग २ लाख थी, किन्तु वास्तविक मांग इस से कहीं अधिक है। इस के अतिरिक्त तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५ लाख टेलीफोनों की मांग बढ़ेगी।

(ख) तीसरी योजना के दौरान प्रति वर्ष लगभग ६०,००० टेलीफोनों की व्यवस्था की जायेगी। यद्यपि कारखाने में प्रति वर्ष १ लाख से अधिक टेलीफोन बनते हैं, अवशेष टेलीफोन बदलने या डाक तथा तार विभाग के अतिरिक्त अन्य पक्षों के उपयोग में आते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कुष्ठ नियंत्रण

†५६६. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में कुष्ठ पीड़ित व्यक्तियों की पृथक संख्या क्या है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में कुष्ठ निरोधी केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) आगामी वर्ष में प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने केन्द्र खोले जायेंगे और उन पर कितना व्यय होगा;

(घ) क्या सरकार द्वारा कुष्ठ कार्यक्रम पर कोई सलाहकार समिति नियुक्त की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उस का गठन और कार्य किस प्रकार का है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** :(क) देश में कुष्ठ पीड़ितों की संख्या लगभग २० लाख है। सर्वेक्षण के पूर्ण आंकड़ों के उपलब्ध न होने के कारण प्रत्येक राज्य में कुष्ठ पीड़ितों की वास्तविक संख्या देना संभव नहीं है ।

(ख) द्वितीय योजना की अवधि के अन्त तक राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण योजना के अधीन १३७ कुष्ठ नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना की गई। इन केन्द्रों का राज्य वार वितरण इस प्रकार है :—

१. आंध्र प्रदेश	१५
२. आसाम	१
३. बिहार	१८
४. गुजरात	३
५. हिमाचल प्रदेश	३
६. केरल	४
७. मध्य प्रदेश	५
८. मद्रास	१४
९. महाराष्ट्र	२२
१०. मनीपुर	३
११. मैसूर	१०
१२. उड़ीसा	१५
१३. पंजाब	२
१४. उत्तर प्रदेश	९
१५. पश्चिम बंगाल	१३

†मूल अंग्रेजी में

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में ५० नियंत्रक एकक स्थापित किये जायेंगे । ५० केन्द्र इस प्रकार से वितरित हैं :—

राज्य	एककों की संख्या
आंध्र प्रदेश	५
आसाम	१
बिहार	३
महाराष्ट्र	३
केरल	१
मध्य प्रदेश	१
मद्रास	६
मैसूर	१
उड़ीसा	२
उत्तर प्रदेश	२
पश्चिमी बंगाल	५
योग	३०
	२० (अनामांकित)
महायोग	५०

(घ) जी हां । सरकार द्वारा एक कुष्ठ सलाहकार समिति स्थापित की गई है ।

(ङ) कुष्ठ सलाहकार समिति का गठन इस प्रकार हुआ है :—

स्वास्थ्य मंत्री—अध्यक्ष

सदस्य : कुष्ठ संबंधी कार्य करने वाली प्रमुख संगठनों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि :—

(१) हिन्द कुष्ठ निवारण संघ,
रेडक्रास रोड, नई दिल्ली ।

(२) भारत में कुष्ठ मिशन ।

(३) महारोगी सेवा मंडल,
दातापुर कुष्ठ कालोनी, जिला वरधा ।

(४) गांधी स्मारक कुष्ठ प्रतिष्ठान, वरधा

(५) गांधी स्मारक निधि राजघाट, दिल्ली

(६) राम कृष्ण मिशन, हावड़ा

(७) वैलिंगयन कुष्ठ केन्द्र, जिला चिंगलपट, मद्रास
(इस संस्था को तदुपरान्त मद्रास सरकार द्वारा ले लिया गया है अतः इस संस्था का कोई प्रतिनिधि अब इस समिति का सदस्य नहीं है).

(८) विदर्भ महारोगी सेवा मंडल,
जगदम्बा कुष्ठ धाम, तपोवन, अमरावती।

(९) सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय

(१०) उपसचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय

(११) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक

(१२) उपमहानिदेशक (पी० एच०)
अथवा सहायक महानिदेशक (पी० एच०) स्वास्थ्य सेवायें।

(१३) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्

राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को समिति की बैठकों में प्रेक्षकों के रूप में निमंत्रित किया जाता है :

समिति के कृत्य इस प्रकार हैं :—

(१) देश के विभिन्न भागों में कुष्ठ नियंत्रण योजना के कार्य का पुनरीक्षण

(२) वर्तमान योजनाओं के सुधार के लिये तरकीबें, सुझाना

(३) स्वेच्छा संस्थाओं द्वारा कुष्ठ कार्य के लिये अनुदान की प्रार्थनाओं पर विचार करना तथा सरकार को सिफारिश करना

(४) समिति के आवश्यक समझने पर उस के सदस्य कुष्ठ कार्य करने वाली संस्थाओं और संगठनों में जा कर निरीक्षण कर सकते हैं और उन के कार्य पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

परिवहन विकास परिषद्

†५६७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर में परिवहन विकास परिषद् का अधिवेशन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) परिषद् ने उस अधिवेशन में क्या निष्कर्ष निकाले और कौन कौन सी सिफारिशें कीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) बैठक की कार्यावलि की एक प्रति संलग्न की जाती है। (अनुबन्ध १)

(ग) सूचना का एक विवरण संलग्न किया जाता है। (अनुबंध २) **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६]**

स्टाल्स में भोजनादि की व्यवस्था करने वाले ठेकदारों के फोटो

†५६८. **श्री व० ईयाचरण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजनादि की व्यवस्था करने वाले निजी ठेकेदारों को जो अनुज्ञप्ति दी जाती है उस की एक शर्त यह भी है कि वे भोजन गृहों और रेलवे इमारतों के अन्य स्थानों पर अपने फोटों लगायें; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोणार्क में विमान-पट्टी

†५६९. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिये उड़ीसा के कोणार्क स्थान पर एक विमान-पट्टी के निर्माण को मंजूरी दे दी है;

(ख) इसके लिये कितनी धन राशि मंजूर की गई है; और

(ग) निर्माण कब तक पूरा करने का विचार है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) उसके लिये एक उपयुक्त स्थान चुना जा रहा है। क्षेत्र के उचित सर्वेक्षण के बाद ही प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलोर

†५७०. **श्री अगाड़ी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर की क्षमता को विस्तारित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां तो विस्तार के बाद उसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी और प्रस्तावित विस्तार-योजना पर अनुमित व्यय कितना होगा; और

(ग) क्या विस्तार-योजना के लिये और अधिक पूंजी दरकार होगी या उद्योग अपने ही संसाधनों के बल पर वह व्यय पूरा कर लेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) जी, हां।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में और उसकी समाप्ति पर इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड की अनुमित उपादन-क्षमता इस प्रकार होगी :—

	१९६०—६१ (वास्तविक)	१९६५—६६ (अनुमित)
१. टेलीफोन्स	१,१४,०१४	१,८०,०००
२. एक्सचेंजलाइन (नामिनल) . . .	७४,२६५	१,३६,०००
३. दूरस्थ ट्रांसमिशन उपकरण . . .	६६.११ लाख रुपये के उपकरण	२६० लाख रुपये के उपकरण

समवाय के विकास-कार्यक्रम का तृतीय योजना के दौरान अनुमित व्यय २८० लाख रुपये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) समवाय को क्रमिक आधार पर २३० लाख रुपये के ऋण की आवश्यकता है, जो समवाय अपने ही संसाधनों के बल पर १९७१-७२ तक पूरा-पूरा अदा कर देगा ।

उड़ीसा में हरिदासपुर—मारसा धाई रोड

†५७१. **श्री बं० च० मलिक:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने हरिदासपुर से मारसाधाई तक एक परीक्षण के रूप में सहायक सड़क के निर्माण के लिये भारत सरकार से ३ करोड़ पये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हा, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) राज्य सरकार ने सड़क की अनुमित लागत कितनी बताई है ; और

(घ) क्या प्रस्तावित सड़क की रूपरेखा का एक नक्शा सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) से (ग). माननीय सदस्य शायद उड़ीसा के मुख्य मंत्री द्वारा रखे गये उस प्रस्ताव का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने उड़ीसा के कटक ज़िले के हरिदासपुर-मारसाधाई क्षेत्र में धान मंडल से नुआंगांव तक सड़क के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता चाही है । इस परियोजना की अनुमित लागत ६.८६ करोड़ रुपये होगी । प्रस्ताव में वित्तीय सहायता के लिये किसी निश्चित राशि का उल्लेख नहीं किया गया है । भारत सरकार ने परियोजना की परीक्षा करने की दृष्टि से उड़ीसा सरकार से उसके बारे में कुछ और ही प्राविधिक ब्योरा मांगा है । वह अभी तक नहीं आया है ।

(घ) प्रस्तावित सड़क की रूपरेखा का नक्शा संसद्-पुस्तकालय में रख दिया गया है ।

देतारी खानों से परादीप पत्तन तक रेलवे लाइन

†५७२. **डा० सामन्त सिहार** : क्या **रेलवे** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने देतारी खानों से परादीप पत्तन तक एक नयी रेलवे लाइन के निर्माण के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) सरकार ने उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है और उसकी अनुमित लागत कितनी होगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सों० वें० रामस्वामी):** (क) उड़ीसा सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के ैरान जिन विभिन्न ला नों के निर्माण की सिफारिश की है उनमें टोमका हिल्स से हावड़ा-मद्रास मेन लाइन तक एक ला न और नैरगुण्डी से परा ीप तक एक लाइन को सम्मिलित कर लिया गया है ।

(ख) सुकिण्डा क्षेत्र में खड़गपुर-कटक मेन लाइन से टोमका तक संयोजक-लाइन की लागत लगभग ।ई करोड़ प े होगी, और उसे देतारी तक विस्तारित करने पर ४.३२ करोड़ रुपये और खर्च हो जा ेंगे । नैरगुण्डी से परादीप तक की रेलवे लाइन पर लगभग ७ करोड़ पये खर्च होंगे । सुकिण्डा/देतारी खान क्षेत्र से खड़गपुर-कटक मेन लाइन के जंकशन तक एक संयोजक रेल-लाइन को तृतीय पंच वर्षीय योजना के रेलवे-कार्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार किया जा रहा है । नैरगुण्डी-परादीप लाइन तृतीय योजना में सम्मिलित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रात्रि विमान डाक सेवा

†५७३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६१ के दौरान रात्रि विमान डाक सेवा का विमान कितनी बार निश्चित समय से देर में चला या बाद में पहुंचा और हर बार वह कितनी देर से चलाया/पहुंचा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** मांगी गई सूचना का अगस्त १९६१ तक का ब्यौरे वार विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

आधे घंटे से कम देरी का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

[देखिये परिशिष्ट, १ अनुबन्ध संख्या ६७ ।]

रेलवे दुर्घटनाओं के शिकार बनने वालों को प्रतिकर की अदायगी

†५७४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे दुर्घटनाओं के २१ विचाराधीन मामलों में प्रतिकर की अदायगी के बारे में आगे क्या प्रगति हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** शेष २१ मामलों में से ११ का निबटारा हो चुका है और १० निबटारे की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं ?

खाद्यान्नों का आयात

†५७५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ से ३१ अक्टूबर, १९६१ तक कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का अयात हुआ ; और,

(ख) उन करारों का ब्यौरा, जिनके अन्तर्गत आयात हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) लगभग ३,०१५ हजार मैट्रिक टन।

(ख) आयात निम्नलिखित करारों के अ तर्गत किये गये थे :—

पण्य	निर्यात करने वाला देश	करार
गेंहूं	अमरीका	(१) पी० एल० ४८०, सितम्बर, १९५८ का
		(२) पी० एल० ४८०, नवम्बर, १९५९ का
		(३) पी० एल० ४८०, मई, १९६० का
		(४) मैंगनीज/गेहू वस्तु विनिमय मार्च १९५९ का
	कनाडा	कोलम्बो योजना सहायता १९६०–६१
	आस्ट्रेलिया	१९६० और १९६१ के विभिन्न समझौते
चावल	बर्मा	(१) १९६० संविदा
		(२) १९६१ संविदा
	अमरीका	पी० एल० ४८०, मई १९६० का
	संयुक्त अरब गणराज्य	फरवरी, १९६१ का करार
लाल जुआर	अमरीका	पी० एल० ४८०, सितम्बर, १९६० का

†मूल अंग्रेजी में

देश में चावल के मूल्य और स्टाक

†५७६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चावल के मूल्यों और भंडारों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या १९६१–६२ में अभी तक चावल का आयात किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) नवम्बर, १९६१ के दूसरे सप्ताह के दौरान चावल के थोक मूल्यों का अखिल भारतीय देशनांक (१९५२–५३ को १०० का आधार मानकर) १०७ था, जब कि अक्टूबर में १०८ और सितम्बर में ११० था ।

हालांकि व्यापारियों और कृषकों द्वारा रखे गये चावल के स्टाकों के बारे में ठीक-ठीक सूचना प्राप्त नहीं है, फिर भी लगता है कि स्टाक की स्थिति संतोषप्रद है। ५-११-६१ को सरकारी स्टाक इस प्रकार था :—

केन्द्रीय सरकार	७.०८ लाख मैट्रिक टन
राज्य सरकारें	२.४८ लाख मैट्रिक टन
कुल	९·५६ लाख मैट्रिक टन

(ख) और (ग). वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के दौरान ३१ अक्टूबर, १९६१ तक विदेशों से आने वाले चावल की वास्तविक मात्रा लगभग २·४६ लाख मैट्रिक टन थी ।

देश में गेहूं के मुल्य और स्टाक

†५७७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गेहूं के मूल्य और स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) १९६१–६२ में अभी तक अन्य देशों से कितना गेहूं आयात किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) व्यापारियों और कृषकों के गेहूं के स्टॉकों के बारे में कोई विश्वस्त सूचना सुलभ नहीं है, लेकिन केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास ४ नवम्बर, १९६१ को निम्नलिखित स्टॉक थे :—

केन्द्रीय सरकार	१६·६६ लाख मैट्रिक टन
राज्य सरकारें	१·९६ लाख मैट्रिक टन
कुल	१८·६२ लाख मैट्रिक टन

यह काल गेहूं की तेजी का काल है। फिर भी गेहूं के मूल्य अधिक ऊंचे नहीं हुए हैं । अक्टूबर, १९६१ में गेहू के थोक मल्यों का देशनांक ८९·४ था, जब कि पिछले वर्ष इसी महीने में वह ९०·२ था।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में, अक्टूबर के अन्त तक विदेशों से १७.२५ लाख टन गेहूं आयात किया गया था ।

पंजाब में दुग्ध कारखाने

†५७८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार पंजाब म एक दुग्ध कारखाना चालू करने के लिये पंजाब को कोई वित्तीय सहायता दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

"दुग्ध कारखाने" से तात्पर्य शायद दुग्ध उत्पाद कारखाने से है . अमृतसर शहर को दुग्ध संभरण करने और मक्खन, घी तथा दुग्ध चर्ण तैयार करने वाले एक मिले जुले कारखाने की स्थापना अमृतसर के निकट वेरका में की जा रही है । कारखाना लगभग २,५०० मन दुग्ध का संभरण प्रतिदिन करेगा, जो सरकारी समितियों और पट्टी. मेहता तथा फतेहगढ़ चूड़ियान में स्थापित किये जाने वाले दुग्ध जमाने के तीन केन्द्रों से प्राप्त किया जायेगा ।

योजना पर कुल अनुमित पूंजी लागत ४१·५० लाख रुपये की होगी, जिसमें से लगभग ३६.८० लाख पये खर्च किये जा चुके हैं ।

बम्बई, दिल्ली–चण्डीगढ़ के बीच रेडियो–टेलीफोन सम्बन्ध

†५७९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बम्बई, दिल्ली और चण्डीगढ़ के बीच रेडियो टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस लागत से ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० पा० सुब्बरायन) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं हो ा ।

ट्रेनों में डकैतियां

†५८०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जनवरी से ३१ अक्टूबर, १९६१ तक चलती ट्रेनों में होने वाली डकैतियों के सभी मामलों की जांच की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उपपत्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार और दण्डित किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) से (ग). अपेक्षित सूचना संग्रह की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

†५८१. **सरदार इकबाल सिंह** :क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से फिरोजपुर तक रेलवे लाइन के विद्युतीकरण को योजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

फिरोजपुर में फलों को टीन के डिब्बों में बंद करने का कारखाना

†५८२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने फिरोज़पुर ज़िले में फलों को टीन के डिब्बों में बन्द करने के कारखाने की अनुज्ञप्ति के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या फलों को टीन के डिब्बों में बन्द करने का कारखाना निजी क्षेत्र में रखने का विचार है ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मोती बाग–२ नई दिल्ली में डाक तार घर

५८३. **श्री बलराज मधोक**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोतीबाग-२ नई दिल्ली में अभी तक न डाक घर है, न तार घर है और न ही सार्वजनिक टेलीफोन घर है ; और

(ख) ये सुविधायें उस बस्ती में कब तक दी जायेंगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक सार्वजनिक टेलीफोन घर तो वहां मौजूद है, लेकिन डाक घर व तार घर नहीं है ।

(ख) डाक व तार घर बनाने के लिए ज़मीन प्राप्त करने के प्रश्न पर निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय से बातचीत चल रही है और उपयुक्त स्थान उपलब्ध होते ही आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाएगी ।

रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा एक टिकट कलैक्टर के साथ हाथापाई

†५८४. **श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब्ज़ी मण्डी रेलवे स्टेशन पर एक टिकट कलैक्टर द्वारा टिकट मांगे जाने पर एक रेलवे मजिस्ट्रेट ने टिकट कलैक्टर के साथ हाथापाई की;

(ख) यदि हां, तो क्या सब्जी मण्डी रेलवे स्टेशन पर पुलिस बुलायी गई थी;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि हां, घटना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उस मामले की जांच की गई; और

(ङ) मामले में क्या निर्णय किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) रेलवे मैजिस्ट्रेट और टिकट कलैक्टर के बीच कुछ कहा सुनी हुई थी, क्योंकि टिकट कलैक्टर इस पर जोर दे रहा था कि गेट से निकलने से पहले वह टिकट दिखा दे ।

(घ) और (ङ). मामले की विभागीय जांच हो रही है ।

त्रिपुरा में सिंचाई निर्माण-कार्य

†५८५. **श्री बाँगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान और अभी तक सिंचाई निर्माण-कार्यों के लिये कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ख) अभी तक कितनी राशि व्यय हुई और किन क्षेत्रों पर; और अलग-अलग किन सब-डिवीज़नों में सिंचाई निर्माण-कार्य सम्पन्न किया गया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये १५.२९ लाख रुपये ।

(ख) अनुमित व्यय ६ लाख रुपये है । अलग-अलग सब-डिवीज़नों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । सूचना संग्रह की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र में चीनी के कारखाने

†५८६. **श्री तंगामणि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै रामनद वाणिज्य परिषद् ने महाराष्ट्र और दक्षिण भारत राज्यों में और चीनी फैक्टरियां प्रारम्भ करने एवं चीनी की कीमतों के सम्बन्ध में ४ अक्टूबर, १९६१ को मदुरै में मंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या प्रस्ताव है;

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में ऐसी कितनी फैक्टरियां खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) २७ सितम्बर, १९६१ के पश्चात् आंशिक विनियंत्रण करने के पश्चात् चीनी की मौजूदा कीमत क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) चीनी की कीमत का जहां तक सम्बन्ध है, २८ सितम्बर, १९६१ से नियंत्रण उठा लिया गया है । उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप चीनी उद्योग में उत्पादन के लिये और लाइसेंस देने का कार्य अभी रोक दिया गया है ।

(ग) तृतीय पंच वर्षीय योजना में निर्धारित लाइसेंस के लिये १९ फैक्टरियों में १७ फैक्टरियां महाराष्ट्र तथा अन्य दक्षिण भारत के राज्यों में हैं । द्वितीय योजना में जो ८ फैक्टरियों के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

लाइसेंस देने थे वह भी उपरोक्त फैक्टरियों के अतिरिक्त तीसरी योजना अवधि में ही स्थापित की जायेंगी ।

(घ) ११ नवम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले सप्ताह में कानपुर, बम्बई और मद्रास के बाजारों में थोक बिक्री की औसत कीमतें क्रमश: ३८.७६ रुपये, ४१.०६ रुपये और ४२.४२ रुपये प्रति मन है ।

कैंसर

†५८७. **श्री तंगामणि** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल की रिसर्च के परिणामस्वरूप सोवियत डाक्टरों ने कैंसर के इलाज के लिये निश्चित औषधि की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस का हमारे अस्पतालों में उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) क्या कैंसर के अनेक रोगियों ने इस विषय में सरकार को लिखा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) सरकार के पास इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) जी नहीं ।

मद्रास के दक्षिणी जिलों में रेल की समस्यायें

†५८८. **श्री तंगामणि** : क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ अक्टूबर, १९६१ को उपमंत्री की मदुरै की यात्रा के अवसर पर मदुरै रामनद वाणिज्य परिषद् ने उन्हें मद्रास राज्य के दक्षिणी जिलों में रेलवे सम्बन्धी समस्याओं के बारे में एक अभ्यावेदन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सैलम-बंगलौर लाइन करूर होती हुई डिंडीगल तक बढ़ा दी जायेगी; और

(घ) मदुरै के माल को कुछ अंश में पूर्वी मदुरै की ओर भेजने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में वर्णित विभिन्न सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) यह प्रस्ताव तृतीय पंचवर्षीय योजना के रेलवे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है ।

(घ) मदुरै–पूर्व स्टेशन आजकल माल के लिये खुला फ्लैग स्टेशन मात्र है—वह भी केवल थोड़े अंश के लिये—वैगन भरे सामान के लिये नहीं है । उस स्टेशन को क्रासिंग स्टेशन में बदलने और वैगन भार माल यातायात की सुविधा के प्रश्न पर विचार किया गया था किन्तु वह वित्तीय दृष्टि से औचित्य संगत प्रतीत नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी म

चावल की ढुलाई के लिये रेल डिब्बे

५८९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में, जो ५ नवम्बर, १९६१ को हुआ था, सर्वसम्मति से मांग की है कि भारत सरकार चावल की ढुलाई के लिये पर्याप्त माल गाड़ी के डिब्बों का प्रबन्ध करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). ५ नवम्बर, १९६१ को महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसके बारे में इस मंत्रालय को पता नहीं था लेकिन उस सम्मेलन की कार्यवाही का उद्धरण खाद्य और कृषि मंत्रालय से मंगाया गया है ।

सम्मेलन की कार्यवाही में यह बताया गया कि १९६२ में, व्यापारियों द्वारा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात को करीब तीन लाख टन फालतू चावल भेजे जाने का अनुमान है और इसके लिए १२ महीने में बड़ी लाइन के लगभग १५,००० माल-डिब्बों की जरूरत होगी । इसलिए यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश की मंडियों में आने वाले धान की मात्रा और उसकी कुटाई और गोदामों में रखने की क्षमता को ध्यान में रख कर रेलवे से प्रति मास चावल भेजने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाय । सम्मेलन ने सिफारिश की कि मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह पिछले अनुभव के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात सरकार की सलाह से चावल भेजने के लिए माल-डिब्बों की सप्लाई के लिए मासिक कार्यक्रम बनाये और तीनों राज्यों की ओर से उसे रेलवे बोर्ड को भेजे । यह कार्यक्रम अभी तक नहीं मिला है । माल भेजने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से जब कार्यक्रम मिलेगा, तो रेलवे बोर्ड उस पर उपयुक्त कार्रवाई करेगा ।

पटना में कांग्रेस अधिवेशन के लिये परिवहन व्यवस्था

५९०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटना के कांग्रेस अधिवेशन में यात्रियों के परिवहन और पर्यटकों के लिये सुविधा निमित्त रेलवे विभाग ने क्या प्रबन्ध किया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): इस बात को देखते हुए कि कितने सवारी डिब्बे और इंजन मिल सकते हैं, गाड़ियों में कितने डिब्बे लगाये जा सकते हैं, लाइन की क्षमता क्या है और दूसरे साधन कहां तक उपलब्ध हैं और साथ ही माल यातायात की आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखते हुए अतिरिक्त यातायात के परिवहन की व्यवस्था की जायेगी और इस सम्बन्ध में पटना स्टेशन पर आवश्यक सुविधायें दी जायेंगी ।

अमरीकी गेहूं

५९१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन मास में कितने अमरीकी गेहूं का आयात किया गया तथा राज्यों को इसी समय के बीच कितना दिया गया; और

(ख) क्या इस समय देश में गेहूं की मांग कम हो गयी है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, १९६१, इन गत तीन महीनों में लगभग ५.८५ लाख मीट्रिक टन अमरीकी गेहूं का आयात किया गया था। राज्यों को दिये गये आयातित अमरीकी गेहूं के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु इसी अवधि में राज्यों को दी जाने वाली आयातित गेहूं की कुल मात्रा ६.९४ लाख मीट्रिक टन थी।

(ख) इस वर्ष गेहूं की अच्छी फसल होने के कारण आयातित गेहूं की मांग गत वर्ष की अपेक्षा कुछ हद तक कम है।

बम्बई–नागपुर एक्सप्रेस में स्लीपर कोच

†५९२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९६० में मध्य रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी ने यह आश्वासन दिया था कि बम्बई-नागपुर एक्सप्रेस में स्लीपर कोच लगा दी जायेगी किन्तु विगत एक वर्ष से कुछ भी नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) और (ख). मध्य रेलवे से यह मालूम हुआ है कि जनसम्पर्क अधिकारी ने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया था। बम्बई-नागपुर एक्सप्रेस में स्लीपर कोच जारी करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

मध्य प्रदेश में अफ्रीकन अश्व रोग

†५९३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीकन अश्य रोग मध्य प्रदेश के लगभग सब जिलों को प्रभावित कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). मध्य प्रदेश के ४३ जिलों में ३० जिले अफ्रीकन अश्व रोग से ग्रस्त हैं और जो २,५९७ घोड़े इस रोग से पीड़ित थे उनमें से २,४८९ मर चुके हैं। गत वर्ष की अपेक्षा बीमारी का अनुपात कम है गत वर्ष ३७ जिले इससे प्रभावित थे और बीमारी से ग्रस्त ८,२६८ में से ७,३३६ घोड़े मर गये थे। यह स्थिति २८ अगस्त से ३१ दिसम्बर, १९६० के बीच थी।

अक्टूबर, १९६० में राज्य सरकार ने अफ्रीकन अश्व रोग अधिनियम पास किया जिसके अधीन पशुपालन के डिपुटी डाइरेक्टरों को रोगग्रस्त क्षेत्रों के बारे में अधिसूचनाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इस अधिनियम के अन्तर्गत रोगग्रस्त क्षेत्रों से पशुओं का रोगरहित क्षेत्र में आगमन निषिद्ध है। बाजारों में और मेलों में घोड़ों का इकट्ठा होना तथा बीमार घोड़ों की खरीद फरोख्त भी बन्द कर दी गई है। जिन स्थानों में बीमारी फैली है वहां स्वच्छता के लिये कठोर उपाय किये जा रहे हैं और मृत घोड़ों की लाशों की समुचित व्यवस्था की जा रही है ताकि आगे बीमारी न फैलने पाये। राज्य सरकार ने भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा इंस्टीट्यूट में अश्व रोग के टीकों की ४४,३६८ डोज अभी तक ले ली हैं जो टीके के प्रयोजनार्थ बांटी जायेंगी। इस आन्दोलन में राज्य सरकार की सहायता करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक रुपया प्रति डोज

†मूल अंग्रेजी में

की टीके की खरीद को ५० प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है किन्तु वह इस शर्त के साथ है कि राज्य सरकार टीके लगाने की निःशुल्क व्यवस्था करे ।

ताजा खबरों के अनुसार, यह रोग अब मध्य प्रदेश में कम हो रहा है ।

धान मंडल स्टेशन

†५९४. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के धान माण्डल स्टेशन के वेटिंग हाल में बिजली की व्यवस्था न होन से दूर-दूर के स्थानों से आये मुसाफिरों को वहां रात में ठहरने में कठिनाई होती है;

(ख) क्या इस स्टेशन पर बिजली लगाने का प्रस्ताव है क्योंकि पास में ही बिजली उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह कब कार्यान्वित होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) काम पहले ही प्रगति पर है और शीघ्र ही पूरा होन की आशा है ।

कृष्णा नदी पुल के पास बांध

†५९५. **श्री अगाड़ी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३१ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में दक्षिण रेलवे के शोलापुर-हुबली सैक्शन पर अलिमत्ती और सीथिमनी के बीच कृष्णा नदी पुल के निकट एक जलाशय बांध के निर्माण के प्रश्न पर उपरोक्त रेलवे पुल पर शहतीर लगाने के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग के साथ परामर्श किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) मैसूर सरकार द्वारा प्रस्तावित अपर कृष्णा परियोजना का केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

मसूर राज्य में नल-कूप योजना

†५९६. **श्री अगाड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री मैसूर राज्य में नलकूप योजना के बारे में ८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के रायचूर जिले में विस्तृत भूगर्भ सर्वेक्षण कार्य का प्राथमिक वैज्ञानिक अंकन पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां ।

(ख) वहां सतह की बनावट इस प्रकार है कि उसमें जमीन के नीचे पानी के संयंत्र के लिये वृहद् निर्माणगत नियन्त्रण की कमी है । अतः यह क्षेत्र गहरे नलकूपों के लिये उपयुक्त नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंचायतों के चुनाव

†५९७. **श्री कालिका सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री पंचायतों के चुनाव के बारे में २४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त एवं अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों के चुनावों के बारे में मन्त्रालय के पास और क्या जानकारी है ;

(ख) क्या किसी भी राज्य में राजनैतिक दलों ने पंचायतों के चुनावों में भाग नहीं लिया; और

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सदृश कुछ राज्यों में जिला परिषदों अथवा जिला कौंसिलों के सभापति राजनैतिक दल के आधार पर निर्वाचित किये गये थे ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) २४ अगस्त, १९६१ को अतारांकित प्रश्न संख्या २२५१ के उत्तर के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के अतिरिक्त जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी जाती है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से संग्रहीत जानकारी प्राप्त होने पर लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी । **[देखिये परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ६८ ।]**

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिन के लिये मैंने अनुमति नहीं दी थी । परन्तु कुछ सदस्यों न आपत्ति उठाई है । मेरा उनसे अनुरोध है कि वे मेरे कमरे में आकर मुझ से बातचीत करें, यदि मैं उनसे सहमत हो गया तो मैं अवश्य उस प्रश्न को लूंगा किन्तु अब नहीं । फिलहाल मेरा निर्णय स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : जब किसी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी जाये, तो माननीय सदस्य को उस विषय को अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय सिद्ध करन का अवसर देना चाहिए । आप अपना निर्णय उस के बाद दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सूचना में दो तथ्य बताने चाहियें जिनके आधार पर विषय को अविलम्बीय लोक महत्व का कहा जाता है । इस मामले में मैंन तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया था ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : विमान से राज्यों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है किन्तु कलिंग एयरवेज को बम्बई से बड़ौदा तक सेवा चलाने का अधिकार दिया गया है । यह निश्चित नीति के उलट है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव का विषय प्रकट करना अनुचित है, जबकि मैंन इस की अनुमति नहीं दी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कच्चे पटसन के मूल्य

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं वाणिज्य और उद्योग मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें :

> "कलकत्ता के बाजार में कच्चे पटसन का मूल्य ३० रुपये प्रति मन नीचे गिर जाने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पटसन उगाने वालों की कठिनाइयां तथा मूल्य को सहायता देने की कार्यवाही को तत्काल आरम्भ करने की आवश्यकता।"

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : भारत सरकार पटसन के मूल्यों पर नज़र रखती है। पिछले मौसम में कच्चे पटसन की कमी के फलस्वरूप जो असाधारण स्थिति विद्यमान रही, उसके बाद चालू मौसम में पटसन के पर्याप्त संभरण की संभावना होते हुए यह आशा की जा सकती है कि भाव सामान्य स्तर पर आ जायेंगे। पटसन के भाव धीरे धीरे गिर रहे हैं। सितम्बर और अक्तूबर, १९६१ में कलकत्ता में आसामी पटसन के मूल्य ३३ से ३५·५० पये तक थे। २० नवम्बर को भाव ३० रुपये प्रति मन तक आ गये थे। पता चला है कि पटसन आयुक्त द्वारा हस्तक्षेप करने पर कुछ मिल-गुटों द्वारा बड़ी मात्रा में पटसन खरीदने की सूचना मिली है और अब भाव पहले की अपेक्षा अधिक स्थिर हैं। उसके बाद और कमी नहीं हुई।

जैसा कि मैंने २५ अगस्त, १९६१ को कहा था, भावों को अलाभप्रद स्तरों तक नहीं गिरने दिया जायेगा। सरकार ने सारी स्थिति पर सावधानी से विचार किया है और निम्नतम मूल्य निश्चित करने की बजाय, उसने भारतीय पटसन मिल संस्था को एक बड़े स्टाक की संग्रह एजेन्सी गठित करने के लिए प्रेरित किया है, जो बाज़ार से माल खरीदेगी जिस से मूल्य स्थिर किये जा सकेंगे। इस संस्था का पंजीयन होने वाला है। ऐसा होने तक स संस्था ने अपनी सदस्य मिलों से पटसन खरीदने के लिये कहा है।

मूल्यों को लाभप्रद स्तरों तक बनाये रखने के लि सब कदम उठाये जा रहे हैं। उन में से एक वायदा सौदों को नियमित करना है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा)**: सरकार को कम से कम इस मौसम के लिए निम्नतम मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए।

†**श्री कानूनगो** : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि कलकत्ता में मूल्य ३० रुपये से कम नहीं होने दिये जायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सरकारी आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: दूसरी लोक सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रि यों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक प्रति सभा पटल पर रखता

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १ — चौदहवां सत्र, १९६१

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ८ — तेरहवां सत्र, १९६१

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ९ बारहवां सत्र, १९६०

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १३ ग्यारहवां सत्र, १९६०

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १७ दसवां सत्र, १९६०

(६) अनुपूरक विवरण संख्या १८ नवां सत्र, १९५९

(७) अनुपूरक विवरण संख्या २१ आठवां सत्र, १९५९

[देखिये परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या क्रमशः ६९ से ७५ ।]

दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११९ में प्रकाशित दिल्ली विकास (सुधार कर मध्यस्थता) नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-३३३८/६१]

(२) दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २२२६ में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकार (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) विनियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-३३३९/६१]

मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ सितम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/३४/६०—ट्रांसपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हुं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३३४०/६१]**

भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा १४-क के अन्तर्गत दिनांक २८ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३०४ में प्रकाशित भारतीय विमान (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०-३३४१/६१ ।]**

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं २७ नवम्बर, १९६१ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगी :

(१) आज की कार्य-सूची में से बचे हुए किसी विषय की चर्चा ।

(२) श्री ब्रजराज सिंह और अन्य सदस्यों द्वारा सूचना दिये गये चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश, १९६१ को अस्वीकार करने सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक, १९६१ पर विचार तथा उसे पारित किया जाना ।

(४) उद्योग मंत्री द्वारा २४ नवम्बर, १९६१ को प्रस्तुत किये गये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त समिति को बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।

(५) गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(६) वर्ष १९६१–६२ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा और मतदान ।

वर्ष १९६१–६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान ।

(७) टेलीग्राफ की तारें (अनधिकृत रूप से रखना) संशोधन विधेयक, १९६१ पर विचार तथा उसे पारित किया जाना ।

भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार तथा उसे पारित किया जाना ।

(८) मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१ को २-३० म० प० बजे श्री प्र० गं० देव द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड की वर्ष १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट और कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा पर जो १० मार्च, १९६१ को सभा की पटल पर रखी गयी थी (चर्चा) ।

(९) बुधवार, २९ नवम्बर १९६१ को प्रश्नों को निबटाने के बाद श्री स० मो० बनर्जी तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाई जाने वाली पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण द्वारा कर्नल भट्टाचार्य की दोषसिद्धि और कैद करने पर चर्चा ।

(१०) शुक्रवार, १ दिसम्बर, १९६१ को प्रश्नों को निबटाने के बाद श्री राजेन्द्र सिंह तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर हाल की दुर्घटनाओं के बारे में २० नवम्बर, १९६१ को रेलवे मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा ।

आप की अनुमति से मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि इस सदन के ८ दिसम्बर को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो जाने की संभावना है, क्योंकि सरकार का कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को अधिवेशन के अन्त में पारित करने का इरादा नहीं है ।

समितियों के लिये निर्वाचन

भारतीय केन्द्रीय गरम मसाले और काजू समिति

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) के दिनांक ७ सितम्बर, १९६१ के संकल्प संख्या एफ०२७–१२/६०-ए३

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० पं० शा० देशमुख]

के पैराग्राफ ४(१३) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष **निदेश द**, भारतीय केन्द्रीय गरम मसाले और काजू समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।'

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) के दिनांक ७ सितम्बर, १९६१ के संकल्प संख्या एफ०-२७-१२/६०-ए३ के पैराग्राफ ४(१३) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष **निदेश दें**, भारतीय केन्द्रीय गरम मसाले और काजू समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम २४ नवम्बर १९६१ को श्री हुमायूंन् कबिर द्वारा प्रस्तावित निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेंगे :

"कि कतिपय प्रौद्योगिकीय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने और तत्सम्बन्धी तथा भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर सम्बन्धी कतिपय विषयों के बारे में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : देश के अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक संख्या में टेकनिकल स्नातक शिक्षित करें।

इन संस्थाओं के लिये केन्द्रीय सरकार रुपया देती है और यह आवश्यक है कि इन में विद्यार्थियों को अखिल भारतीय स्तर और योग्यता के आधार पर दाखिल किया जाये। ऐसा करने से ही इन संस्थाओं में असफल रहने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत जो कि इस समय ३३ प्रतिशत है कम किया जा सकता है। पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों की सहायता के लिये उनके लिये अतिरिक्त कक्षायें लगानी चाहियें। ताकि उनकी असफलता को कम किया जा सके।

खंड ५ में उचित संशोधन किया जाना चाहिये ताकि उन कर्मचारियों को, जिनकी सेवा की शर्तों में परिवर्तन किया जायेगा, इस परिवर्तन को स्वीकार करने या न करने का अधिकार दिया जा सके।

सरकार को संस्था के कर्मचारियों और प्रबन्ध के विवादों के मध्यस्थ निर्णयन सम्बन्धी खंड की पुनः जांच करनी चाहिये, ताकि यह संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के विपरीत न हो। खड़गपुर संस्था के खनन विभाग के प्राध्यापक की सेवा से इसलिये मुक्त कर दिया गया था कि उस ने चिनाकुरी खान की दुर्घटना के सम्बन्ध में बिना अनुमति लिये गवाही दे दी थी, उस के लिये यह दंड बहुत कठोर है उन के साथ नर्मी का व्यवहार किया जाना चाहिये था, क्योंकि इस समय देश में योग्य व्यक्तियों की बहुत कमी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बताया जाना चाहिये कि भारतीय परिषद् द्वारा निर्धारित वेतन क्रम इन संस्थाओं में लागू किये गये हैं या नहीं ।

परिषद् से सम्बद्ध किये जाने वाले संसद् सदस्यों की संख्या ३ से बढ़ा कर ६ कर देनी चाहिये । और इसमें एक प्राध्यापक को भी मनोनीत किया जाये ताकि अध्यापकों के हितों का प्रतिनिधित्व किया जा सके ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : इन चार संस्थाओं के कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि परिषद् इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक संस्था अपनी इच्छानुसार शिक्षा दे सकती है। यह विधेयक की बहुत बड़ी त्रुटि है। जिसे दूर करने के लिये विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

†**श्री अरविंद घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । मुझे केवल इन संस्थाओं को चलाने वाली मशीनरी के बारे में संदेह है। विधेयक के अन्तर्गत कई समितियां बना दी गई हैं। मैं नहीं समझ सका कि वे एक दूसरे से उलझे बिना अपना कार्य कैसे करेंगी।

अगली बात उपाधियां दिये जाने के बारे में है। प्रौद्योगिक संस्थाओं द्वारा सम्मान में उपाधियों का दिया जाना उचित नहीं है। यह कार्य केवल विश्वविद्यालय ही कर सकते हैं।

मंत्री महोदय के इस वक्तव्य के बारे में कि प्रशिक्षित होने वाले इंजीनियरों की संख्या देश की आवश्यकताओं के अनुसार है, मैं ने यह पूछना है कि क्या यह सत्य नहीं है कि देश में इंजीनियरों की कमी है और कालिजों में स्थान बढ़ाये जाने हैं। रूड़केला और दुर्गापुर में इंजीनियरों की कमी है। हम शिशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण नहीं दे सकते। एक ओर तो जीनियरों की कमी है, दूसरी ओर वे बेकार फिर रहे हैं। यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जा ।

खड़गपुर संस्था की कठिनाइयों को दूर करना चाहिये ।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली): देश में प्रविधिक शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता के बारे में दो मत नहीं हो सकते किन्तु ये संस्थायें एक दूसरे को सहायता देने की बजाय उलझन पैदा करेंगे। यद्यपि उन्हें विश्वविद्यालय का नाम नहीं दिया गया है तथापि वे विश्वविद्यालय के रूप में ही कार्य करेंगी, जब कि नये विश्वविद्यालय खोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारा देश एक है और इसमें शिक्षा का स्तर समान होना चाहिये। इन चार संस्थाओं के अलग अलग काम करने से इंजीनियरों में भी वर्गीकरण पैदा होगा ।

इन संस्थाओं का वास्तविक कार्य स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये शिक्षा देने का होना चाहिये। उन का लक्ष्य यह होना चाहिये कि वे काम को किसी प्रकार दुहराये बिना विशिष्ट प्रकार की शिक्षा दें ताकि देश को अधिकाधिक लोगों को विदेश भेजने की आवश्यकता न रहे।

इन संस्थाओं का समग्र व्यय बहुत अधिक होगा। यह एक ऐसा अपव्यय है जिसे रोका जा सकता है ।

निदेशक को नियुक्तियां करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा करने से परिवार पोषण की शिकायतें बढ़ जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बलराज मधोक]

मैं इन संस्थाओं के खोले जाने के पक्ष में नहीं हूं। इन्हें विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि विधेयक पर पुनर्विचार किया जाये।

†**श्री ले० अचौ सिंह (आन्तरिक मणिपुर)** : ये चार संस्थायें सरकार समिति की सिफारिशों के अनुसार स्थापित की गई हैं। हम इस का स्वागत तो करते हैं किन्तु हम देखते हैं कि उस समिति द्वारा निर्धारित की गई शर्तें पूरी नहीं की गईं। एक शर्त यह थी कि सब राज्यों में प्रौद्योगिक संस्थायें स्थापित की जायें।

एक त्रुटि यह भी है कि इन संस्थाओं में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण मनीपुर तथा नागालैंड जैसे अर्ध विकसित प्रदेशों के छात्रों के लिये स्थान पर्याप्त संख्या में सुरक्षित नहीं रखे गये हैं।

हमारी प्रौद्योगिक संस्था को विशेषकर उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को अपने आधुनिक उद्योगों की आश्वकताओं के अनुसार ढाला जाना चाहिये। विद्यार्थियों को भरती के तरीके में और पढ़ाई के तरीके में सुधार कर उनकी असफलता को भी कम किया जा सकता है।

अधिकतर प्रौद्योगिक संस्थाओं में देखा गया है कि शिक्षकों के वेतन अच्छे नहीं। यदि इन्हें बढ़ाया जाये, तो जो कमी पाई जाती है, वह दूर की जा सकती है।

संस्थाओं के निदेशक बोर्डों में मनोनयन के सिद्धान्त के स्थान पर चुनाव का सिद्धान्त अपनाना चाहिये।

संस्थाओं में संस्थाओं की काफी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वे अनुसन्धान विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

†**डा० मेलकोटे (रायचूर)**: हमारा विकास कार्यक्रम इतना बड़ा है कि केवल चार प्रौद्योगिक संस्थाओं से देश की आवश्यकतायें पूरी नहीं होंगी। प्रत्येक राज्य में एक ऐसी संस्था होनी चाहिये। सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में काम करने के लिये योग्य व्यक्तियों को लाने के लिये प्रौद्योगिक कर्मचारियों को अधिक अच्छे वेतन देने चाहिएं।

चूंकि इन संस्थाओं को स्वतन्त्र रूप से कार्य करना होगा इसलिये यह जानने के लिये कि शिक्षा के जिस स्तर की कल्पना की गई है, वह उतना अच्छा स्तर है या नहीं, एक निकाय गठित करना आवश्यक है।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुये]

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर)**: सदस्यों ने जो कीमती सुझाव दिये हैं, उनके लिये मैं आभारी हूं। किन्तु प्रतीत होता है कि जो आलोचना की गई है, वह ज्ञान के आधार पर नहीं की गई।

मैं श्री सूपकार को बताना चाहूंगा कि शिक्षा की किसी भी प्रणाली में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का होना आवश्यक है, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में तो यह और भी आवश्यक है।

श्री सूपकार ने इन निकायों में चुनावों के अभाव का उल्लेख किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सरकार ने शिक्षा संस्थाओं के संचालन से निर्वाचन के सिद्धांत को समाप्त करने का यत्न

†मूल अंग्रेजी में

किया है जिस से उन्हें उन प्रभावों से मुक्त रखा जा सके जो अनुसन्धान के विकास और शिक्षा स्तर को ऊंचा करने में प्रोत्साहन नहीं देते।

अमेरीका, रूस, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस जैसे देशों में शिक्षा संस्थाओं में निर्वाचन नहीं होते और इस कारण वहां वातावरण बहुत अच्छा होता है।

श्री विट्ठल राव ने पूछा है कि क्या इन चार संस्थाओं में सेवा की शर्तें संन्तोषजनक हैं। यदि वह सावधानी से देखते, तो उन्हें मालूम होता कि वे इतने सन्तोषजनक हैं जितने कि भारत में वर्तमान परिस्थितियों में हो सकते हैं। वे सब योग्य और सक्षम व्यक्ति हैं, जो अपनी दशा से सन्तुष्ट हैं। उनके वेतन क्रम भी अन्य संस्थाओं में पाये जाने वाले वेतन क्रमों से अच्छे हैं। सरकार ने अधिक अच्छे वेतन क्रम आदि देकर इन संस्थाओं में सर्वोत्तम व्यक्तियों को लाने के लिये कदम उठाये हैं। इन संस्थाओं में कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। कभी कभी रिक्तियां होती हैं, जिन के कारण कोई कठिनाई नहीं होती।

इन संस्थाओं में विद्यार्थियों की असफलता की प्रतिशतता बहुत कम है। खड़गपुर संस्था में जो सब से पुरानी है, असफलता १० से १५ प्रतिशत तक से अधिक नहीं है, जो कि अन्य देशों के मुकाबले में अधिक नहीं है।

इन संस्थाओं में भरती के लिये अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा ली जाती है। १९६१-६२ में ९३८ विद्यार्थी भरती हुये थे और ये भारत के हर प्रदेश से आते हैं।

परिषद् में संसद सदस्यों की संख्या ३ से ६ कर देने से कोई विशेश लाभ नहीं होगा, केवल यह बड़ी हो जायेगी।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : क्या विद्यार्थियों की भरती पर कोई प्रतिबन्ध है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : भरती के लिये सारे भारत मेंपरीक्षा होती है और यह योग्यता के आधार पर की जाती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, किन्तु उन्हें भी अलग परीक्षा में बैठना पड़ता है। किन्तु एक निश्चित स्तर से कम योग्यता रखने वालों को भरती नहीं किया जाता।

हम नहीं चाहते कि जहां तक शिक्षा संबंधी मामलों का संबंध है, परिषद् का संस्थाओं पर नियंत्रण हो। हम चाहते हैं कि ये स्वायत्त हों। इसीलिये शासक बोर्ड को अधिक से अधिक अधिकार दिये गये हैं। शिक्षा संबंधी मामलों में परिषद् सलाह देगी। प्रशासनिक मामलों में वह नीति निर्धारित करेगी और इसको समन्वय के निश्चित अधिकार प्राप्त होंगे।

मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इन चार संस्थाओं की पृष्ठभूमि अलग अलग है। खड़गपुर संस्था हमारे अपने प्रयत्नों से और यूनेस्को की सहायता से बना है। बम्बई की संस्था के लिये रूस ने सहायता दी है। मद्रास की संस्था के लिये जर्मनी ने कुछ सहायता दी है। कानपुर की संस्था अमेरिका की सहायता से बनाई जा रही है। प्रत्येक संस्था की प्रक्रिया आदि या पढ़ाने का तरीका एक दूसरे से भिन्न होगा किन्तु प्रौद्योगिकीय शिक्षा के बारे में उनका बुनियादी दृष्टिकोण एक ही रहेगा। सरकार तथाकथित समानता में विश्वास नहीं करती। वह चाहती है कि ये संस्थायें मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता की भावना से कार्य करें। श्री भरूचा के इस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हुमायून् कबिर]

सुझाव को कि इन सब पर केन्द्र का नियंत्रण रहे, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह देश के हितों के विरुद्ध होगा।

†**डा० मा० श्री अणे** : क्या इन चार संस्थाओं में पढ़ाई के कोर्स अलग अलग होंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : क्योंकि विज्ञान विश्व भर में एक ही है, इसलिये बुनियादी शिक्षा तो एक ही होगी किन्तु प्रक्रिया में या पढ़ाने के तरीकों में कुछ अन्तर अवश्य रहेगा।

इस बात में कोई हानि नहीं कि विजिटर (निरीक्षक) को समितियां नियुक्त करने का अधिकार हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि समय समय पर पुनर्विलोकन समितियां नियुक्त की जायें, जो इन संस्थाओं के काम का निरीक्षण करें और उनकी भावी प्रगति की योजना बनायें।

श्री घोषाल की यह बात सही नहीं है, कि इंजीनियरों का अभाव होने के कारण निरीक्षक (सुपरवाइजर) इंजीनियरों का काम कर रहे हैं। स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है।

अब इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि खड़गपुर संस्था को आरम्भ में जो कठिनाइयां पेश आई थीं, वे शेष तीन संस्थाओं को पेश न आयें।

श्री बिट्ठल राव की भी यह बात सही नहीं है कि खड़गपुर संस्था के या किसी अन्य संस्था के किसी अध्यापक को पदच्युत कर दिया गया है।

श्री मधोक का यह विचार कि सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का एक ही स्तर होना चाहिये स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक विश्वविद्यालय में सभी विषयों में समान स्तर नहीं हो सकता। स्तर में अन्तर तो रहेगा चाहे वह अध्यापकों के मामले में हो या छात्रों के। प्रत्येक अध्यापक उतनी ही क्षमता से नहीं पढ़ा सकता।

श्री मधोक का खड़गपुर में परिवारपोषण का आरोप भी निराधार है।

श्री अचौ सिंह ने सरकार समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि देश में प्रौद्योगिक शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ है, जो विश्व के किसी अन्य देश में हुये विकास से कम नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि उच्चतर संस्थाओं में केवल प्रौद्योगिक स्कूलों या पालीटेकनिकों से विद्यार्थी लेने चाहियें। उनकी यह राय सही नहीं है। सरकार समिति १६ या १७ वर्ष पहले बनी थी और उस समय से प्रौद्योगिक शिक्षा में बहुत अन्तर आ गया है। आजकल प्रौद्योगिकी के स्थान पर विज्ञान पर अधिक महत्व दिया जाता है। सभी उन्नत देशों में ऐसा ही किया जा रहा है। इसलिये इन संस्थाओं में प्रौद्योगिक स्कूल या पालीटेकनिक के विद्यार्थियों की बजाये विज्ञान के योग्य विद्यार्थियों को अधिक पसन्द किया जाता है।

उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि १९५५ से सब भरती परीक्षा द्वारा योग्यता के आधार पर की जाती है। उनका यह कहना भी सही नहीं कि इन संस्थाओं में अध्यापकों या सामान की कमी है। इनके लिये पूरी व्यवस्था है।

डा० मेलकोटे ने बहुत कीमती सुझाव दिये हैं। किन्तु मैं उनसे कहूंगा कि अभी प्रत्येक राज्य में एक एक संस्था स्थापित करने का समय नहीं आया है। हमें इस विषय में जल्दी से काम नहीं लेना चाहिये। किन्तु हमने यह आश्वासन दे दिया है कि तीसरी योजना के अन्त तक हर राज्य में एक प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं छात्रवृत्तियों के बारे में उनके सुझाव का स्वागत करता हूं। हम पिछले तीन वर्षों से इनकी संख्या बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उच्चतर शिक्षा की चार संस्थाओं में समस्त स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था कर दी जायेगी।

डा० मेलकोटे ने सुझाव दिया है कि इन संस्थाओं के अध्यापक किसी निश्चित अवधि के लिये नियुक्त किये जायें और जीवन भर के लिये नहीं। यह एक विवादास्पद सुझाव है। हमने देखा है कि यदि वैज्ञानिकों के मन में शंका या खिंचाव बना रहे, तो वे अच्छा काम नहीं दे सकते। तथापि इस मामले में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती, जब तक कि अधिक जांच न कर ली जाये।

प्रौद्योगिक अध्यापकों के वेतन क्रमों में सुधार करने के लिये पिछले तीन वर्षों में पग उठाये गये हैं। उनके वेतन क्रम दूसरों से कम नहीं हैं। एक युवक ४१० रुपये से शुरू हो कर २५०० रुपये तक जा सकता है, जोकि बुरा नहीं है। हमें योग्य व्यक्तियों की सेवायें प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इन संस्थाओं में औद्योगिकीय संस्थाओं से अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है।

देश में प्रौद्योगिकीय प्रशिक्षण का विस्तार काफी उल्लेखनीय है। १९४७ में देश में इंजीनियरिंग के ३८ कालेज थे जिनमें २९४० विद्यार्थी शिक्षा पा सकते थे। १९६१ में ऐसी १०० संस्थायें हैं जिनमें १३,५८५ विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार पालीटेकनिक तथा डिप्लोमा संस्थाओं में और भी वृद्धि हुई है। १९४७ में ऐसी ५३ संस्थायें थीं जिनमें ३,६७० विद्यार्थी शिक्षा पा सकते थे, १९६१ में इनकी संख्या १९६ है तथा इनमें २५,५७० प्रशिक्षणार्थी दाखिल हो सकते हैं।

सरकार समिति की सिफारिशों के बिना हम इतनी प्रगति नहीं कर सकते थे। हम रूस सरकार के, जिसने बम्बई की संस्था के लिये २ करोड़ रुपये की सहायता दी है, जर्मनी सरकार के, जिसने भी २ करोड़ रुपये की सहायता दी है और अमेरिका सरकार के जिसने १० करोड़ रुपये की सहायता का वचन दिया है, आभारी हैं।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय प्रौद्योगिकीय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित करने और तत्संबंधी तथा प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर संबंधी कतिपय विषयों के बारे में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : अब खंडशः विचार शुरू होगा। खंड २ से ३० तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ३० तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २ से ३० तक विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड ३१--(परिषद् की स्थापना)

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं, जिस में कहा गया है कि परिषद् में संसद सदस्यों की संख्या तीन से छः कर दी जाये--चार लोक सभा से और दो राज्य सभा से ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं इसका विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३२ (परिषद् के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां एवं उनको दिये जाने वाले भत्ते)

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं कि जिस में कहा गया है कि परिषद में मनोनीत किये गये सदस्यों की अवधि तीन साल से घटा कर दो साल कर दी जाये ।

†**श्री हुमायूं कबिर :** तीन साल की अवधि अधिक नहीं है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मैं इस पर आग्रह नहीं करता ।

संशोधन संख्या २ सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३२ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३२ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३३ और ३४ विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड ३५ (इस परिषद् में दिये गये विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्तियां)

†**श्री अरविंद घोषाल :** मैं अपना संशोधन ३ प्रस्तुत करता हूं । जो कि प्रविधिक है ।

†**श्री हुमायूं कबिर :** मैं इस संशोधन को सदन के निर्णय पर छोड़ता हूं ।

संशोधन संख्या ३ सदन की अनुमति से वापिस ले लिया गया

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ३५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३६ से ३९ तक और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री हुमायूं कबिर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव

†**श्री तंगामणि (मदुरै)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पंचायत राज के लागू होने से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाय।"

मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरा मतलब है पंचायतों तथा इसके अतिरिक्त इतिहास के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा। मेरा मतलब तो केवल इतना है कि पंचायत राज के विषय पर विचार किया जाय। इस दिशा में राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा मद्रास राज्य की पंचायतों की स्थापना की दिशा में प्रारम्भिक कार्यवाही के लिए हमारी बधाई के पात्र है।

सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मैंने सारे मामले का अध्ययन किया है। इस बारे में समालोचनात्मक ढंग से मैं कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं। पंचायत राज हमारे देश में किस ढंग से चल रहा है उसका विश्लेषण करना होगा। इस बारे में कुछ अखबारों ने भी चेतावनियां दी है। पुरानी और नयी प्रणालियों का अध्ययन करके उन्होंने कहा है कि हमें इस दिशा में काफी सचेत होकर चलना है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक 'पंचायत राज्य' के संगठनात्मक नमूने का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा यह बताया जाना चाहिए कि आर्थिक तथा प्रशासनिक एककों का परस्पर किस सीमा तक विलय हुआ है। सदन को यह भी बताया जाना चाहिए कि किस सीमा तक हम पंचायतों तथा सहकारी संस्थाओं को परस्पर निकट लाने में सफल हुये हैं। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि राजस्व विभाग तथा पंचायत राज्य के विकास विभाग में परस्पर जो प्रतियोगिता चल रही है, उसे विचार करने के बाद दूर कर दिया जाय।

हमें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कई ग्रामों में पंचायती नेताओं की शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। भारतीय ग्रामों का सामाजिक जीवन काफी पिछड़ा हुआ है। यह प्रायः देखने में आया है कि कई एक मामलों में पंचायतों के बड़े अधिकारी ग्रामवासियों को सहायता करने की बजाय राजनीतिक विरोध में भाग लेते है तथा उसमें लोगों की अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते है। हमें इस बात का ध्यान रखना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

चाहिए कि हम पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान कर रहे हैं तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय विरोध तथा प्रोत्साहन इन पर आच्छादित न हो जाय।

इस विषय में मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि मद्रास में १५०० पंचायत नेताओं का सम्मेलन हुआ। केन्द्रीय सरकार के कुछ मंत्री और प्रधान मंत्री भी उसमें सम्मिलित हुए। पंचायत नेताओं को उनसे मिलाया गया। लोगों का यह विचार है कि पंचायत इत्यादि सब पदासीन दल का राजनीतिक आडम्बर है जिसकी आड़ में वह अपना शिकार खेलना चाहता है। मद्रास में पंचायत राज पर कुछ सीमा तक राज्य सरकार का नियन्त्रण है। यद्यपि पंचायत अधिनियम में सारे सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्य की पंचायती संघों को सौंपने की व्यवस्था है। और यह सब व्यवस्था ऐसे ढंग से की गयी है कि राज्य सरकारें बहुत से अधिकार अपने हाथ में रखती हैं।

यह बात तो स्पष्ट है कि आज की पंचायतों के प्रायः सदस्य पिछड़े हुये लोग है। उन पर और उनके द्वारा ग्राम निवासियों पर अनुचित दबाव डाला जा सकता है। अतः वर्तमान अवस्था में पंचायतों का एक मत से चुनाव तो सम्भव नहीं। अतः चुनाव कराना ही ठीक है। इसके साथ ही मेरा यह भी विचार है कि पंचायती संघों के प्रधानों को नाम मात्र, चाहे कम से कम एक सौ रुपया हो प्रतिमास मिलना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं जानना चाहता हूँ। वह यह कि कितने राज्यों ने ग्राम सभाओं के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। हमें पंचायती संघों के चुने हुए प्रधानों में अनुसूचित जातियों में से चुने हुए प्रधानों की संख्या भी बताई जाय। यदि हम उन्हें कुछ ऊंचा उठाने के इच्छुक है तो निश्चय ही इन जातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखने ही होंगे। मद्रास अधिनियम में यह व्यवस्था है कि पंचायत संघ में ३ महिलायें और तीन अनुसूचित जातियों के लोग अवश्य रखे जाये। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि त्रिस्तरीय पद्धति केवल ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान के सवाल को हल करने से ही सम्भव हो सकती है तथा मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में हमें जहां तक सम्भव हो लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए भू-सुधार सम्बन्धी ठोस विधान उपस्थित करना चाहिए। मैं दिल से चाहता हूं कि पंचायत राज की विचार धारा लोगों में फैले और जो कुछ बलवन्त राय मेहता समिति ने कहा है उसे कार्यान्वित किया जा सके।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री रघुवीर सहाय (बदायूं):** पंचायत राज्य के सम्बन्ध में जो राय श्री तंगामणि ने प्रस्तुत की है वह बड़ी निराशाजनक है। बलवन्तराय समिति ने इस बात पर स्पष्ट टिप्पणी की है कि त्रि-स्तरीय पद्धति को देश में यह प्रयोग करने के लिए लागू किया गया था कि सारे देश में विकास-कार्य को लोगों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है अथवा नहीं। इससे पूर्व यह आन्दोलन जन आन्दोलन न होकर केवल सरकारी कार्यक्रम का एक अंग था। और सरकारी अभिकरण ही इस कार्य को करते थे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हर वह व्यक्ति जो पंचायती राज में विश्वास रखता है, इस बात को पसन्द करेगा कि ग्राम स्तर पर चुनाव एक मत से हो। आज राजनीतिक उलझनों से नगरों का जीवन भ्रष्ट हो रहा है और यदि ये ग्रामों के लोग भी इन उलझनों में फंस गये तो इस सारी पद्धति की

†मूल अंग्रेजी में

जड़ें ही कट जायेगी। आज कल दिशाओं से देश में इस बारे में आवाज उठी है कि काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं परन्तु किसी भी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया ही जाना चाहिए।

इस विषय में एक बड़ी खेदजनक बात यह है कि सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के प्रशिक्षण का कार्य इच्छित ढंग से नहीं हो रहा है। यह एक सामान्य अनुभव है कि उनमें बहुत सी अज्ञान मौजूद है। पंचायतों के कार्यकर्त्ता अधिकारी और यहां तक कि सचिव तक भी अपने कार्य के बारे में बहुत ही कम ज्ञान रखते हैं। आश्चर्य की बात है कि कई तो यह भी नहीं जानते कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से गांव है। वे प्रायः गावों में जाते भी नहीं। इस अज्ञानता को दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए और शिक्षात्मक प्रचार को तीव्रता से किया जाना चाहिए। और इस दिशा में कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जाना चाहिए।

मेरा यह भी अनुभव है कि खंडों के विकास निभागों में गैर सरकारी व्यक्तियों को नियुक्त करते समय समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। निगरानी और नियन्त्रण का कार्य भी प्रायः ढीला है। जिला योजना–निर्माण अधिकारियों के लिए १८ से २० तक खंडों की निगरानी करना सम्भव नहीं राज्यों को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों के क्षेत्रों को स्पष्टतः निर्धारित कर दिया जाना चाहिए।

एक और आश्चर्य की बात है वह यह कि विभिन्न राज्यों एक जैसी अभिव्यक्ति के लिए एक ही भाषा प्रयोग नहीं होती। कही विकास अधिकारी है तो कही अखण्ड विकास अधिकारी। जिला परिषद् के अध्यक्ष को राजस्थान में प्रमुख कहते है। उत्तर प्रदेश में इसी पद को प्राप्त करने वाले को अध्यक्ष कहा जाता है। इससे गड़बड़ ही होती है। सामान्य अभिव्यक्तियों के लिए सामान्य नाम रखे जाने चाहिए ताकि भाषा में एक रूपता आ जाये। मेरे विचार में इस दिशा की ओर मंत्रालय द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

†**श्री बलराज मधोक (नई दिल्ली)** : पंचायतों का विचार भारत में बहुत ही प्राचीन है। इसी आधार पर एक फ्रैंच इतिहासकार श्री विल डयूरैन्ट ने भारत को लोकतंत्र की जननी कहा है। उसका आधार यह ग्राम सरकारें ही थी। मुगल राज्य और १९वी शताब्दी में भी इस पंचायत प्रणाली का ही ग्रामीण भारत में बोलबाला रहा। भारत में जब मुस्लिम राज्य था तो इस प्रणाली के कारण ही भारत का भारतीयत्व कायम रहा। लोग केन्द्रीय सरकार के बहुत अधिक प्रभाव में नहीं थे।

[श्री मूल चंद्र दुबे पीठासीन हुये]

१८५७ के बाद अंग्रेजों ने एक मजबूत केन्द्रीय सरकार गठित करने का इरादा किया तो उन्होंने अपने साधन बनाये जिनके द्वारा कि ग्राम प्रशासन तक पहुंचा जा सकता था। तो यह पंचायत प्रणाली का ह्रास हो गया और लोगों की चि इस ओर से प्रायः हट गई। इसके बाद भी कुछ राज्यों में इस प्रथा को पुनः जीवित करने का प्रयत्न किया। अंग्रेजों ने भी पंचायत अथवा स्थानीय सरकारों की प्रथा को आरम्भ किया परन्तु यें सब निकाय प्रायः अधिकार हीन रहे। स्वतन्त्रता के पश्चात् इस प्रणाली को पुनः जीवित करने का प्रयत्न किया गया है।

आज की स्थिति के अनुसार १४ वर्ष के पश्चात् भी इस दिशा में अधिकांश राज्यों में स्थिति बहुत अच्छी है। पंचायतों के असफल होने के कई कारण हैं। प्रथम बात यह है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बलराज मधोक]

पंचों में उचित प्रकार का विश्वास नहीं किया जाता और उन लोगों को देहाती क्षेत्रों में काम करने का बहुत कम अवसर मिलता है। इसके साथ ही दूसरी बात यह भी है कि पचायतों के पास धन की कमी है। यदि उन्हें सचमुच प्रभावी बनाना है तो उनके लिये समुचित साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरा मत तो यह है कि उन्हें ग्रामों से एकत्र किये गये भू राजस्व से निश्चित भाग मिलना चाहिये।

इन पंचायतों की असफलता का तीसरा कारण यह है कि उनके सदस्यों में कभी एकमत नहीं होता। कोई न कोई झगड़ा खड़ा ही रहता है। मैं तो इसी राय का हूं कि केवल एक मत से चुनी हुई पंचायतों को ही ग्रामों में सामाजिक तथा नैतिक समर्थन प्राप्त हो सकता है जो कि उन्हें समाज के लिये उपयोगी बनाने में आवश्यक है। इसके साथ ही एक यह भी बात है कि विभिन्न राज्यों में पंचायतों के स्थापन में एकरूपता नहीं है। किसी न किसी प्रकार की एकरूपता का निश्चित किया जाना आवश्यक है।

इन सब बातों में सब से बड़ी बात जो इस प्रणाली की असफलता के लिये सब से अधिक जिम्मेदार है वह अधिकारियों द्वारा बहुत अधिक हस्तक्षेप है। साथ ही विकास विभाग, राजस्व विभाग और पंचायती विभागों की परस्पर भ्रमोत्पादक स्थिति भी इसके लिये जिम्मेदार है। पंचायतों को राज्य सरकारों के नियन्त्रण से बिलकुल मुक्त रखा जाय। हमें पंचायतों के सम्बन्ध में उनके पदाकाल, निर्वाचनों तथा आय के साधनों के बारे में संविधान में निश्चित उपबन्ध रखने चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो यह पंचायतें केवल राज्य सरकारों की दया पर ही आश्रित रह जायेंगी।

केन्द्रीय सरकार भी पंचायतों को भू राजस्व तथा अन्य उपकरों का निश्चित भाग दे, उत्तरोक्त को करों की संग्रह की समस्या का सामना नहीं होना चाहिये। पंचायतों के कार्यनिष्पादन में सामुदायिक भावना होनी चाहिये। दुर्भाग्य से सरकार की वर्तमान नीति देश की राष्ट्रीय तथा भावुक एकता की जड़ों पर कुलहाड़ा चला रही है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

हमें अपने ग्रामों में परम्परा से चली आ रही सामुदायिक भावना से लाभ उठाना ही चाहिये। जातिवाद को समाप्त कर सामूहिक भावनाओं को प्रोत्साहन देना चाहिये।

सरकार जिस नीति का पालन कर रही है, वह देश की एकता की जड़ें काटती जा रही हैं। उससे तो सारे देश में गुटबाजी का अखाड़ा गरम हो जायगा।

पंचायतों की परम्परा हमारे देश में प्रचीन काल से चली आ रही है। भारत उसके लिये प्रसिद्ध है। इसलिये हमारे ऊपर दायित्व आ जाता है कि हम पंचायतों का विकास सही ढंग से सही दिशा में करें। पंचायतों के काम में ऊपर से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

†**श्री फ० गो० सेन** (पूर्निया) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज के बारे में जो पूर्व वक्ताओं ने कहा वह ठीक ही कहा कि यह सही मायने में हमारी पुरानी चीज है। पंचायती राज की खामियों के बारे में जो कुछ भी कहा जाय यह बात मानी हुई है कि पंजायती राज को हमें चलाना है। सिवाय इसके कोई चारा हमारे सामने है ही नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज के वर्तमान युग में हमने एलेक्शन का एक मापदंड बनाया है यह सही है कि उसमें कुछ बुराइयां और खामियां भी हैं और मैं इस बात से इंकार नहीं करता, यह भी सही है कि एलेक्शन की वजह से गांव गांव में तफरका बढ़ता जाता है। जहां पर सर्वसम्मति से चुनाव सम्पन्न हो जाया करते हैं वहां तो ठीक रहता है लेकिन ऐसा न होने रि जो कठिनाइयां पेश आती हैं वह अधिकारियों के और इस मुल्क के सामने हैं। आज हमें अच्छे आदमियों की कमी महसूस हो रही है तो भी मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जहां इन चायतों में अच्छे आदमी देखे जाते हैं वहां पर काम ठीक चलता है। जिस पंचायत का मुखिया अथवा सरपंच अच्छा आदमी होता है तो गांव वालों की श्रद्धा ऐसे लोगों पर होती है और ऐसे पंचायतों में अवश्य ही अच्छी तरह से काम होता है। मगर जहां पर मुखिया और सरपंच लोग पुलिस और दारोगा के पीछे दौड़ा करते हैं और उन से मिल कर गांव में यदि कहीं कोई फूट हो जाती है और उस फूट को वह और बढ़ावा देते हैं तो वहां पर काम बहुत बिगड़ जाता है।

मेरे मित्र श्री तंगामणि ने कहा कि जहां तक हरिजन और सवर्ण लोगों का सवाल है पंचायत राज्य के चुनावो में हरिजन लोग चुन कर कम आ पाते हैं। ऐसी बात तो नहीं मालूम पड़ती है। जहां तक मेरे जिले और प्रान्त का सवाल है मै कह सकता हूं कि हमारे प्रान्त में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग चुने जा कर सरपंच और मुखिया बने हैं। मुखिया और सरपंच के पद पर डोम, चमार, मुसकर और संथाल इत्यादि चुन कर आये है।है यदि इस बारे में थोड़ी बहुत दिक्कत रही भी हो तो हम लोग उसे दूर करने में सफल हुए हैं। अब यूं तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के प्रभाव से ही बहुत कुछ जातिपांत की बुराइयां हमारे अन्दर घुस गई हैं और मैं तो कहूंगा कि ज्यादा बुराइयां हमारी शिक्षा पद्धति में हैं। मैं यह भी मानता हूं कि शिक्षा ने इसे प्रोत्साहन दिया और अपनी खुदगर्जी ने इसे पनपाया।

एक चीज मैं मानता हूं और सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जहां तक ला इंड आर्डर का सवाल है जहां तहां यह भी देखने में आता है कि पंचायत में मुखिया के अंडर जो एक्जीक्यूटिव आफिसर होता है वह चोर अथवा डकैत को जब पकड़ कर थाने में ले जाता है तो वहां पर ऐक्यूज्ड मुखिया और उस एक्जीक्यूटिव आफिसर पर लांछन लगा देते हैं और थानेदार लोग चाहे सच्चाई से हो अथवा खराब नीयत से उन लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से मुखिया हैं जिनके ऊपर मुकद्दमेबाजी चल रही है हांलाकि कुछ मुकद्दमे ऐसे भी हैं जोकि ट्रिब्यूनल में लटके हुये हैं। यह भी देखा जाता है कि जहां चुनाव हो गया है और नया मुखिया चुन लिया गया है तो भी पंचायत की प्रोसीडिंग्स् का बस्ता या स्टौक नये मुखिया तक पहुंचाता नहीं है और वह कहीं का रहता है। अब वह बस्ता कहां गायब हो जाता है? अब होता यह है कि वह जो विलेज वर्कर होता है वह गांव के एक तरफ मिला हुआ होता है जिससे कि यह गड़बड़ी होती है। मैं मानता हूं कि पंचायत राज्य में यह तमाम खामियां हैं लेकिन ससे यह न समझ लिया जाय कि मैं यह चाहता हूं कि पंचायत राज्य खराब है और यह नहीं होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करें।

एलेक्शन के सिलसिले में जो जगह जगह पर मारपीट हो जाया करती है या चुनाव रोक दिये जाते हैं यह अनुचित है और ऐसा न होने देने के लिये आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिये। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आज अच्छे और सच्चे लोगों की हमें काफी जरूरत है और जाहिर है कि अगर ठीक से काम किया जाय तो पंचायत राज्य से स रेवेन्यु कलैक्शन के काम में काफी सुभीता ग्रामीणों को होता है। अब देखने में यह आता है कि हमारे गरीब भाई जमीन के मामले में ब्लाक में या सरकारी मुहकमे में एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते फिरते हैं और उनका काम नहीं हो जाता। कोई उनसे कुछ करने को कहता है तो दूसरा उन्हें कुछ करने की कहता है।

[श्री पा० गो० सेन]

कोई उनसे कहता है कि वकील करो और इस मामले में इतना रुपया खर्च करो तब तुम्हारा काम बनेगा। मैं समझता हूं कि इस रैवेन्यू कलैक्शन के मामले में जो उनको सरकारी अफसरों द्वारा परेशान किया जाता है पंचायत राज्य के होने से उन्हें काफी सहूलियत हो सकती है हालांकि हम देखते हैं कि हमारे ब्लाक आफिस में जो दाखिल खारिज हुआ करते थे उसमें हमारे मुखिया लोग नाम लिख कर भेजते थे वहां भी कचहरी का सा सिलसिला हो जाता है जो कि बड़ा दुखदायक है। हमारे ग्रामीण भाइयों को यह शिकायत है कि वहां ब्लाक्स में भी कचहरी का सा वातावरण पैदा हो गया है और नतीजा यह होता है कि वह बेचारे इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। एक ब्लाक आफिसर के ऊपर रैवेन्यू कलैक्शन का भी काम डाला हुआ है और इनक्वायरी भी उनको करनी पड़ती है। मिनिस्टर जब आते हैं तो उनकी आवभगत भी करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि उनकी मोटर कहां चली गई। नतीजा यह होता है कि हमारे ब्लाक आफिसर के पास तरह तरह के काम होने से वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाते और इसका बड़ा बुरा प्रभाव ग्रामीणों पर पड़ रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि उन्हें यह देखना चाहिये कि कम से कम वह जो ग्रामीणों को तारीख दें कि अमुक दिन वह उनके वहां लैंड रेवेन्यु के सिलसिले में या और किसी सिलसिले में उनके दफ्तर में हाजिर हों तो वे उस दिन वहां पर मौजूद रहें। जो जबान दें उसकी रक्षा करें। इससे बहुत कुछ मसले हल हो सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये कि उन बेचारे गरीब ग्रामीणों को तारीख दी जाये और वह गैर हाजिर रहें और उनसे कहा जाय कि अब आज नहीं कल आना या परसों आना। अगर कोई गरीब आदमी ब्लाक में जा कर कहता है कि जमींदारी एबालिशन के बाद मेरी जमीन बिहार सरकार के नाम से सरवे में रिकार्ड कर लिया गया है, मैं बाप-दादा के समय से इस का उपभोग कर रहा हूं और चूंकि मैंने सरवे में रुपया नहीं दिया, सलिये ऐसा किया गया है और वह कुछ कागज भी अपने पक्ष के समर्थन में दिखाता है, तो उस को कहा जाता है कि तुम टाइटल सूट फ़ाइल करो। वह बेचारा टाइटल सूट कैसे फ़ाइल कर सकता है? अगर वह ब्लाक आफ़िसर के पास जाता है, तो उस की सुनवाई होनी चाहिये और उस को सहायता दी जानी चाहिये।

यह भी जब देखा जाता है कि कोई व्यक्ति इस संबंध में कोई दरख्वास्त देता है और उसके साथ कोई जमींदार की रसीद या दूसरे कागजात ब्लाक में दाखिल करता है, तो अक्सर उस को दूसरे दिन आने के लिये कहा जाता है, तारीख पर तारीख दी जाती है, लेकिन उसको उन कागजात की कोई रसीद नहीं दी जाती है। इस बीच में अगर उससे नाजायज फायदा उठाने के लिये या किसी अन्य कारण से वे कागजात गुम हो गये, तो उस गरीब आदमी के कागजात भी गये और टाइटल भी गया। ऐसे कई इन्स्टैंसिज हमारे सामने हैं। यह आवश्यक है कि लोगों को इस बात की रसीद दी जानी चाहिये कि उनसे फलां फलां कागजात लिये गये हैं।

मैं एक व्यक्ति के केस को जानता हूं, जिसके बगल में हमारी जमीन है, जो कि बाप-दादा के वक्त से जलकर का, मछलियां आदि पकड़ने के अधिकार का, उपभोग कर रहा है। वह बिहार सरकार के नाम सरवे में आ गया है। शायद कर्मचारी लोग नाजायज फायदा उठाने के लिये उस पर रोब डालते और हटाना चाहते हैं। मैंने उसके लिये कितनी ही चिट्ठियां लिखी हैं और सब को कहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों उस बेचारे के कागजात ए० डी० एम० के यहां नहीं पहुंचते हैं। चलते वक्त भी मैं एक चिट्ठी लिख कर आया हूं। मैं नहीं जानता कि अभी तक कोई कार्यवाही की गई है या नहीं।

जब तक इन दिक्कतों को हम हल नहीं करते हैं, तब तक पंचायत राज देश में सफल नहीं हो सकता है और साथ ही हम लोगों पर भी बड़ा भारी लांछन आयेगा।

पावर्ज का मिसयूज भी होता है। किसी को तंग किया जाता है। किसी से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। किसी को हथकड़ी लगवा दी जाती है अगर किसी दरख्वास्त को बाकायदा नकल देनी चाहिये, तो उसमें तीन दिन लगा दिये जाते हैं। अगर कोई समय पर न आया, तो किसी तरह से वारंट जारी करवा कर शनिवार की शाम उसको जेल भिजवा दिया जाता है और दूसरे दिन इतवार के होने की वजह से सोमवार को ही बेल पर छुटता है।

लेकिन सके साथ ही साथ यह भी ठीक है कि पंचायतों में कुछ अच्छे काम भी किये जाते हैं। पंचायतों ने ऐसे डिसिजन्ज भी लिये हैं, जिनको हाई कोर्टस ने अपहोल्ड किया है और पंचायतों की सराहना की गई है।

श्री रघुवीर सहाय ने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में कहा है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से कोई भी योजना चलाई जाये, लेकिन लोगों का पहला काम पेट पालना है और उन को समय बहुत कम मिलता है। हमारी स्थिति भी वही है। अगर पंचायत में कोई दरख्वास्त दी जाती है, तो तारीख पर तारीख दी जाती है, कई वेस्टिड इन्ट्रेस्ट्स काम करते हैं, लोगों को दौड़ाया जाता है। अगर कोई तीन, चार या सात रोज का ट्रेनिंग कैम्प खोला गया, तो उससे लोग कुछ लाभ उठा सकेंगे, इसमें मुझे शक है, क्योंकि उन को फुरसत नहीं है। मुखिया अपना काम करे या ट्रेनिंग कैम्प में जा कर ट्रेनिंग ले? अगर ट्रेनिंग कैम्प की योजना सफल हो जाये, तो अच्छा है, लेकिन लोगों के पास समय न होने के कारण मुझे उसकी सफलता में शक है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कल स्थिति यह है कि ब्लाक एक रेजोल्यूशन पास कर देता है कि फलां स्थान पर एक हैल्थ सेंटर बनना चाहिये और उस जगह के कनवीनर को एडवांस भी दे दिया जाता है। अगर वहां पर काम शुरू न हो सका, विलम्ब देखकर तो ब्लाक में दूसरे स्थान पर हैल्थ सेंटर बनाने के लिये रेजोल्यूशन फिर पास कर दिया जाता है। वहां पर भी एडवांस दे दिया जाता है। जब पहले स्थान वालों को पता लगता है कि हैल्थ सैंटर दूसरी जगह जा रहा है, तो वह भी काम शुरू कर देते हैं। इस तरह दोनों जगह मकान बनने शुरू हो जाते हैं और दोनों जगह मकान खड़े हैं, हमारे यहां एक ऐसा इन्स्टैंस है। अब ब्लाक वालों के सामने यह सवाल फिर आता है कि वह सैंटर कहां पर हो।

उपाध्यक्ष महोदय : उस सैंटर को दोनों जगहों के दरमियान कर दिया जाये।

श्री फ० गो० सेन : वहां पर तीसरे मकान की जरूरत हो जायगी।

इसके बाद ब्लाक में रेजोल्यशन पास हुआ कि चूंकि दोनों जगह मकान तैयार हैं, तो डाक्टर छः महीने एक जगह रहे और छः महीने दूसरी जगह और वहां पर मोबाइल डिस्पैंसरी की तरह काम हो। फिर कहा गया कि यह ठीक नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट सर्कुलर के आधार पर पुनः पहली जगह ही करार दिया गया। अब सवाल यह है कि एक एक हजार पया दोनों जगह एडवांस किया हुआ है। उसका क्या होगा ?

[श्री फ० गो० सेन]

मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की सब समस्याओं पर विचार किया जाये और ऐसी व्यवस्था की जाये कि पंचायत राज की योजना सफल हो और आम लोगों को उससे लाभ पहुंचे।

†**श्री राने** (बुलडाना) : यह चर्चा आज ही समाप्त हो जानी चाहिये, चाहे हमें अधिक समय तक बैठना पड़े।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री राने इस संबंध में संसद् कार्य मंत्री से परामर्श कर लें। यदि कई सदस्य यही चाहते हैं कि इसकी चर्चा के लिये अधिक समय दिया जाये, तो हो सकता है कि समय का विस्तार करना संभव भी हो। माननीय सदस्य परामर्श कर लें और फिर मुझे सूचित कर दें कि सरकार की प्रतिक्रिया इसके बारे में क्या है। श्रीमती पार्वती कृष्णन्।

†**श्रीमती पावती कृष्णन** (कोयम्बटूर) : पंचायत यूनियों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के कार्य में कुछ अनियमितताएं हैं। हमें उनकी त्रुटियों को देखकर, उनको दूर करने में पंचायतों की सहायता करनी चाहिये।

विकास खंडों में जितना भी काम किया गया है, उससे गांवों की जनता में यह विश्वास पैदा नहीं किया जा सका कि उससे कोई बड़ा लाभ उनको होने वाला है।

अभी एक पंचायत संघ के उद्घाटन के अवसर पर एक सभापति ने सलाह देते हुये कहा था कि आयुक्त और पंचायत संघ के बीच प्रभावी सहयोग बनाये रखने के उपाय निकालने चाहिये। उसे तीन-चार वर्षों में यही सबसे कड़वा अनुभव हुआ था। आयुक्त और पंचायत संघ के सभापतियों में अक्सर इस बात पर झगड़ा चलता रहता था कि जीपों के उपयोग का अधिकार किसे अधिक है।

दूसरी बड़ी समस्या यह है कि व्यय सुनियोजित ढंग से नहीं किया जाता। मेरे जिले में डेरापुरम और पल्लाडाम जैसे तालुकों में समय समय पर अकाल की सी परिस्थितियां पैदा होती रही हैं। वहां कुओं की कमी है, फिर भी मंत्रालय हमें बताता है कि वहां सिंचाई परियोजनाओं की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। पंचायत संघों और उनके सभापतियों ने इसके बारे में राज्य के मुख्य मंत्री के पास प्रतिनिधिमंडल भी भेजे हैं। इतने वर्षों तक विकास खंडों का कार्य चलने के बाद भी, वहां कुओं की दशा पहले जितनी ही खराब बनी हुई है। इसकी जांच की जानी चाहिये।

पंचायत संघों के सभापतियों से मैंने बातें की हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि सरकारी प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि जिस काम के लिये रुपया मंजूर किया जाता है, वह केवल उसके लिये ही खर्च किया जा सकता है। और मंजूरी देते समय इसका ध्यान नहीं रखा जाता कि सभी क्षेत्रों की आवश्यकतायें समान नहीं होतीं। होता यह है कि मंत्रालय बार बार एक ही प्रकार की सुविधाओं के लिये मंजूरी देता चला जाता है। इससे हमारी योजनायें अतिछादी हो जाती हैं। मंत्रालय की लालफीताशाही में पंचायतों का दम घुटने लगने लगता है।

पंचायत कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण शिविरों में कांग्रेस दल के महत्व और उसके कार्य के संबंध में भाषण होते हैं, पंचायत संबंधी नियमों अधिनियमों पर नहीं। उनमें पंचायती राज के पहलुओं पर भाषण नहीं होते। मैंने स्वयं ऐसे भाषण सुने हैं। माननीय मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० सू० मूर्ति)** : माननीय सदस्या अपने आरोपों का एक ब्यौरेवार विवरण हमें देने की कृपा करें।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री तंगामणि और श्री शर्मा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा अहम मोशन हाउस के सामने लाकर हाउस की और सारे देश की तवज्जह अपनी सरकार के इस अहम कदम की तरफ दिलाई है, और मुझे उम्मीद है कि स मोशन पर बहस करते हुये मेम्बरान की तरफ से जो नई तजवीजें आयेंगी आनरेबल मिनिस्टर साहब उन पर बहुत ध्यान से गौर करेंगे।

मुझे अफसोस है कि मेरे लायक दोस्त श्री मधोक यहां से चले गये, मैं उन की तकरीर को बहुत गौर से सुन रहा था। उनकी तकरीर को सुनने के बाद मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा कि वे एक तरह से बिल्कुल इर्रेलेवेंट बोल रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात से तो चेयर पर भी रिफ्लेक्शन पड़ता है।

श्री मू० चं० जैन : जो कुछ उन्होंने कहा वास्तव में वह इर्रेलेवेंट था एक तरीके से।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब होता रहा और उस तरीके को चेयर समझ नहीं सकी।

श्री मू० चं० जैन : मेरा कहने का मंशा यह नहीं था जो मोशन था वह दरअस्ल यह था कि पंचायती राज्य की स्थापना के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति पर विचार किया जाये। बजाय इसके कि इस पर कोई बातचीत की जाय, वह दरअस्ल सन् १९३९ में पंचायतें थीं या १९४० में जो पंचायतें थीं, जो विलेज पंचायतें थीं, उन पर ही बोलते रहे। जहां तक मैं समझता हूं हाउस के सामने सवाल यह है कि पिछले तीन या चार वर्षों से मुख्तलिफ सूबों में जो पंचायत समितियां बनीं, जो जिला परिषदें कायम की जा रही हैं, उनके बनाने का क्या असर हुआ, क्या काम उनके जरिये हुआ और क्या इम्प्रूवमेंट और होना चाहिये, इस पर गौर किया जाय। आप मुझ से शायद इत्तफाक करेंगे कि जहां तक इन पंचायत समितियों के कायम होने का सवाल है और जिला परिषदों के बनने का सवाल है, हमारे फाजिल मेम्बर साहब ने एक शब्द भी नहीं कहा। बहरहाल मैं ने सोचा कि उन्होंने कुछ कहा हो या नहीं, मैं उन पर अपने खयालात जाहिर करूंगा कि जो कुछ किया जा रहा है उसका मंशा क्या है। मेम्बर साहब ने अपनी स्पीच में इसके लिये कुछ नहीं कहा।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजा बाद) : अब आप ही कुछ कह दीजिये

श्री मू० चं० जैन : आप जरा सब्र कीजिये। मैं सब कुछ कहूंगा। वह एक तरफ तो पंचायत राज की दुहाई देते रहे कि क्यों वह कायम नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ अपने बड़े माकूल सजेशन देने की कोशिश की कि इन पंचायती को बड़े कम अख्त्यार दिये जा रहे हैं, और यह पंचायतें इस तरह से होनी चाहियें जैसे कि सूबों की सरकारें होती हैं। आप एक बात से तो इत्तफाक करेंगे कि उन की सारी तवज्जह जो थी वह गांव की पंचायतों की तरफ थी। ब्लाकों में जो पंचायत समितियाँ बनाई जा रही हैं या जिला परिषदें बनाई जा रही हैं उन पर उन की कोई दलील लागू ही नहीं होती। यह भी नहीं कहते कि उन पंचायतों को क्या क्या अख्त्यार दिये जायें या कि उन को बिल्कुल इंडेपेन्डेन्ट बना दिया जाय, जैसे कि सूबों की सरकारें हैं। वही पुरानी दलील उनकी थी टैक्सेशन के बारे में कि पंचायतों को बर्डन नहीं किया

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भू० वं० जैन]

जाना चाहिये । एक तरफ उनको वह खुदमुख्तार बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि उनको टैक्सेशन की पावर नहीं होना चाहिये । वह इसलिये बर्डेन का लफ़्ज इस्तेमाल कर के कहते हैं कि वह उन पर नहीं डाला जाना चाहिये । यह तो अगर मैं एक तरह से कहूं तो उसी तरह से है जिसे कि कहा जाता है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई । वह इन पंचायतों को किसी तरह से फंग्शन नहीं करने देना चाहते । मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी जमात हो सकती है जो कि नई बनाई जाय और टैक्सेशन की पावर न होते हुए भी वह अच्छी तरह से फंग्शन कर सके ?

एक बात और है । यहां पर वह एक ऐसी पार्टी के नुमाइन्दे हैं जिस का जम्हूरियत पर कोई यकीन नहीं है । राष्ट्रीय स्वयम् सेवक संघ, जिस का बच्चा यह जनसंघ है, कबसे जम्हूरियत पर यकीन करने लगा, यह मैं नहीं जानता ।

बहरहाल मेरे लायक दोस्त यहां पर नहीं हैं । उन की गैरहाजिरी में मुझे कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमतों ने और लीडरान ने पंचायत समितियां और जिला परिषदें बनाने की जो स्कीम हिन्दुस्तान के सामने रक्खी है उसे कामयाब करने के लिये हमारे कम्यूनिटी डेवेलपमेंट मिनिस्टर साहब ने सारी स्टेट्स को परसुएड करके एक इन्कलाबी कदम उठा कर दिखा दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी जनसंघ ने कोई एक प्रस्ताव पास किया सारे देश में जिस के जरिये से कि जो ब्लाक डेवेलपमेंट आफिसर्स हमारे ब्लाक में काम करते हैं वह ठीक तरह से काम कर सकें , ताकि वह उस तरह की स्टैटुटरी बाडीज बन जायें, जैसी कि अब बनाई जा रही हैं ? उन्होंने एक भी प्रस्ताव पास नहीं किया, कभी भी कोई मांग नहीं की कि इस तरह से पंचायत समितियां बनाई जायें, । आज जब कि हम पंचायत समितियां बना चुके हैं बहुत से स्टेट्स में , जिला परिषदें भी बन रही हैं, तब वे इस चीज को इस तरह से क्रिटिसाइज करें, तो मैं कहे बगैर न हीं रह सकता कि यह उन की प्रोपैगैन्डा स्पीच थी ।

उन्होंने एक और बड़ा भारी इल्जाम गवर्नमेंट पर लगाया । मुझे उनकी बात को सुन कर अफसोस हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे देश में पार्टी बन्दी है और सरकार इसे बढ़ा रही है । लेकिन उन्होंने हमारे पुराने देहाती रस्मों रिवाज का हवाला देते हुए फरमाया कि देहाती जिन्दगी में बड़ी एकता थी, एक कम्यूनिटी लाइफ थी उस में, भावनात्मक एकता थी देश में, और उस भावनात्मक एकता को हमारी सरकार की पालिसीज खराब कर रही है । मैं इस प्वाइंट पर जाती तौर पर बहुत टची हूं । मैं एक गांव का रहने वाला हूं और एक गांव वाले की हैसियत से मैं अपने लायक दोस्त श्री मधोक साहब से--मुझे नहीं मालूम कि उनका गांवों से कितना ताल्लुक है--और उन के जैसे खयाल के आदमियों से कहना चाहता हूं कि अगर आज कोई आदमी यह कहे कि जैसी देहातों की जिन्दगी २० बरस पहले थी वैसी आज हो जाए तो कहना होगा कि न जाने वह कौन सी दुनिया में रह रहे हैं । पुराने जमाने में देहात की जिन्दगी क्या थी ? उस वक्त देहात की ४० प्रतिशत आबादी ने अपना एक लो स्टेट्स कबूल कर लिया था, पुराने रिवाजों के हिसाब से उनकी बराबर की हैसियत नहीं थी । जिन को हम अनटचेबिल्स कहते थे, या जिनको लो कास्ट कहते थे । या जिनको शिड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लासेज़ कहते हैं । उनका और सोकाल्ड हायर क्लासेज़ का कोई बराबर का स्टेटस नहीं था और मैं इसकी बद किस्मती कहता हूं -- वह शायद इसको खुशकिस्मती कहें--कि पुराने रिवाज के हिसाब से उस ४० फीसदी आबादी ने अपना लो स्टेटस कबूल करलिया था । उन लोगों ने यह मान लिया था कि उनको परमात्मा ने लो स्टेटस दिया है और उसको उन्होंने कबूल कर लिया । मुझे खुशी है कि आज आजादी मिल ने के बाद उन्होंने

उस स्टेटस को कबूल करने से इन्कार कर दिया है और वह आगे आ कर कहते हैं कि हमारा भी बराबर का दर्जा है और जब ये लोग इस तरह सामने आए तो इनके और सो काल्ड हायर कास्ट वालों के बीच, जो कि इस ४० फी सदी आबादी को नीचा समझते थे, अमन कैसे कायम रह सकता है और मुझे खुशी है कि पंचायत राज्य का सिस्टम कायम होने पर . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को दो मिनट में समाप्त करना चाहिये ।

श्री मू० चं० जैन : अब तो सरकार की तरफ से वक्त की कोई पाबन्दी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप के कहने पर ही मैं ने यह सात मिनट की पावन्दी लगायी थी ।

†**श्री मू० चं० जैन :** उस के बाद तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस के बावजूद जो नाम मेरे सामने हैं उनको देखते हुए मैं एक एक माननीय सदस्य को सात मिनट से ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, और आपने तो अभी अपनी बात शुरू भी नहीं की है।

श्री मू० चं० जैन : मेरे इस मसले में गहरी दिलचस्पी है और मैं अहम प्वाइन्ट्स को ही टच कर रहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इससे इन्कार नहीं करता लेकिन मेरी निगाह तो घड़ी पर लगी है और वह बराबर चलती जा रही है।

श्री मू० चं० जैन : मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करता हूं।

यह जो समाज का वीकर सेक्शन है इसको नए हालात में देहात की जिन्दगी में एडजस्ट करना होगा और मुझे खुशी है कि इस एडजस्टमेंट के काम में यह पंचायत राज पंचायत समितियां और जिला परिषद बड़ी मुअस्सर साबित हो रही हैं।

इस वीकर सेक्शन की हालत सारे देश में एक सी ही है। मगर इस पंचायत राज के बावजूद इनको पूरा रिप्रेजेंटेशन पंचायतों और पंचायत समितियों या जिला परिषदों में नहीं मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि पंजाब को छोड़ कर और राज्यों में चुनाव का सिस्टम कुछ ऐसा है कि उसकी वजह से इन लोगों का सही रिप्रेजेंटेशन इन संस्थाओं में रिफलेक्ट नहीं हो पाता। और जब तक प्रोपोरशनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम जो कि पंजाब में लागू है और राज्यों की पंचायत संस्थाओं के चुनाव में लागू नहीं किया जाएगा इस वीकर सेक्शन को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकेगा। मैंने इसके बारे में डिटेल में गवर्नमेंट को लिख कर भेजा है। मुझे खुशी होगी अगर अपने जवाब में मिनिस्टर साहब इस पर रोशनी डालें।

मैं इस बात को खास तौर से इस वजह से भी कह रहा हूं क्योंकि मुझ को बतौर स्टडी टीम के एक मेम्बर के इस चीज को राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में देखने का मौका मिला था । मैंने वहां का सिस्टम देखा तो मुझे अफसोस हुआ कि उस सिस्टम में समाज का जो कमजोर सेक्शन है उसको अपनी आबादी के हिसाब से इन पंचायतज राज्य की संस्थाओं में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता और इसका नतीजा यह है कि उनको इन पर पूरा ऐतबार नहीं है। इसकी मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। हैदराबाद के तमाम बैकवर्ड क्लासेज और हरिजन एम० पीज और एम० एल० एज ने मिल कर एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि जो उनका सोशल वैलफेयर फंड है और जिसको अभी क्लैक्टर आपरेट

[श्री मू० चं० जैन]

करता है उसको जिला परिषदों को ट्रांस्फर न किया जाए जैसा कि होने जा रहा है। इसकी क्या वजह है। इसकी वजह यही है कि इन लोगों को जिला परिषद और पंचायत समितियों और पंचायतों में पूरा ऐतबार नहीं है, और उसकी वजह यही है कि इनमें उनको पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। इसलिए जरूरी है कि जो सिस्टम पंजाब में लागू है वही दूसरे राज्यों में भी रायज किया जाए। कम्युनिटी डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस मसले को स्टडी किया है। मैं नहीं जानता कि वह किस नतीजे पर पहुंचे हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि पंजाब के सिस्टम को सारी स्टेट्स में रायज किया जाना चाहिए तभी इन वीकर सेक्शन्स को उनका पूरा रिप्रेजेंटशन इन संस्थाओं में मिल सकेगा ।

एक बात और कह कर मैं खत्म करता हूं। मेरे लायक दोस्त ने कहा कि इन पंचायतों के काम में किसी को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। किसी सियासी इंटरफरेंस के तो मैं भी खिलाफ हूं। लेकिन अगर कोई सरपंच गबन कर ले और उसकी देखभाल न हो, अगर यह मेरे लायक दोस्त का मतलब है, तब तो मैं कहूंगा कि वह दरअसल नहीं चाहते कि पंचायत राज फंक्शन करे। मैं तो चाहता हूं कि हर राज्य में पंचायतों पर फाइनेंशल मामलों में कड़ा सुपरविजन होना चाहिए और अगर इस बारे में कोई शिकायत हो तो उसकी जांच करके एक महीने के अन्दर गांव वालों का शक दूर कर दिया जाना चाहिए। ताकि लोगों को इन पर ऐतबार पैदा हो।

आखिर में, मैं डे साहब को और उनके मुहकमे को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी लगन के साथ इस काम को आगे बढ़ाया। अगर वह इतनी लगन से काम न करते तो इस काम को करने में बहुत समय लगता ।

श्री पहाड़िया (सवाई मधोपुर—रक्षित—अनुचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज्य की स्थापना का समारम्भ राजस्थान से हुआ। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है कि जहां पर पुरानी रियासतें थीं। लेकिन आप लोगों को यह जान कर ताज्जुब होगा कि रियासती जमाने में भी वहां अपने ढंग की पंचायतें थीं। वह भी ग्राम पंचायतें कहलाती थीं। उनका चुनाव नहीं होता था। सरकार का कोई अफसर उनको नामिनेट करता था। अब उसको बदल कर नया पंचायत राज्य कायम किया गया है और उसके कार्य के तीन चार साल का तजरबा अपना अपना अलग अलग हो सकता है। मैंने उसको अपने नुक्ते नजर से देखा है और मेरा अपना एक तजरबा है। मेरे दूसरे साथियों का दूसरा तजरबा हो सकता है। मैं इस सिलसिले में अपने तजरबे की बात आपके सामने रखना चाहता हूं।

पंचायत राज और पंचायती राज की बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। और जो यह पंचायत राज चल रहा है उसकी वर्किंग की थ्योरी का मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात तो सही है कि पंचायती राज और पंचायत राज में भिन्नता है। उनके अलग अलग तरीके हैं। मिसाल के तौर मैं यह भिन्नता देखता हूं कि जहां पंचायत राज कानून से बना है वहां पंचायती राज लोगों की अपनी इच्छा से था। दूसरी भिन्नता यह है कि इसमें चुनाव होता है और पंचायती राज में अपने आप चुनिन्दा लोग आ जाते थे। तीसरी भिन्नता यह है कि पंचायत राज सरकार द्वारा चलाया जाता है और पंचायती राज को लोग अपने आप चलाते थे।

यह बात सही है कि जैसे-जैसे समय बदलता रहता है पुरानी संस्थाएं खत्म होती जाती हैं जैसे गंगा का बहता हुआ पानी अपने साथ पत्थर और लक्कड़ सब को बहा ले जाता है। उस बहाव में जो मजबूत होते हैं वही टिके रहते हैं। तो समय के साथ अनेक पुराना चीजें बदलती हैं और अगर हमारा पंचायती राज भी बदला है तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। आज जो पंचायत राज चल रहा है उसमें कुछ खामियां हो सकती है क्योंकि हमारे गावों में पुराने किस्म के लोग बसते हैं, वहां अभी पूरी तरह शिक्षा का प्रचार नहीं हो पाया है। इसीलिए जितनी ज़ल्दी हम चाहते हैं उतनी जल्दी पंचायत राज का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई हमारे इरादों और विचारों पर शक करता है तो मैं समझता हूं कि वह अपने आप पर शक करता है। और जो ऐसे लोग हैं उन्होंने मेरे ख्याल से सारी स्कीम को समझा नहीं है।

यह सही है कि जो गांवो में इन संस्थाओं के लिए चुनाव होते हैं उनमें ग्रुपबन्दी होती है और उससे जाति बिरादरी की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी मालूम है कि इन चुनावों ने जाति पांत की भावना को खत्म करने में भी बड़ा भाग लिया है। अगर इन चुनावों से कुछ जगह जाति बिरादरी की भावना बढ़ी है तो अनेक जगह इस चुनाव के झंझावात ने जाति बिरादरी को झोंपड़ी को उखाड़ कर फेंक दिया है। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि अगर इस प्रकार जाति बिरादरी खत्म हो जाए तो यह हमारे देश का बड़ा सौभाग्य होगा।

कुछ रुपए के खर्च की गड़बड़ियों का भी यहां जिक्र किया गया। मैं मानता हूं कि जरूर इस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। इसका कारण यह है कि जो लोग गांव में रहते हैं वे आम तौर से अच्छा हिसाब किताब नहीं जानते। इस काम के लिए या तो सरकार की तरफ से कर्मचारी नियुक्त कर दिए जाते हैं या पंजायत अपनी तरफ से ही कुछ कर्मचारी रख लेती है। लेकिन ये कर्मचारी भी गांवों के रहने वाले होते हैं और आंकड़ों के काम को पूरी तरह नहीं जानते। हमें ऐसे आदमी भी मिल सकते हैं जोकि हिसाब किताब और आंकड़ों को जानते हों लेकिन उनको हमें अधिक तनख्वाह देनी पड़ेगी और तब सवाल यह आता है कि उनको कहां से इतनी तनख्वाह दें और कैसे उनके रहन सहन का इंतजाम किया जाये। इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमारा यह "स्लो एंड स्टैडी विंस दी रेस" वाला तरीका चल रहा है वह ठीक है और उस को कबूल करना चाहिए। जो गलतियां हम ने की हैं उन गलतियों को हम सुधारना चाहते हैं और उन भूलों से हम बचना चाहते हैं। जो तल्ख तजुर्बे हमें हुए हैं उनको हम दुबारा दुहराना नहीं चाहते लेकिन यह बात भी सही है और मैं मानता हूं कि अगर कानून के जरिए से कोई बात बदल गई होती तो मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान का समाज एक समाज न रह कर गवर्नमेंट बन गया होता। जाहिर है कि यह सब बातें कानून के जरिए हल नहीं की जा सकतीं। कानून एक तरीका और एक माध्यम है जो कि हमें रास्ता बतला रहा है। कुल मिला कर हमें ही बदलना होगा और कानून की मंशा को हमें ही पूरा करना होगा। कानून की किताब उस मंशा को पूरा नहीं करेगी। हमारे देशवासियों को और खास तौर से जो इस बात को समझने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस मंशा को समझें और उसको पूरा करने का प्रयत्न करें। अब उस मंशा को समझने और उसे पूरा करने के लिए अगर पार्टी के तौर पर काम किया गया और मुल्क को दूर रख दिया गया और कायदे कानून के झंझट में पंचायतों को फंसा दिया गया तो जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है यह पंचायतें पंचायतें न रह कर अदालतें बन जायेंगी। उस

[श्री पहाड़िया]

हालत में यह जो मुकदमेबाजी पर होने वाले खर्च को बन्द करने और वहीं गांव में बैठ कर आपस में बातचीत कर के मामलात तय करने की बात हम सोच रहे हैं वह मंशा हमारी पूरी नहीं होने वाली है । इसलिए मैं अपने सभी लायक दोस्तों और देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पंचायती राज्य को पार्टी लाइन पर न समझें । यह कोई कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का प्रोग्राम नहीं है बल्कि यह मुल्क का प्रोग्राम है । अब हमारे डे साहब इस चीज को सामने लाये उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं लेकिन इसके यह मायने नहीं हैं कि यह तमाम जिम्मेदारी डे साहब की है । उसके लिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको कुलशता से चलाया जाये । हम सब लोगों को देखना चाहिए कि कैसे इस पंचायत राज्य के काम को आगे बढ़ाना है । अब उसमें गलतियां होती हैं तो हों । लेकिन जैसा कि मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा था कि अगर एक बड़ा आदमी कोई गलती करता है तो उसका नुकसान बहुत लोगों को होता है। अगर इस मुल्क के प्रधान मंत्री जी या राष्ट्रपति जी कोई गल्ती करें तो उससे सारे देश को नुकसान पहुंचेगा लेकिन उसके विपरीत अगर एक पंच अथवा पंचायत कोई गलती करती है तो उसका नुकसान एक सीमित दायरे तक ही रहेगा और उसकी हम फौरन पकड़ भी लेते हैं और उससे हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है ।

मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि पंचायत राज्य में कोई खामियां नहीं हैं और जो खामियां हैं उनको मैं छिपाना नहीं चाहता । मैं इस पर ज्यादा विस्तार से तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरा समय पूरा होने वाला ही है लेकिन अपने में प्रांत राजस्थान की बाबत अवश्य कहना चाहता हूं कि वहां पर जो पंचायतें बनी हैं वह बहुत छोटी बनी हैं और छोटी होने के कारण खर्चा वहन नहीं कर पाती हैं। इस कारण उनमें बहुत गड़बड़ भी हो जाया करती है । मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाये कि उसका कैसा रूप रहे। उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मेरी राय में तो आज पंचायतें बहुत छोटी हो गई हैं। यह जरूर है कि पहले पंचायतें बहुत बड़ी थीं लेकिन अब जो पंचायतें बनी हैं वह बहुत छोटी हैं। इसलिए अगर सम्भव हो सके तो स के बारे में जांच की जाये और पंचायतों को आबादी या एरिया जिस हिसाब से भी आप मुनासिब समझें, बनाया जाना चाहिए। ऐसा होने से मैं समझता हूं कि यह जो खर्चे की समस्या बारबार आती है, रिसोर्सेज की समस्या बारबार आती है वह नहीं आयेगी ।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनावों के सम्बन्ध में मैं जैन साहब ने जो सलाह दी उससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं हालांकि म उनकी इस बात को सही मानता हूं कि रिप्रेजेंटेशन अगर प्रपोरशनल हो तो वीकर सैक्शन आफ दी सोसाइटी को ज्यादा मौका मिलेगा । आज जो जातिवाद, लोकलिज्म और ग्रुपिज्म बढ़ी है उसका एक कारण यह भी है कि कुछ सैलेक्टेड व्यक्तियों के हाथ में सत्ता आ ई गई है, मत देने की ताकत आ गई है और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सम्भव हो सके तो मुल्क के हर एक प्रांत में पंचायत समिति का प्रधान सरपंचों के द्वारा नहीं चुना जाना चहिए बल्कि पंचायतों के मैम्बरों द्वारा चुना जाना चाहिए । सरपंच अगर चुनते हैं तो वह तो थोड़े से व्यक्ति होते हैं और उनके लिए कहा जा सकता है कि खरीद लिया है अथवा डरा दिया है लेकिन अगर उनका चुनाव पंचायत के मेम्बर करते

हैं तो उनकी संख्या ज्यादा होगी और उन के बारे में इस तरह के आरोप नहीं लगाये जा सकेंगे और इसको ले कर यह जो इतना बड़ा हंगामा मचा हुआ है वह न हो सकेगा।

इसी तरह से जिला परिषद् का जो प्रमुख होता है उसका चुनाव भी पंचायत समिति का प्रधान करता है। अब एक जिला परिषद् में ज्यादा से ज्यादा ८, १० या १२ आदमी होंगे। मेरी समझ में १५ तो कहीं पर न होंगे। वह जो प्रधान होते हैं वह जिला परिषद् के प्रमुख को चुनते हैं। चूंकि वह भी संख्या बहुत थोड़ी होती है इसलिए प्रधानों के बजाय वहां पर सरपंच अगर जिला परिषदों के प्रमुख का चुनाव करें तो ज्यादा वाजिब बात हो सकती है।

हम सब चाहते हैं कि पंचायत राज्य का विकास हो लेकिन पंचायत राज्य का विकास अभी नहीं हो रहा है हालांकि मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि उनका विकास होगा। अब इसके रास्ते में सब से बड़ी रुकावट रैडटेपिज्म की है जो कि बराबर चलती रहती है और यह ऊपर से चलती है। अब यह लालफीतेशाही नीचे भी घुस गई है जिसके कि कारण हमारा गांव का आदमी बहुत परेशान हो गया है। आज हो यह रहा है कि गांव वाला पहले तहसील में दौड़ता है फिर निजामत में और उसको वही मुंशी और क्लर्क के यहां भाग भाग कर जाना पड़ता है। पंचायत समिति का एक बड़ा मुहकमा खुल गया है। वहां पर ४०–५० आदमियों का स्टाफ लगा होता है। किसान अगर कर्जा लेने अथवा तकावी के लिए दरख्वास्त देता है तो उसे उसके मिलने में बड़ी परेशानी पेश आती है। मैं चाहता हूं कि अगर सम्भव हो सके तो आज वहां पर जो लालफीतेशाही का दौरदौरा है उसे खत्म कर दिया जाये ताकि हमारे किसान भाई उस परेशानी से बच जायें।

आखिर में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इसके लिये साफ तौर से अपने अधिकारियों को निर्देश देना होगा, निर्देश तो दिया हुआ है लेकिन उनको पर्सनली यह समझाना होगा कि उन का यह कर्त्तव्य है कि वीकर सैक्शन आफ दी सोसाइटी की मदद करें और उनको ऊपर उठाने का प्रयास करें। उनका कर्त्तव्य देश और समाज की सेवा करना है और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हमारे अधिकारीगण निष्पक्ष रूप से काम करें। वे लोग निष्पक्ष रूप से तभी काम कर सकेंगे जब उन के ऊपर जो यह भूत हर समय लगा रहता है कि उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया जायेगा और उनका प्रमोशन रोक दिया जायेगा अथवा उनका तबादला कर दिया जायेगा, यह भूत उनके सिर पर न रहे। इसलिए कोई ऐसी उचित व्यवस्था की जाये ताकि उन अफसरों के दिमाग पर जो यह भूत सवार है वह उतर जाये और ऐसा होने पर ठीक से काम चलेगा।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय शासन के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत का कोई भी व्यक्ति जो जनतंत्र में विश्वास रखता है विरोध नहीं करेगा और वह उसका स्वागत ही करेगा। ऐसी अवस्था में इस सरकार द्वारा और इसके कहने पर और इस की सलाह पर प्रादेशिक सरकारों द्वारा जो शासन के विकेन्द्रीकरण करने की योजनाएं बनाई गई हैं सिद्धांत रूप में मैं उनका स्वागत करता हूं। अब प्रश्न यह है कि शासन का विकेन्द्रीकरण जिस शक्ल में किया जाना चाहिए क्या उस शक्ल में जिला परिषदें, पंचायत समितियां या पंचायतें पहुंच रही हैं? जब हम इस बात को देखते हैं तभी यह लगता है कि भले ही यहां दिल्ली में बैठ कर मंत्री लोग और दूसरे अधिकारी लोग यह सोचते हों कि शासन विकेन्द्रीकरण कर रहा है लेकिन हकीकत यह है कि वह उस शक्ल में नहीं हो रहा है जिस शक्ल में कि

[श्री ब्रजराज सिंह]

उसे होना चाहिए। हम सब की यह इच्छा होनी चाहिए सद्भावना होनी चाहिए कि शासन का सही मायने में विकेन्द्रीकरण हो। जिला परिषदें, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें शक्तिशाली बनें क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि हिन्दुस्तान जैसे मुल्क कभी भी दिल्ली, लखनऊ अथवा जयपुर में बैठ कर राज्य नहीं चलाया जा सकता है। अगर देश की जनता के हित में राज्य चलाना है तो वह जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम सभाओं द्वारा ही चलाया जा सकता है। उसी से जनता का सीधा सम्बन्ध हो सकता है। इसलिए यह उचित ही है कि हिन्दुस्तान की सरकार इस पर बहुत ही महत्व के साथ सोचे और शासन के विकेन्द्रीकरण को पूरा करने के लिये उचित कदम उठाये।

मुझे खुशी है कि भले ही कुछ खामियां रही हों लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाये गये हैं जिन से हम लोग शासन के विकेन्द्रीकरण की ओर जाते हैं। विशेषकर कुछ राज्यों में विकेन्द्रीकरण जिस शक्ल में हुआ है उससे नौकरशाही की सत्ता को कुछ धक्का लगा है। आज जनतंत्र को सफल बनाने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे देश में ब्रिटिश परम्परा के अनुसार जो नौकरशाही बहुत मजबूत हो गई है उसको कमजोर किया जाय। अगर उस नौकरशाही को हमें सही मायनों में जनसेवक बनाना है तो यह निहायत ही आवश्यक है कि उसे हमें कमजोर करना पड़ेगा। जब तक उसकी शक्ति को हम काटेंगे नहीं तब तक जनतंत्र सफल नहीं होगा और न ही शासन का विकेन्द्रीकरण हो सकता है।

मैं जानता हूं कि विकेन्द्रीकरण आज की अवस्था में कम से कम बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमारे देश की जनता शिक्षित और जितनी जागरूक उसे होना चाहिये वह नहीं है और इस कारण नौकरशाही इस तरह का कदम उठा सकती है जिससे जो कानून बनाने का अधिकार उसे मिला है उसको खत्म कर सकती है और आजकल यही हो रहा है। मंत्रियों का ध्यान और सरकार का ध्यान इधर जाना चाहिये। जो भी कानून बनता है उसमें कहीं न कहीं इस तरह की खामी रक्खी जाती है या निकालने की कोशिश की जाती है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों की ताकत कम हो जाय और जो सरकारी लोग उसमें मंत्रियों की हैसियत से, सेक्रेटरी की हैसियत से और सलाहकार की हैसियत से होते हैं उनकी ताकत बढ़ जाय। अगर अपनी ताकत बढ़ाने का उन का मन्शा पूरा हो जाता है, तो फिर विकेन्द्रीकरण की सारी योजना असफल हो जाती है। पंचायत समितियां बनाई गई हैं, लेकिन क्या उन को वे अधिकार मिले हैं, या उन को वे अधिकार देने की कोशिश अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, जिन्हें देना हम सिद्धान्ततः स्वीकार कर चुके हैं? ऐसा नहीं किया गया है। अगर इन संस्थाओं के अध्यक्ष--जिला परिषद् पंचायत समितियां ग्राम सभा के प्रमुख--का चुनाव कभी भी अप्रत्यक्ष रूप से होगा, तो वह व्यक्ति जनता का सही मायने में प्रतिनिधि नहीं हो सकता है और न ही वह जनता के लिए काम कर सकता है। उत्तर प्रदेश में जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। वह अध्यक्ष कभी भी जिले का सच्चा प्रतिनिधि नहीं हो सकता है और न जनता की सही मायने में सेवा कर सकता है।

इसलिये सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट होना चाहिये कि सारे हिन्दुस्तान में एक तरह का कानून बने और इन संस्थाओं के सदस्य और अध्यक्ष निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से चुने जायें और उन्हें अपने क्षेत्रों में वही अधिकार प्राप्त हों, जो कि लोक-सभा और विधान सभाओं को अपने अपने क्षेत्र में प्राप्त हैं। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि पंचायत-राज की योजना पर अमल होने के बाद हम यह देखते हैं कि लोक सभा का सदस्य यह समझता है कि असेम्बली के सदस्य से उस की हैसियत बड़ी है, और असेम्बली और लोक-सभा के सदस्य यह समझते हैं

कि जिला परिषद् के सदस्य से उन की हैसियत बड़ी है और लोक-सभा, असेम्बली और जिला परिषद् के सदस्य तीनों यह समझते हैं कि उन की हैसियत ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के अध्यक्ष और सदस्य से बड़ी है।

श्री पहाड़िया : राजस्थान में हम यह नहीं समझते।

श्री ब्रजराज सिंह : इस तरह की भावना को निकालना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण में विभिन्न संस्थाओं के अधिकार-क्षेत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सब के अधिकार एक से रहेंगे। देश के शासन में लोक सभा, विधान सभा, जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम सभा को अलग अलग विषय दिये जा सकते हैं, लेकिन अपने में वे पूर्णतया स्वतंत्र और प्रभुसत्ता-सम्पन्न रहें और दूसरे को उन के मामलों में दखल देने का अधिकार न हो।

जहां तक दखल देने का प्रश्न है, उसका यह अर्थ नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार या गबन का मामला हो, तो भी उस के निराकरण के लिये कोई पग न उठाया जाये। गबन तो यहां केन्द्रीय सरकार में भी होता है और उस की देख-भाल करने के लिये लोग मौजूद हैं। हमारे कानून में उस के लिये सजा निश्चित है। इन सब संस्थाओं में, चाहे वह लोक-सभा हो, चाहे पंचायत समिति, इस सम्बन्ध में नियम लागू होने चाहिये, उस में दो रायें नहीं हो सकती हैं। दखल न देने के सिद्धान्त का अर्थ यह है कि केन्द्र या सूबे के किसी मंत्री का यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह किसी जिला परिषद् के अध्यक्ष को निकाल सकता है, या यदि वह उन की राय के खिलाफ चलेगा, तो पूरी की पूरी परिषद् को खत्म किया जा सकता है। जब तक इस प्रकार दखल देने की प्रवृत्ति को समाप्त नहीं किया जायगा, तब तक इस देश में पंचायत राज की योजना सफल नहीं हो सकती है।

इस सम्बन्ध में एक आवश्यक विषय है कर का, पैसे का। अगर हम ने अपने देश में विकेन्द्रीकरण को सफल बनाना है, तो हमें अपने देश के कर के ढांचे को बदलना होगा और यह तय करना होगा कि कर की वसूली तो एक जगह हो, लेकिन उस को एक चौथाई के हिसाब से सब स्तरों पर बांट देना चाहिये। आज स्थिति यह है कि केन्द्र, राज्य, जिला परिषद्, पंचायत समिति सब कर लगा रहे हैं, जिस का नतीजा यह है कि केन्द्र को अधिक कर मिल जाता है और सीमित क्षेत्र की संस्था अर्थात् ग्राम सभा और ग्राम पंचायत आदि को कम कर मिलता है। सरकार को इस सुझाव पर विचार करना चाहिये कि यदि जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम सभा आदि संस्थाओं को सफल बनाना है, तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वे अलग से कर न लगायें, कर लगाने का उन का खुद का कोई क्षेत्र न रहे और सारे देश में कर की व्यवस्था एक स्तर पर और एक क्षेत्र में हो और उस को इस आधार पर सब में बांट दिया जाये कि केन्द्र को इतने प्रतिशत, सूबे को इतने प्रतिशत और जिला परिषद् और ग्राम सभा आदि को तने प्रतिशत दिया जायेगा। इस व्यवस्था से किसी को शिकायत नहीं रहेगी और सब को विकास का मौका मिल जायगा। अगर वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जाता है कि केन्द्रीय सरकार या सूबे की सरकार जिस को जितना चाहे दे, तो पक्षपात पैदा होगा। आज भी हम देखते हैं कि सूबों की सरकारें प्लानिंग कमीशन के दरवाजे पर चक्कर काटती हैं और छोटी संस्थायें अर्थात् जिला परिषद् और पंचायत समितियां केन्द्र के सम्बद्ध मंत्रालय और सूबों के विभागों के दरवाजे खटखटाती हैं कि उन को ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिये। इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि उसूली तौर पर यह निश्चित कर दिया जाये कि सब को प्रतिशत के हिसाब से रुपया दिया जायेगा।

[श्री ब्रजराज सिंह]

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी शुभ-कामना पंचायत-राज की स्कीम के साथ है और मैं चाहता हूं कि शासन का विकेन्द्रीकरण हमारे मुल्क में सफल हो। जितना सहयोग हम से हो सकता है, वह हम देंगे। लेकिन यह योजना तभी सफल हो सकती है, जब केन्द्र और राज्यों में इस बारे में एक सेन्स आफ़ मिशन हो। सरकारी अधिकारियों के द्वारा मिशन की वह भावना नहीं पैदा हो सकती। उस के लिये यह आवश्यक है कि मंत्रियों का ध्यान उस ओर जाये।

†**श्री कालिका सिंह** (आजमगढ़) : भारत के लगभग सभी राज्यों में पंचायतों की स्थापना हो चुकी है। संविधान के अनुच्छेद ४० में कहा गया है कि पंचायतों में स्व-शासन की इकाइयों के रूप में काम करने की क्षमता पैदा करनी चाहिये।

विभिन्न देशों में स्व-शासन के अर्थ विभिन्न लगाये जाते हैं। इसलिये हमें स्व-शासन शब्द की परिभाषा स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये। इतना स्पष्ट हो जाना चाहिये कि स्व-शासन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि पंचायतें सरकारी विभागों के रूप में काम करने लगें।

अभी सरकारी पत्रिका "कुरूक्षत्र" के अक्तूबर अंक में एक अधिकारी का एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसने लिखा था कि गैर-सरकारी सभापति को सरकारी अधिकारियों से अधिक शक्ति देना मूर्खतापूर्ण है।

जब कि हमारे प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि पंचायतों को स्व-शासन की इकाइयों के रूप में काम करने दिया जाये।

इसलिये निर्वाचित सभापतियों को पर्याप्त शक्ति प्रदान की जानी चाहिये।

सारे उत्तर प्रदेश में निर्वाचित गैर-सरकारी सभापति काम कर रहे हैं। इसलिये अधिकारी का वह लेख बिलकुल ही गलत ढंग का था। ऐसे लेख नहीं लिखे जाने चाहियें।

वास्तव में, स्व-शासन के नेताओं का दायित्व तो जिला परिषदों के सभापतियों को ही निभाना है। उनको समुचित महत्व दिया जाना चाहिये और अधिकारियों को कोई भी अनुचित हस्तक्षेप उसमें नहीं करना चाहिये।

मैं इस बात से सहमत नहीं कि निर्वाचनों में सर्वसम्मति हो। जिलाधीश के दबाव के कारण कोई ग़लत व्यक्ति भी सर्वसम्मति से चुना जा सकता है। इसलिये जिलाधीशों को ऐसी सर्वसम्मति प्राप्त करने के आदेश नहीं दिये जाने चाहियें।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों को नहीं, बल्कि पंचायतों द्वारा सम्पन्न होने चाहिये।

†**डा० क० व० मेनन** (बडागरा): मैं आरम्भ में ही कह देना चहता हूं कि मैं जो भी कुछ कहने जा रहा हूं, वह व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित नहीं है। इस लिये कि मेरे राज्य में अभी तक इसे लाग नहीं किया गया है।

मुझ इस के सम्बन्ध में एक भ्रांति फैली दिखती है। यह कि हमारे प्राचीन भारत की पंचायतें ठीक वही हैं, उसी प्रकार की हैं जैसी कि आज पंचायत राज अधिनियमों के अन्तर्गत बनाई जा रही

†मूल अंग्रेजी में

हैं। प्राचीन काल की हमारी पंचायतें अपने निर्णय रीति-रिवाजों और परम्पराओं के आधार पर करती थीं।

आज की हमारी पंचायतें पहले की भांति न तो आत्मनिर्भर हैं और न स्वायत्त, उनके दलगत हितों को भी साधना पड़ता है। हमें परिस्थितियों के अन्तर को, परिवर्तन को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये। आज की पंचायतों को नाम की स्वतंत्रता है।

राजस्थान में गत एक वर्ष में सरपंचों की संख्या ३,००० से बढ़ कर ७,००० और पंचों की संख्या ८०,००० से ९०,००० हो गई है। इससे पता चलता है कि गांवों की जनता पंचायतों के निर्वाचनों में कितनी अधिक रुचि लेने लगी है। अब हमें यहां यह सावधानी रखनी चाहिये कि निर्वाचनों में किसी भी तरह अवांछनीय लोग न आपायें।

लेकिन विस्तार खंडों के स्तर पर अधिकारियों और गैर-सरकारी लोगों के बीच, चुने हुये पदाधिकारियों के बीच सहयोग की बड़ी कमी रही है। नये अधिनियम ने कोशिश की है कि दोनों के बीच सहयोग बढ़े। परन्तु राजस्थान के परिणामों को देखते हुये, मैं कह सकता हूं कि वहां प्रधानों और प्रमुखों में पूर्ण सहयोग स्थापित नहीं हो पाया है। इस दृष्टि से मैं अधिनियम को असफल मानता हूं।

विकेन्द्रीकृत लोकतन्त्र की नीव डालने का काम भी यह अधिनियम नहीं कर पाया है। जनता के हांथ में वास्तविक शक्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ है।

पंचायतों और पंचायत-समितियों का अधिकांश समय पदाधिकारियों की नियुक्तियों और तबादिलों की चर्चा में ही चुक जाता है। इससे पता चलता है कि उनका सही ढ़ंग से पथ प्रदर्शन नहीं हो रहा है।

इस सम्बन्ध में मेरे तीन सुझांव हैं। सदस्यों और समूचे प्रशासन की योग्यता बढ़ाने का प्रयास किया जाये। दूसरा यह कि पंचायत दारों के विकेन्द्रीयकृत लोकतन्त्र की भावना में दीक्षित किया जाये। तीसरा सुझाव यह है कि चायतों में अनुभवी और ईमानदार राजनीतिज्ञों को लाया जाये। आशा है सरकार इन सुझाओं पर ध्यान देगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : प्राचीन काल की पंचायतों को आज की पंचायतों के साथ गड़बड़ाना घातक होगा। हमें दोनों का अन्तर समझ लेना चाहिये। हम प्राचीन काल की परम्पराओं को ज्यों का त्यों आज लागू नहीं कर सकते। प्राचीन काल की पंचायतों को अपने क्षेत्र में पूर्ण प्रभुता प्राप्त थी। वर्तमान पंचायतों को उतनी शक्ति नहीं है।

आज हम अपनी पंचायतों को राज नीति से बिल्कुल अछूती बनाकर नहीं रख सकते। यह निश्चित है।

लोक प्रशासन प्रतिष्ठान के सदस्यों ने इस पर चर्चा की थी। लगभग सभी सदस्यों का यही मत था कि राजनीति को पंचायतों में घुसने देने में कोई हानि भी नहीं है। अभी अभी सामुदायिक विकास मंत्री के पास उनके निर्वाचन-क्षेत्र की पंचायत समिति के सभापति और अन्य सभी सदस्यों ने पत्र लिखे हैं कि उनको यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि वह उसी क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मोहीउद्दीन)**: पंचायत के सभापति के रूप में नहीं, अपनी व्यक्तिगत हैसियत से वह पत्र लिखा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इससे यह तो पता चलता है कि उनको राजनीति में दिलचस्पी है। वे लोग संसद् और विधान सभाओं के चुनाव पर भी अपना प्रभाव डालेंगे ही।

हमें यथार्थ को देखना चाहिये। मैं इस में कोई हर्ज भी नहीं समझता कि वे राजनीति में दिलचस्पी लें। यह भ्रांति दूर की जानी चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि सरकारी स्तरों पर भी पंचायती राज की विभिन्न धारणायें बनी हुई हैं। माननीय मंत्री की एक धारणा है, तो योजना आयोग की दूसरी। इस लिये सब से पहले इसी को स्पष्ट किया जाना चाहिये। तभी हम उसके विकास के उपाय सोच सकेंगे। अभी इस समय तो विभिन्न सरकारी विभागों की अपनी-अपनी विभिन्न धारणायें बनी हुई हैं।

पंचायतों के कार्य के सम्बन्ध में सबसे अच्छी और व्यापक रिपोर्ट हमें महाराष्ट्र से मिली है। उस पर शायद उनके विधान सभा के अगले सत्र में चर्चा होगी।

सभा को पंचायतों के संगठन, उनके ढांचे, और उनकी पूरी व्यवस्था के बारे में दो-तीन दिन चर्चा करके कुछ निष्कर्ष निकालने चाहिये।

अभी पंचायत राज के बारे में एक पूरी तस्वीर मिलना असंभव है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में उसकी पूरी स्थापना नहीं हुई है।

मैं बिना किसी हिचक के कह सकता हूं कि इस विकेन्द्रीयकृत लोकतन्त्र की व्यवस्था का सभी दलों ने स्वागत किया है। सभी ने उसके बारे में काफी गम्भीरता से सोचा है। माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि जिला परिषद् को कुछ शक्तियां देने का विचार है, या नहीं।

मैं इस सम्बन्ध में एक चेतावनी देना चाहता हूं। पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर हम एक विचित्र सा दोहरा शासन बनाते चले जा रहे हैं। उसे पनपने नहीं देना चाहिये।

जब पंचायती राज पंचों को ही अनुप्राणित नहीं कर सका, तब फिर आगे क्या सफलता की आशा की जा सकती है।

देश के सामाजिक-आर्थिक काया-कल्प का उद्देश्य इसी पंचायती राज द्वारा पूरा किया जाना है। परन्तु वह तभी किया जा सकता है जब देश की जनता को अनुप्राणित किया जाये। इसके बिना कुछ भी नहीं होगा।

मेरे एक माननीय मित्र ने भारत की पंचायतों और चीन के कम्यूनों की तुलना की थी। दोनों में जमीन आसमान का अन्तर है। हमारा तरीका बिल्कुल ही दूसरा है। मुख्य चीज यह है कि जनता स्वयं ही कार्य पूरा करने में जुटे।

मैं प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि लोक तंत्र का पंचायती राज के जरिये विकेन्द्रीयकरण करना देश में एक सामाजिक-आर्थिक क्रांति करना है। परन्तु जिला परिषद् से पंचायतों के स्तर तक, इस क्रांति की राह में सैकड़ों बाधायें हैं।

पंचायतों के चुनावों के सम्बन्ध में, मैं यह तो अच्छा समझता हूं कि वे सर्वसम्मति से हों, परन्तु अभी तक उन्हीं क्षेत्रों में सर्वसम्मति से चुनाव हुये हैं जो पिछड़े हुये हैं। इस लिये सर्वसम्मति के नाम पर चुनावों को गलत दिशा में नहीं जाने देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंचायत समितियों और जिला परिषदों को अभी अधिक शक्तियां नहीं दी गई हैं, फिर भी उनका लिखा पढ़ी का काम बहुत बढ़ गया है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की ओर से आदेशों और अनुदेशों तथा परिपत्रों की भरमार रहती है। कोई उनको देखने वाला तक नहीं। वे किसी की समझ में तक नहीं आते। इसके पुनर्गठन पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं श्री तंगामणि की यह बात पूरी तरह मानता हूं कि पंचायत समितियों के चुनाव में जोर-जबरदस्ती से काम लिया गया है। इसका कारण यह है कि निर्वाचन क्षेत्र अत्यंत सीमित रखे गये हैं।

मेरा ख्याल है कि प्रधान और सरपंचों के चुनाव एक ही साथ होने चाहियें। तभी चुनावों का आधार अधिक व्यापक होगा। पंचायती राज का प्रभाव देश की जनता के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार से पड़ता जा रहा है। उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इस लिये अच्छा हो कि हम संसद् में उसके सभी पहलुवों पर कभी विस्तार से चर्चा करलें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चौधरी रणवीर सिंह।

चौ० रणवीर सिंह : (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई दोस्तों ने इस बारे में अपने विचार प्रकट किये कि पंचायतों को और पंचायती राज को किस ढंग से चालू किया गया। कइयों को, खास तौर पर श्री तंगामणि को, यह गिला है कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को पंचायतदारों से क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया। वे समझते हैं कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री कोई भूत हैं। मैं समझता हूं कि अगले चुनाव का डर उनको उस तरफ ले जा रहा है। हमारे प्रधान मंत्री हिन्दुस्तान के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े इन्सान हैं। अगर उनको लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जायें, तो हर एक आदमी उस का स्वागत करेगा और उनको भी करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, २७ नवम्बर, १९६१/६ अग्रहायण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, २५ नवम्बर, १९६१
४ अग्रहायण १८८३ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५९३–६१८
तारांकित प्रश्न संख्या		
२४८	बेरोजगार असैनिक विमान चालक	५९३–९५
२४९	डाक विभाग को धोखा देना	५९५–९६
२५०	चीनी का लाना ले जाना	५९६–९९
२५१	दिल्ली में बिजली की सप्लाई का बन्द हो जाना	५९९–६००
२५३	हार्ट फाउंडेशन	६००
२५४	सिली गुड़ी रेल दुर्घटना	६०१
२५५	सिलेरू परियोजना	६०२–०३
२५६	राजस्थान में घग्घर नदी में बाढ़	६०३–०५
२५७	उपभोक्ता सहकारी समिति	६०५–०६
२५८	राष्ट्रीय हैजा उन्मूलन योजना	६०६–०८
२५९	टेलीप्रिंटर का कारखाना	६०८–०९
२६०	अन्तर्राष्ट्रीय बीज वर्ष	६०९–१०
२६२	बम्बई-पूना लाइन पर रेलवे गार्ड की हत्या	६१०–११
२६३	रेलवे कर्मचारियों की पदच्युति	६१२–१४
२६४	गण्डक परियोजना	६१४–१५
२६८	भड़ोंच के समीप बोगी का पटरी से नीचे उतर जाना	६१५–१६
२६९	गुंटाकल से होसपेत तक बड़ी लाइन	६१६–१७
२७०	खाद्य तथा असैनिक संभरण विभागों के भूतपूर्व कर्मचारी	६१७–१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६१८
तारांकित प्रश्न संख्या		
२५२	नौवहन का विकास	६१८
२६१	इंजिनों और सवारी डिब्बों का विकास	६१८
२६५	माल डिब्बों की लदाई और उतराई सम्बन्धी नियम	६१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२६६	स्त्रियों तथा बच्चों का कल्याण	६१९
२६७	प्रिंटरग्राम टेलीग्राफ सेवा	६२०
२७१	एयर इंडिया इन्टरनेशनल का संचालन लाभ	६२०
२७२	मिलों में चीनी का उत्पादन	६२१
२७३	अलीगढ़ में कालका मेल का रोका जाना	६२१
२७४	बिहार में हैजा	६२१–२२
२७५	अमेरिका को चीनी का निर्यात	६२२–२३
२७६	डाक तार विभाग में अनुसूचित जातियां / आदिम जातियां	६२३
२७७	अनाज संबंधी मूल्य नीति	६२३
२७८	औषधियां	६२४
२७९	हीराकुद से मिलने वाली बिजली की दर	६२४
२८०	दक्षिण-पूर्व एशिया में संयुक्त प्रादेशिक नौवहन और विमान सेवायें	६२५
२८१	राष्ट्रीय राजपथ संख्या २९ पर डोहरीघाट में पुल	६२५
२८२	दार्जिलिंग में पर्यटन	६२५–२६
२८३	रेनीगुन्टा–तिरुपति लाइन का निर्माण	६२६
२८४	स्वर्गीय श्री के० रामाराव के परिवार को प्रतिकर	६२६–२७
२८५	पैकेज प्रोग्राम	६२७
२८६	कृषि कालिज	६२७–२८
२८७	जैनेवा चीनी सम्मेलन	६२८–२९
२८८	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास फालतू विमान	६२९
२८९	हावड़ा–नागपुर पैसेंजर में पंडित मिश्र की हत्या	६२९
२९०	दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय का स्थानान्तरण	६२९–३०
२९१	डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र	६३०
२९२	भारत में मोटर गाड़ियों पर कर	६३०–३१
२९३	रेलवे लाइनों के लिये धन निर्धारण	६३१
२९४	भारतीय व्यापारिक जहाजी बेड़ा	६३१
२९५	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा	६३२
२९६	यंत्रीकृत फार्म	६३२
२९७	लौह अयस्क परादीप पत्तन पहुंचाने के लिये परिवहन सुविधायें	६३२–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२९८	तीसरी योजना में नई रेलवे लाइनें	६३३
२९९	पश्चिमी बंगाल में चीनी का मूल्य	६३३–३४
३००	भाड़े की रियायती दरें	६३४
३०१	पाकिस्तान विमान बल के जेट द्वारा एयर इंडियन इन्टरनेशनल विमान का पीछा किया जाना	६३५
३०२	कोसगी स्टेशन पर रेलवे दुर्घटना	६३५–३६
३०३	दक्षिण राज्यों में विद्युत् संभरण के लिये सुपर ग्रिड	६३६

अतारांकित

प्रश्न संख्या

४६१	डरी उपकरण	६३६–३७
४६२	महेन्द्रगढ़ जिले में ग्राम्य जल संभरण	६३७
४६३	दिल्ली में बिजली की कमी	६३७–३८
४६४	गेहूं और चावल का आयात	६३८
४६५	हिमाचल प्रदेश में ग्राम्य विद्युतीकरण	६३८
४६६	जालन्धर होशियारपुर सेक्शन पर यात्री सुविधायें	६३८
४६७	पीपलसाना और रोशनपुर के बीच नया स्टेशन	६३८–३९
४६८	तार सेवा	६३९
४६९	वर्ष १९४७ के बाद बनाई गयी रेलवे लाइनें	६३९
४७०	दिल्ली का चिड़ियाघर	६३९–४०
४७१	उड्डयन क्लब	६४०
४७२	कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा सामान की अनियमित खरीद	६४०
४७३	पंजाब में बिजली का उत्पादन	६४०
४७४	मछली का निर्यात	६४१
४७५	कोलाघाट में मोटर कारों का परिवहन	६४१
४७६	केन्द्रीय स्वास्थ्य पदाली का निर्माण	६४१
४७७	गैर-सरकारी इमारतों में डाकखाने	६४१
४७८	महाराष्ट्र में डाक तार विभाग की इमारतें	६४२
४७९	महाराष्ट्र में डाकतार कार्यालय	६४२
४८०	सकरी गली घाट का विकास	६४२–४३
४८१	स्थानीय यात्रा के लिये मासिक और त्रैमासिक एक्ट	६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४८२	दांत संबंधी रोग	६४३
४८३	रेलों की परिवहन क्षमता	६४३–४४
४८४	दिल्ली और रेवाड़ी के बीच दोहरी लाइन	६४५
४८५	दिल्ली के छात्रों को रियायती टिकट	६४५
४८६	कुत्ते द्वारा काटे जाने के इलाज के इंजेक्शन	६४५
४८७	हावड़ा में एक युवती से बलात्कार	६४६
४८८	उर्वरक के परिवहन के लिये रेल सुविधायें	६४६–४७
४८९	केन्द्रीय उर्वरक पूल	६४७–४८
४९०	रावी व्यास को मिलाने की परियोजना	६४८
४९१	राजस्थान का शुष्क क्षेत्र	६४८
४९२	स्वामी दयानद सरस्वती की स्मृति में डाक-टिकट	६४९
४९३	अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था, बंगलौर	६४९
४९४	पशुओं के लिये जीवन बीमा	६४९–५०
४९५	सिंचाई सहकारी संस्थायें	६५०
४९६	कलकत्ता पत्तन के तलकर्षण यंत्र	६५०–५१
४९७	दामोदर घाटी का सिंचाई जल	६५१–५२
४९८	स्नातकोतर चिकित्सा अध्ययन	६५२
४९९	उड़ीसा के लिये चीनी का अभ्यंश	६५२–५३
५००	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण की वृहद योजना	६५३–५४
५०१	नई दिल्ली में नया बाजार	६५४
५०२	यमुना पुल दिल्ली पर यातायात	६५४–५५
५०३	जापान का कृषि अध्ययन दल	६५५
५०४	टिड्डियों का हमला	६५५–५६
५०५	बाढ़ से रेलवे को नुक्सान	६५६
५०६	इंडियन रेलवे कांफ्रेंस एसोसियेशन के कर्मचारियों की मांगें	६५६–५७
५०७	यमुना पुल, दल्ली पर यातायात का रुक जाना	६५७
५०८	दामोदर घाटी निगम के सिंचाई राजस्व	६५७
५०९	खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन मूल्य	६५७–५८
५१०	संभलपुर–टीटलगढ़ रेलवे लाइन	६५८
५११	पैकेज प्रोग्राम	६५८–५९
५१२	फतेहपुर–चुरु लाइन पर किराया	६५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५१३	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में अस्पताल	६५९
५१४	सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें	६६०–६१
५१५	स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली	६६२
५१६	इम्फाल में पोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर	६६२
५१७	इम्फाल में भंगी बस्ती	६६२–६३
५१८	गोदाम योजना	६६३
५१९	रेलवे पर सोने की व्यवस्था के लिये किराया	६६३
५२०	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विशेष रियायती वापसी टिकट	६६३—६५
५२१	आटा	६६५
५२२	माल-डिब्बों का निर्माण	६६५—६७
५२३	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा अधिक समय काम करने का भत्ता	६६७
५२४	भारतीय रेलवे में श्रेणी एक और श्रेणी दो अधिकारियों का स्थायीकरण	६६७
५२५	मेल ओवरसीयर	६६७–६८
५२६	एडाइन स्टेशन पर डकैती	६६८
५२७	भारतीय पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियां	६६८–६९
५२८	नंजनगुड–चामराजनगर मीटर गेज लाइन	६६९–७०
५२९	मैसूर राज्य में रज्जुपथ	६७०
५३०	सूखी वेक्सीन	६७०
५३१	आगरपारा रेलवे स्टेशन पर डकैती	६७१
५३२	'बिस्ट्रेपेन' की शीशी में मरी हुई मक्खी	६७१–७२
५३३	उड़ीसा में सालंदी परियोजना	६७२
५३४	बिना टिकट यात्रा	६७२–७३
५३५	बिहार में चीनी की मिलें	६७३
५३६	अखिल भारतीय होटल तथा रेस्टोरेंट सम्मेलन	६७३
५३७	थाना क्रीकपर रेल तथा सड़क पुल	६७४
५३८	उपभोक्ता मूल्य	६७४
५३९	दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में मोटर साइकिलों के लिये लाग बुक	६७४–७५
५४०	ओटोरिक्शाओं के लिये भाड़े के मीटर	६७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५४१	कानपुर में उर्वरकों की चोर बाजारी	६७५–७६
५४२	नवदा के परमानेंट वे इन्स्पेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही	६७६
५४३	बिनौर स्टेशन का निर्माण	६७६
५४४	धौरसालार में फ्लेग स्टेशन	६७७
५४५	फतेहगढ़ डिवीजन में बिना टिकट यात्रा	६७७
५४६	कल्याणपुर स्टेशन	६७७
५४७	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये मकान	६७७–७८
५४८	कानपुर में क्षयरोग का अस्पताल	६७८
५४९	सिगनल की नयी व्यवस्था	६७८
५५०	ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल	६७८–७९
५५१	आसाम में मानस नदी परियोजना	६७९
५५२	विभिन्न डिवीजनों में सहायक स्टेशन मास्टर	६७९–८०
५५३	रेलवे में दुर्घटनायें	६८०–८१
५५४	बाक्स टाइप वैगन	६८१
५५५	रुई का उत्पादन	६८१
५५६	अखिल भारतीय डाक तथा तार कर्मचारी कल्याण संघ	६८१–८२
५५७	रेलवे स्लीपरों का संभरण	६८२
५५८	राजस्थान फीडर नहर	६८२–८३
५५९	सहकारी कृषि समितियां	६८३
५६०	दिल्ली में रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुल	६८३
५६१	दिल्ली में शटल गाड़ी का समय बदलना	६८४
५६२	सिचाई और विद्युत् मंत्रालय के अस्थायी कर्मचारी	६८४
५६३	ब्रज में ब्रजयात्रा	६८४–८५
५६४	कोयले के स्थान पर मट्टी के तेल का उपयोग	६८५
५६५	टेलीफोन	६८५
५६६	कुष्ठ नियंत्रण	६८६—८८
५६७	परिवहन विकास परिषद्	६८८
५६८	स्टाल्स में भोजनादि की व्यवस्था करने वाले ठेकेदारों के फोटो	६८८–८९
५६९	कोणार्क में विमान पट्टी	६८९
५७०	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर	६८९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५७१	उड़ीसा में हरिदासपुर–मारसा घाई रोड	६९०
५७२	देतारी खानों से परादीप पत्तन तक रेलवे लाइन	६९०
५७३	रात्रि विमान डाक सेवा	६९१
५७४	रेलवे दुर्घटनाओं के शिकार बनने वालों को प्रतिकर की अदायगी	६९१
५७५	खाद्यान्नों का आयात	६९१
५७६	देश में चावल के मूल्य और स्टाक	६९२
५७७	देश में गेहूं के मूल्य और स्टाक	६९२–९३
५७८	पंजाब में दुग्ध कारखाने	६९३
५७९	बम्बई–दिल्ली–चंडीगढ़ के बीच रेडियो टेलीफोन संबंध	६९३
५८०	ट्रेनों में डकैतियां	६९३
५८१	रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	६९४
५८२	फिरोजगर में फलों को टीन के डिब्बों में बन्द करने का कारखाना	६९४
५८३	मोती बाग–२ नई दिल्ली में डाक तार घर	६९४
५८४	रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा एक टिकट कलैक्टर के साथ हाथापाई	६९४–९५
५८५	त्रिपुरा में सिचाई निर्माण कार्य	६९५
५८६	महाराष्ट्र में चीनी के कारखाने	६९५–९६
५८७	कैन्सर	६९६
५८८	मद्रास के दक्षिणी जिलों में रेल की समस्यायें	६९६
५८९	चावल की ढुलाई के लिये रेल डिब्बे	६९७
५९०	पटना के कांग्रेस अधिवेशन के लिये परिवहन व्यवस्था	६९७
५९१	अमेरिकी गेहूं	६९७–९८
५९२	बम्बई–नागपुर एक्सप्रेस के स्लीपर कौच	६९८
५९३	मध्य प्रदेश में अफ्रीका अश्व रोग	६९८–९९
५९४	धान मंडल स्टेशन	६९९
५९५	कृष्णा नदी पुल के पास बांध	६९९
५९६	मैसूर राज्य में नलकूप योजना	६९९
५९७	पंचायतों के चुनाव	७००

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ७०१

श्री इन्द्र जीत गुप्त ने कलकत्ता के बाजार में कच्चे पटसन का भाव ३० रुपये प्रति मन से नीचे गिर जाने के कारण उड़ीसा और पश्चिम

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

बंगाल के पटसन उगाने वालों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनकी ओर तथा मूल्य में सहायता देने की कार्यवाही को तत्काल आरम्भ करने की आवश्यकता की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७०१-०२

(१) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई ,कार्यवाही, बताने, वाले निम्नलिखित विवरणों की एक एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ चौदहवां सत्र, १९६१

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ८ तेरहवां सत्र, १९६१

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ९ बारहवां सत्र, १९६०

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १३ ग्यारहवां सत्र, १९६०

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १७ दसवां सत्र, १९६०

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या १८ नवां सत्र, १९५९

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २१ आठवां सत्र, १९५९

(२) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११११ में प्रकाशित दिल्ली विकास (सुधार कर मध्यस्थता) नियम, १९६१ ।

(दो) दिनाक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २२२६ में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकार (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) विनियम, १९६१ ।

(३) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ सितम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/३४/६०—ट्रांसपोर्ट की एक प्रति ।

(४) भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा १४—क के अन्तर्गत दिनांक २८ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३०४ में प्रकाशित भारतीय विमान (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित ।

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	७०२-०३
समिति के लिये निर्वाचन	७०३-०४
विधेयक पारित	७०४—११
प्रस्ताव विचाराधीन	७११—३१

सभा का कार्य

समिति के लिये निर्वाचन

कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय केन्द्रीय गरम मसाले और काजू समिति में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये लोक सभा से दो सदस्य चुने जायें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित

प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड वार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

प्रस्ताव विचाराधीन

श्री तंगामणि ने पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, २७ नवम्बर, १९६१/६ अग्रहायण १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा। चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश १९६१ तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पर विचार और पारित करना।

GIPND—LS III—1570 (Ai) LSD.—26-12-61—125